खण्ड-429, अंक-2
गुरूवार, 6 फाल्गुन, शक संवत् 1920
(25 फरवरी, 1999 ई0)

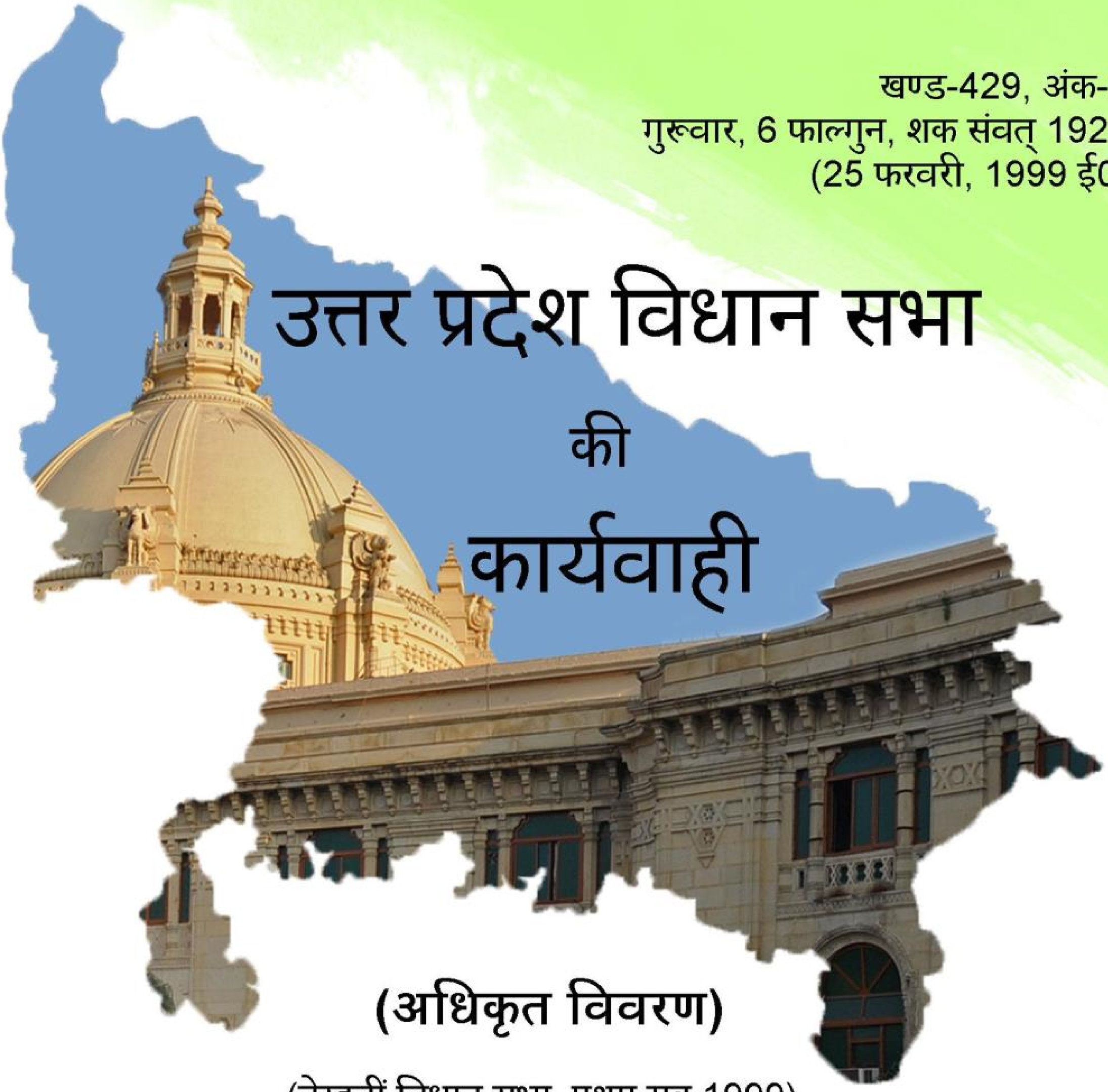

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1999)

खण्ड 429 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1999

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
नियम–311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग	1
प्रश्नोत्तर	1–75
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	75
जनपद जालौन के थाना क्षेत्र चुर्खी में पुलिस निष्क्रियता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	775-76
जनपद संत रविदास नगर भदोही में वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा की नियुक्ति न होने के कारण प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान आदि में हो रही परेशानी के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	76
जनपद देवरिया रुद्रपुर नया बस स्टेशन से बाई बास तक का मार्ग ऊंचा करने एवं सड़क के दोनों ओर नाली का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	76-77
जनपद सुल्तानपुर के जामों–गौरीगंज में प्राइमरी पाठशाला में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	77
जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ड्रेनों की सफाई व खुदाई कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	77-78
जनपद फतेहपुर के थाना ललौती अन्तर्गत अढावल गांव के मुइया रानी देव स्थान से हुई अष्ठधातु की मूर्ति की चोरी की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	78
वाराणसी नगर जल संस्थान गेट के पास ध्वस्त सीवर लाइन को बदलने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	78-79
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	79
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999 (सदन के पटल पर रखा गया)	79
नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	79-101
श्री चन्द्र पाल सिंह यादव, स० वि० स० झांसी की गिरफ्तारी की सूचना ...	101
वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ....(जारी)	101-126
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	126-127
मथुरा नगर के कतिपय क्षेत्रों में पुलिस संरक्षण प्राप्त कर अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के नागरिकों का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 में दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	127-128

विषय	पृष्ठ-संख्या
देश में पेन उद्योग (बाल पेन एवं फाउन्टेनपेन) पर व्यापार कर समाप्त करने तथा इस उद्योग को लगाने हेतु उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में डा० राम बाबू हरित द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	128-130
म्पूर्ण प्रदेश में ईंट भट्ठों पर कम्पाउन्ड स्कीम के अन्तर्गत सम्भावित कर वृद्धि की योजना की घोषणा पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	130–132
नपद गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्रान्तर्गत दैनिक जागरण के पत्रकार की हत्या किये जाने तथा पुलिस जांच का सी० बी० सी० आई० डी० को स्थानान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	132
नपद मेरठ की तहसील सरधना में मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में श्री सम्मर पाल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	133
नपद मुरादाबाद में कुन्दरकी क्षेत्र के अन्तर्गत जटपुरा ग्राम में दलित महिला के साथ कथित दुराचार करने वाले दुराचारियों को थाना मैनाठेर की पुलिस द्वारा संरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में श्री अकबर हुसैन द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	133-134
देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कार्य योजना बनाये जाने के विषय में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेई द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन	134
देश में ऋण जमा धनराशि का अनुपात रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के निदेशानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने एवं राज्य सरकार द्वारा बैंकों पर प्रदेश क्रेडिट कन्ट्रोल हेतु कानून बनाये जाने विषयक डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी आदि द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन	134
त्थियां	135–138

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी, 1999

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद	चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी
अजय राय, श्री	वाराणसी	चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	छोटे लाल वर्मा, डा०	महोबा
अनिल कुमार, श्री	बलिया	छोटे सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल, श्री	गोरखपुर
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर	तिलक राज बेहड़, श्री	उधम सिंह नगर
अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर	तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
अशोक कुमार, श्री	जौनपुर	देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा०	इलाहाबाद
उदय राज यादव, श्री	उन्नाव	नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर देहात
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी	नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
ओइम्वेश, स्वामी	बिजनौर	नारायण राम दास, श्री	अल्मोड़ा
ओंकार सिंह, श्री	एटा	निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
ओमकार सिंह, श्री	बदायूं	पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी	प्रेम लता कोटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर	फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
काशिम हसन, श्री	फतेहपुर	बनवारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा	बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव	मथुरा प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
केशो मेहरा, श्री	आगरा	महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
कौशल किशोर, डा०	खीरी	महेन्द्र कुमार, श्री	बुलन्दशहर
गंगा सिंह चौहान, श्री	हरदोई	महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद	मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
चन्द्र नाथ सिंह, श्री	प्रतापगढ़	मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुस्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
रंगनाथ मिश्र, श्री	भदोही
रमेश पोखरियाल "निशंक", डा०	गढ़वाल
रमेश राही, श्री	सीतापुर
रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
राम अवतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
राम चन्द्र मौर्य, श्री	मिर्जापुर
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम विशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालमणि प्रसाद, श्री	बस्ती
विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री	गोण्डा
विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०, डा०	बिजनौर
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शिव सिंह चक, श्री	फिरोजाबाद
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
श्याम किशोर यादव, श्री	लखनऊ
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सिंहासन सिंह, श्री	गाजीपुर
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र

विधान सभा पुस्तकालय

गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी, 1999

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

नियम 311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, दिन दहाड़े हत्यायें हो रही हैं.....

श्री अध्यक्ष–

जिस विषय को माननीय मौर्य जी उठा रहे हैं, इस पर नियम 56 में सूचना आयी है और वह चयनित भी हो गयी हैं और वह पहली सूचना है और उस पर आप के विचार सुन लूंगा, उसे आने तो दीजिये ।

(विपक्ष के सदस्य सदन के वेल में आ गये तथा नारे लगाने लगे)

(व्यवधान)

मैंने कहा कि आप यह सब बातें उस समय कह दीजियेगा । आपके नेता कह रहे हैं ।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आप कृपा कर इस पर सुन लें । प्रश्न काल को स्थगित कर दें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, प्रश्न काल को स्थगित करके इसको सुन लें, ताकि लोगों के विचार आ जायें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने-अपने आसन पर जांय ।

(नारे लगाये जाने पर शोर)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 11 बजकर 03 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

व्यापार हेतु पंजीकरण एवं टर्न ओवर की सीमा बढ़ाने की जानकारी

**1—श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में सभी प्रकार के व्यापार करने वालों के लिये पंजीकरण कराना आवश्यक कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार टर्न ओवर की सीमा राशि को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :–उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

जी नहीं ।

राज्य सरकार द्वारा व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत सभी प्रकार के व्यापार करने वालों के लिये पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं किया गया है । वर्तमान में केवल निम्न श्रेणी के व्यापारियों के लिये पंजीकरण कराना आवश्यक है :––

(क) जो व्यापारी उत्तर प्रदेश के बाहर से आयात करके माल की बिक्री करते हैं, या

(ख) जो व्यापारी किसी प्राविधान के अन्तर्गत कर के देनदार हैं, या

(ग) जिस व्यापारी का वार्षिक टर्न ओवर निर्माता की दशा में एक लाख रुपये या उससे अधिक तथा अन्य व्यापारी की दशा में एक लाख पचास हजार रुपये या उससे अधिक है ।

(घ) वर्ष के दौरान व्यापार प्रारम्भ करने वाले व्यापारी जिसका मासिक टर्न ओवर उपर्युक्त बिन्दु (ग) में उल्लिखित सीमा के बारहवें भाग से कम न हो ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

ग्रामीण शहरी अंचलों में चीनी तथा मिट्टी के तेल वितरण में अन्तर को समाप्त करने पर विचार

**2. श्री राम ललित चौधरी तथा श्री जगदम्बिका पाल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय ग्रामीण और शहरी अंचलों में प्रति व्यक्ति चीनी तथा मिट्टी के तेल के वितरण में क्या अन्तर है ? क्या सरकार इस अन्तर को समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

प्रदेश में चीनी तथा मिट्टी के तेल की वितरण दर निम्नवत् है:–

चीनी

मैदानी क्षेत्र	पर्वतीय क्षेत्र
1 कि० ग्रा० प्रति यूनिट प्रति माह (शहरी क्षेत्र)	1 कि० ग्रा० प्रति यूनिट प्रति माह
330 ग्राम प्रति यूनिट प्रति माह (ग्रामीण क्षेत्र)	

मिट्टी तेल

मैदानी क्षेत्र	पर्वतीय क्षेत्र
5 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रति माह (जिनके पास एल० पी० जी० कनेक्शन है)	10 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रति माह (शहरी क्षेत्र)
10 लीटर प्रति राशन-कार्ड प्रति माह (सामान्य श्रेणी के लिये) (शहरी क्षेत्र)	5 से 10 लीटर तक प्रति राशन कार्ड प्रति माह (ग्रामीण क्षेत्रों के लिये)
5 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रति माह (ग्रामीण क्षेत्र)	

भारत सरकार से प्रदेश को मिट्टी तेल तथा लेबी चीनी का जो कोटा प्राप्त होता है उसी के अन्तर्गत वितरण दर निर्धारित की गयी है। अतः इस अन्तर को समाप्त किया जाना सम्भव नहीं है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में फसलों में खरपतवार की रोकथाम हेतु कार्य योजना की रूपरेखा

*1—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को ज्ञात है कि रबी, खरीफ एवं जायद फसलों में भारी मात्रा में खरपतवार (विशखपरा, लुनियां, चौलाई व बथुआ, गेहूं का पामा व जई आदि) पैदा होने के कारण किसानों की फसलों को करोड़ों रुपये की क्षति हो रही है ? यदि हां, तो सरकार ने उसकी रोकथाम के लिये क्या कोई विशेष उपाय/कार्य योजना बनाई है ? यदि हां,तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में शराब बन्दी एवं मद्य निषेध व्यवस्था लागू करने की जानकारी

*2—श्री राम ललित चौधरी–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शराब की फैक्टरियों को प्रदेश से हटाये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार पूरे प्रदेश में शराब बन्दी एवं मद्य निषेध व्यवस्था लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शराब की फैक्ट्रियों को हटाये जाने की आवश्यकता नहीं है।

जी नहीं।

प्रदेश की आर्थिक स्थिति एवं राजस्व हित को ध्यान में रखते हुए।

प्रदेश में ठण्ड से हुई मौतों की पुनरावृत्ति रोकने के उपाय

*1—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 1997-98, 1998-99 में ठण्ड के कारण प्रदेश में अनेक मौतें हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिये कोई विशेष कार्य-योजना लागू करने जा रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

प्रदेश में ठण्ड के कारण वर्ष 1997-98 में 17 व्यक्तियों की व वर्ष 1998-99 में 03 व्यक्तियों की मौतें हुई हैं।

शीतलहरी से बचाव हेतु समस्त जिलाधिकारियों को मैदानी क्षेत्र के लिये रु० 60 हजार तथा पहाड़ी क्षेत्र के लिये रु० 80 हजार प्रति जनपद के हिसाब से आवंटित किया गया है तथा तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए जनपदों के मांग प्रस्ताव के अनुसार धनराशि आपदा राहत निधि से अवमुक्त की जाती है। आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में अलाव जलाने तथा गृह विहीनों को निःशुल्क कम्बल बांटने व शीतलहरी के प्रकोप को देखते हुए निराश्रितों/गृह विहीनों हेतु महानगरों में अस्थायी नाईट

शेल्टर्स की व्यवस्था है । आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता एवं सहयोग भी प्राप्त किया जाता है ।

प्रदेश में किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु विपणन व्यवस्था के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की जानकारी

*2–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा उन्हें लाभान्वित करने के लिये एक मजबूत विपणन व्यवस्था की आवश्यकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस दिशा में शीघ्र ही कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, लाभान्वित करने तथा मजबूत विपणन व्यवस्था को विकसित करने हेतु सरकार पूर्व से ही सचेष्ट है, जिसके अन्तर्गत निम्न महत्वपूर्ण कार्यवाही की गयी है :––

(1) कृषि उपज के क्रय विक्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया को नियमबद्ध कर पूरे प्रदेश में (पर्वतीय जनपदों को छोड़कर) मण्डी विनियमन लागू है ।

(2) प्रदेश में 265 मण्डियां विनियमित कर इनके क्षेत्रों में 382 उपमण्डी स्थल घोषित किये गये हैं तथा पूरे प्रदेश में विपणन के लिये अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है ।

(3) कृषि विपणन निदेशालय द्वारा कृषकों को उनकी उपज का समुचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से जिन्सों के विधिवत् प्रबन्धन एवं वर्गीकरण इत्यादि का कार्य प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है ।

कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश स्तर पर गठित प्राइज एडवाइजरी काउंसिल की संस्तुतियों को भारत सरकार को प्रेषित कर उनके स्तर से प्रति वर्ष खरीफ एवं रबी फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जे० एल० बजाज कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में ग्राम पंचायतों को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिये जाने की जानकारी

*3–श्री राजधारी–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिये जाने हेतु जे० एल० बजाज कमेटी की रिपोर्ट लागू किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो इसमें शासन को क्या कठिनाई है ?

पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मपाल सिंह)–

जी हां । बजाज समिति की संस्तुतियों का परीक्षण उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया गया । उच्च स्तरीय समिति की संस्तुतियों के अनुरूप बजाज आयोग की संस्तुतियां लागू कर दी गई हैं ।

ग्राम पंचायतों को 28 विभागों द्वारा शासनादेश जारी करके अधिकारों का प्रतिनिधायन किया जा चुका है । शेष 4 विभागों से शासनादेश जारी कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद संत रविदास नगर मुख्यालय ज्ञानपुर के शिलान्यास हेतु शासन से धन अवमुक्त विषयक जानकारी

*4–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद संत रविदास नगर में जनपद मुख्यालय ज्ञानपुर के शिलान्यास हेतु भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है ? यदि हां, तो उस स्थान पर मुख्यालय निर्माण हेतु क्या शासन से धन अवमुक्त किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद संत रविदास नगर में जनपद मुख्यालय ज्ञानपुर के शिलान्यास हेतु भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है । ग्राम सभा की 20 एकड़ भूमि उपलब्ध है ।

यथासमय उचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद जालौन, कृषि विभाग द्वारा फ्री वितरण हेतु किसानों को बीज के फ्री किट्स के प्रयोग का भौतिक सत्यापन

*5–श्री श्रीराम पाल–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान रबी फसल की बुवाई हेतु जनपद जालौन में कृषि विभाग द्वारा खाद्यान्न व तिलहन के बीज किसानों को फ्री वितरण किये जाने हेतु मिनी किट्स उपलब्ध कराये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि जनपद के किसी भी कृषक को फ्री बीज के मिनी किट्स उपलब्ध न कराकर मात्र कागजों में वितरण दर्शित करके बाजार में बेच दिया गया है ? यदि हां, तो क्या वितरण सूची का भौतिक सत्यापन कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

कृषि विभाग द्वारा मात्र दलहनी फसलों के बीज के मिनी किट्स रु० 10.00 प्रति मिनी किट की प्रतीक धनराशि कृषकों से लेकर उपलब्ध कराये गये हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता । बीज किट्स के प्रयोग का सत्यापन सामान्य निरीक्षण में किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश में प्याज का उत्पादन बढ़ाने के उपाय

*6–श्री समरपाल सिंह–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्याज का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

जी हां ।

विभागीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों को उच्च गुणवत्ता के प्याज का बीज एवं प्याज पौध उनकी मांगानुसार उपलब्ध कराया जाता है । उत्पादकता में वृद्धि हेतु कृषकों को तकनीकी परामर्श भी दिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर, तहसील उतरौला में उद्योग केन्द्रों की स्थापना की जानकारी

*7–उबैदुर्रहमान–

क्या लघु उद्योग मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत तहसील उतरौला मुख्यालय उद्योग विहीन क्षेत्र है ? क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के लाखों परिवार रोजगार की तलाश में अन्यत्र नगरों में जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन परिवारों के पलायन को रोकने के लिये उद्योग केन्द्रों की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग, निर्यात एवं प्रोत्साहन मंत्री (श्री बाबू राम एम० काम०)–

(क) तहसील उतरौला, मुख्यालय उद्योग विहीन क्षेत्र नहीं है । उतरौला में 199 लघु औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं ।

(ख) प्रदेश में औद्योगिक विकास एवं स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से घोषित नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उद्यमियों को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है । औद्योगिक विकास हेतु प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर एक जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किया जाता है । जनपद बलरामपुर मुख्यालय में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित है । उतरौला तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में अब तक 373 लघु औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आबकारी विभाग को अल्कोहल से निर्धारित दर से लाइसेन्स फीसों से प्राप्त आय को कतिपय जनपदों की मिलों से वसूलने की जानकारी

*8–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्कोहल पर आधारित एफ०एल–39, उद्योग से विभाग को लाइसेन्स फीस–15 पैसे प्रति लीटर एवं डी० नेचुरेलिन फीस–10 पैसे प्रति लीटर तथा परचेज टैक्स से 80 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से राजस्व प्राप्त होता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त दर से धामपुर शुगर मिल कैमिकल डिवीजन बिजनौर व्यय आर्गेनिक्स गजरौला (ज्योतिबा फुले नगर) इण्डिया कोल लि० काशीपुर ऊधमसिंह नगर, ओसवाल कैमि० लि० शाहजहांपुर, समैय्या आर्गेनिक्स बाराबंकी से विगत दो वर्षों में कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उपरोक्त दर से उक्त फर्मों से राजस्व वसूली करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां ।

वित्तीय वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में प्रश्न में उल्लिखित उद्योगों से क्रमशः रु० 352,31,512/- तथा रु० 4,4518,52 राजस्व प्राप्त हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता, ।

वेतन समिति को संदर्भित नायब तहसीलदार तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी के वेतनमान का प्रकरण

*9–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या–3711/1-90/97-10-2151 दिनांक 6 दिसम्बर, 1997 द्वारा तहसीलदार व नायब तहसीलदार का वेतनमान चकबन्दी विभाग के

चकबन्दी अधिकारी व सहायक चकबन्दी अधिकारी के वेतनमान से अधिक बढ़ाया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि नायब तहसीलदार व सहायक चकबन्दी अधिकारी दोनों का वेतनमान सन् 1955 से नवम्बर, 1997 तक बराबर था ? यदि हां, तो क्या नायब तहसीलदार व तहसीलदार तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी व चकबन्दी अधिकारी का वेतन समान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

शासनादेश दिनांक 6-9-97 के द्वारा उक्त तिथि से ही तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार के वेतनमान उच्चीकृत किये गये हैं ।

दिनांक 6-9-97 तक नायब तहसीलदार तथा सहायक चकबंदी अधिकारी के वेतनमान बराबर थे ।

प्रकरण वेतन समिति को संदर्भित है । उनकी संस्तुतियां प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रदेश में शीतलहर/ठंड से मृत्यु को रोकने के उपाय

*10–श्री राम ललित चौधरी तथा श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री को यह जानकारी है कि माह दिसम्बर, 1998 एवं जनवरी, 99 में पड़ी शीतलहरी एवं ठंड से अनेक लोगों की मृत्यु हुई है? यदि हां, तो ठंड से बचाव के लिये सरकार ने कौन-कौन उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रदेश में माह दिसम्बर, 1998 एवं जनवरी, 99 में पड़ी शीतलहरी एवं ठण्ड से 03 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ।

शीत लहरी से बचाव हेतु समस्त जिला अधिकारियों को मैदानी क्षेत्र के लिये रु० 60 हजार व पहाड़ी क्षेत्रों के लिये रु० 80 हजार प्रति जनपद के हिसाब से कुल रु० 52,20,000/- की धनराशि आवंटित की गई तथा आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में अलाव जलाने तथा गृह विहीनों को निःशुल्क कम्बल बांटने के निर्देश दिये गये हैं तथा शीत लहरी के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए निराश्रितों/गृह विहीनों हेतु महानगरों में सार्वजनिक स्थलों पर अस्थाई नाईट सेल्टर्स (रैन बसेरा) की व्यवस्था किये जाने हेतु रु० 50 हजार प्रत्येक महानगर के हिसाब से आवंटित की गई है । इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा शासन के निर्देशानुसार स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता एवं सहयोग भी लिया गया है ।

अतारांकित प्रश्न

चित्रकूट कलेक्टर परिसर का निर्माण मध्य प्रदेश की सीमा पर कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र एव कार्यवाही

1—श्री दद्दू प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चित्रकूट में कलेक्ट्रेट परिसर का निर्माण मध्य प्रदेश की सीमा पर उपजाऊ भूमि में करवाया जा रहा है ? क्या इस संबंध में प्रमुख सचिव राजस्व को प्रश्नकर्ता का पत्रांक 65/वि०मा०/98 दिनांक 21-10-98 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार स्थल चयन पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रकरण विचाराधीन है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्व परिषद् से आख्या मांगी गई है ।

जनपद मथुरा, गोवर्धन क्षेत्र की न्याय पंचायतों के किसानों को बाढ़ राहत के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्र एवं कार्यवाही

2–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र की न्याय पंचायत, गांठोली, नीलगांव, नहरौली तथा अडींग के बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत दिये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी०एम०/वि०को०/एम–3/18166/मथुरा/98, दिनांक 14-11-98 आयुक्त, राहत को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

न्याय पंचायत महरौली एवं गांठोली के जल प्लावन से प्रभावित ग्रामों में सिंचाई विभाग के तकनीकी सहयोग से जल निकासी की गई । अधिकांश क्षेत्रों में जल निकासी रबी की फसल की बुवाई से पूर्व कर दी गई थी जहां वर्तमान समय में रबी की फसल बोई जा चुकी है । प्रभावितों में रु० 26,500/- अहेतुक सहायता, रु० 500/- अनुग्रह अनुदान, रु० 20,800/- गृह अनुदान का वितरण किया गया तथा प्रभावित क्षेत्रों में भू-राजस्व, सिंचाई व तकाबी देयों में वसूली स्थगित कर दी गयी है । शासन द्वारा जनपद मथुरा को जल निकासी हेतु रु० 6.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है ।

जनपद शाहजहांपुर, सब्जी मण्डी को नवीन मण्डी स्थल रोजा में स्थानान्तरित किये जाने की विधिक एवं प्रशासनिक नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही

3–श्री शरदवीर सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में नवीन मण्डी स्थल रोजा में फल व सब्जी मण्डी बनने के बाद भी अभी तक नोटीफिकेशन न जारी होने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी फल व सब्जी मण्डी को नवीन मण्डी स्थल रोजा में स्थानान्तरित करने के लिये कोई प्रभावी कदम उठायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

शासन स्तर पर अधिसूचना का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है किन्तु जनप्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय व्यापारियों के प्रत्यावेदन व्यापार स्थानान्तरण के विरोध में प्राप्त हुए हैं । फलतः प्रत्यावेदनों पर विचारोपरान्त विधिक एवं प्रशासनिक नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच में वर्ष 1993 में मत्स्य विभाग द्वारा निर्मित तालाबों का भौतिक सत्यापन

4–श्री दिलीप कुमार वर्मा–

क्या मत्स्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में मत्स्य विभाग के द्वारा सन् 1993 से अब तक कितने तालाबों का निर्माण कराया गया है और किन-किन गांवों में क्या-क्या कार्य कराये गये ? क्या कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्ता)–

मत्स्य पालक विकास अभिकरण बहराइच द्वारा वर्ष 1993-94 से 1997-98 तक कुल 37 तालाबों का निर्माण कराया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि संलग्न सूची में उल्लिखित गांवों में निर्मित तालाबों का भौतिक सत्यापन निम्न अधिकारियों द्वारा कराया जा चुका है ।

1—जिलाधिकारी, बहराइच ।

2—मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच ।

3—परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बहराइच ।

4—सहायक अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बहराइच ।

5—सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, बहराइच ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 135 पर)

भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि, बहराइच द्वारा नानपारा तहसील में वर्ष 1993 से अब तक कराये गये कार्य में व्यय धनराशि एवं भरे गये मस्टर रोल व कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं उसका तिथिवार विवरण

5—श्री दिलीप कुमार वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संरक्षण अधिकारी कृषि बहराइच द्वारा नानपारा तहसील में सन् 1993 से अब तक कुल कितने रुपये का कार्य किन-किन गांवों में कराया गया है ? क्या कराया गया कार्य सरकारी मानक के अनुसार हुआ है ? क्या सरकार भरे गये मस्टर रोल व कार्यों का भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि, बहराइच द्वारा नानपारा तहसील में वर्ष 1993 से अब तक कुल रुपये 7,59,731.50 का कार्य कराया गया है । यह कार्य दो गांवों में क्रमशः रामपुर धोबियाहार एवं अरनवा में कराया गया है ।

वर्षवार एवं ग्रामवार विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र०सं०	वर्ष	नानपारा तहसील के गांव जिसमें कार्य कराया गया है ।	व्यय की गयी धनराशि (रुपये में)
1	1993-94	—	—
2	1994-95	—	—
3	1995-96	—	—
4	1996-97	—	—
5	1997-98	1—रामपुर धोबियाहार 2—अरनवा	6,48,341.50
6—1998-99		1—अरनवा	1,11,390.00
	योग		7,59,731.50

(सात लाख उनसठ हजार सात सौ इकतिस रुपये पचास पैसे मात्र)

जी हां ।

भरे गये मस्टर रोल एवं कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया है, जिसका तिथिवार विवरण संलग्नक–1 पर उपलब्ध है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 136-138 पर)

जनपद एटा, विकास खण्ड सहावर, ग्राम जोहरी में मण्डी परिषद् द्वारा कराये गये निर्माण में अनियमितताओं से सम्बन्धित कथित पत्र

6–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-3-98 जो कि जनपद एटा के विकास खण्ड सहावर में ग्राम जोहरी में मण्डी परिषद् द्वारा निर्माण कराये जा रहे मार्गों में की गयी अनियमितताओं के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्नकर्ता का संदर्भगत पत्र दिनांक 28-3-98 प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम द्वारा निर्मित उपजाऊ भूमि की उपयोगिता के संचालन की जानकारी

7–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का वार्षिक टर्न ओवार क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त निगम ने कितनी ऊसर भूमि पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र में अब तक उपजाऊ (कृषि योग्य) बना दिया है ? निगम द्वारा निर्मित उपजाऊ भूमि की उपयोगिता किस रूप में संचालित की जा रही है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का वर्ष 1997-98 का टर्न ओवर रु० 65.31 करोड़ रुपया है ।

निगम द्वारा मैदानी क्षेत्र के 15 जनपदों में कुल 65478 हेक्टेयर ऊसर क्षेत्र को उपजाऊ (कृषि योग्य) बनाया गया है । पर्वतीय क्षेत्रों में निगम द्वारा कोई योजना संचालित नहीं है ।

निगम द्वारा उपजाऊ भूमि की उपयोगिता फसल उत्पादन के रूप में संचालित की जा रही है ।

नवसृजित बागपत के मुख्यालय हेतु स्वीकृत धनराशि की जानकारी

8–श्री समरपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित बागपत जनपद के मुख्यालय हेतु सरकार ने कितनी धनराशि स्वीकृत की है ? मुख्यालय भवन कब तक बनकर पूरे होंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

नवसृजित जनपद बागपत के मुख्यालय हेतु अभी कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है ।

प्रदेश में मद्य निषेध पर व्यय एवं विभाग द्वारा अवैध बिक्री पर नियंत्रण

9–श्री समरपाल सिंह–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 2 वर्षों से मद्यनिषेध पर कितना खर्चा आया है ? क्या यह सही है कि मद्यनिषेध विभाग के प्रयासों के बावजूद मादक पदार्थों की बिक्री में वृद्धि हुई ? यदि हां, तो क्या सरकार मद्यनिषेध विभाग को बन्द करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

वर्ष 1996-97 एवं वर्ष 1997-98 में मद्य निषेध पर व्यय हेतु आय-व्ययक में कुल प्राविधानित धनराशि क्रमशः रु० 67.32 लाख एवं रुपये 83.03 लाख के सापेक्ष मद्य-निषेध के प्रचार-प्रसार पर क्रमशः रु० 18.01 लाख व रुपये 15.67 लाख व्यय किया गया ।

मद्य निषेध विभाग द्वारा किये गये सकारात्मक प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप मादक पदार्थों की अवैध बिक्री की स्थिति नियंत्रण में है ।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि मद्य निषेध विभाग भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों एवं सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रहा है ।

मण्डी परिषद् द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्ड पम्प लगाने पर प्रतिबन्ध

10–श्री समरपाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी परिषद् द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्ड पम्प लगाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रतिबन्ध को हटाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां, मण्डी परिसर से बाहर मण्डी परिषद् द्वारा हैण्ड पम्पों की स्थापना कार्य प्रतिबन्धित किया गया है ।

जी नहीं ।

क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्ड पम्प लगाने का कार्य मण्डी समितियों के कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है ।

टिहरी गढ़वाल में अक्टूबर, 1998 में कतिपय नदियों के बाढ़ से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता

11–श्री लाखी राम जोशी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल के हेंवल नदी व मगलाड़ नदी की 16-17 अक्टूबर, 98 की भारी बाढ़ से प्रभावित किसानों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? पीड़ित परिवारों को सहायता राशि का भुगतान कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

हेंवल नदी तथा मगलाड़ नदी की बाढ़ से पीड़ित परिवारों को राहत सहायता दिये जाने हेतु जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा वांछित धनराशि रु० 30.00 लाख उन्हें उपलब्ध करा दी गई है ।

पीड़ित परिवारों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को निर्देश दे दिया गया है ।

कृषि निवेश बिक्री केन्द्रों पर हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में पत्र एवं कृत कार्यवाही

12–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि निवेश बिक्री केन्द्रों पर हो रही अनियमितताओं के संबंध में विधायक कोष्टक का पत्रांक : सी०एम०/वि०के०/एम–3/18227/मथुरा/98, दिनांक 17-11-98 सचिव, कृषि उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

प्रकरण की जांच उप कृषि निदेशक (प्रसार) आगरा से करायी गयी । जांच में दोषी पाये गये कार्मिकों को निलम्बित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद अम्बेडकर नगर, तहसील आलापुर के भवन निर्माण की मांग

13–श्री भीष्म प्रसाद सोनकर–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–अम्बेडकर नगर की तहसील–आलापुर के तहसील भवन का निर्माण कार्य अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो तहसील भवन का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

विचारोपरान्त उचित कार्यवाही यथा समय की जायेगी ।

श्री सत्येन्द्र प्रकाश, सहायक भू-लेख अधिकारी, बस्ती के विरुद्ध सरकारी धन का दुरुपयोग/पूर्ति हेतु कटौती आदेश का पालन

14–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या राजस्व मंत्री के संज्ञान में है कि श्री सत्येन्द्र प्रकाश सहायक भू-लेख अधिकारी बस्ती के विरुद्ध राजकीय धन के दुरुपयोग की शिकायत जिला लेखापाल संघ बस्ती ने जिलाधिकारी बस्ती को शिकायती-पत्र दिनांक 3-8-98 को देकर किया है ? यदि हां, तो क्या श्री सत्येन्द्र प्रकाश (स०भू०अ० बस्ती) के बेतन से राजकीय धन की पूर्ति हेतु कटौती के आदेश दिनांक 15-6-93 परगनाधिकारी बस्ती दिनांक 6-7-98 अपर जिलाधिकारी बस्ती और आदेश दिनांक 29-3-96 श्री आर० बी० सिंह मुख्य लेखाकार राजस्व परिषद् उ० प्र० इलाहाबाद द्वारा पारित किया गया है ? यदि हां, तो उनसे अब तक कितने रुपये की कटौती हुई और कितना अवशेष है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

तत्कालीन उप जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा राजकीय धन की पूर्ति हेतु कटौती के आदेश दिनांक 15-6-93 पारित किया गया ।

अभी तक कोई कटौती नहीं की गयी है ।

15–श्री चन्द्र नाथ सिंह–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

16–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[दिनांक 16-2-99 को आ० प्र० सं० 17 द्वारा उत्तरित]

जिला रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ में अगस्त, 1998 में अतिवृष्टि/भूस्खलन से प्रभावितों को आर्थिक सहायता

17–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि 11 व 18 अगस्त, 98 के अतिवृष्टि द्वारा ऊखीमठ (जिला–रूद्रप्रयाग) का क्षेत्र अत्यधिक भूस्खलन से तबाह हुआ है ? क्या अतिवृष्टि एवं भूस्खलन से प्रभावित ग्रामीण जो अभी भी कैम्पों व धर्मशालाओं में रह रहे हैं, को शासन की ओर से राशन, आर्थिक सहयोग की व्यवस्था अभी हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

दिनांक 11 व 18 अगस्त, 98 की अतिवृष्टि/भूस्खलन से रुद्र प्रयाग की तहसील ऊखीमठ में ग्राम पौण्डार पूर्ण रूप से तथा अन्य 40 ग्राम आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं ।

अतिवृष्टि/भूस्खलन से प्रभावित 11 परिवार वर्तमान में भारत सेवा आश्रम ऊखीमठ में रह रहे हैं । इन परिवारों को अनुमन्य राहत सहायता प्रदान की जा चुकी है ।

जिला रुद्रप्रयाग, तहसील उखीमठ में अगस्त, 1998 में अतिवृष्टि/भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता/सुरक्षात्मक कदम उठाने की जानकारी

18–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि 11 व 18 अगस्त 98 के अतिवृष्टि द्वारा ऊखीमठ तहसील (जिला रूद्रप्रयाग) का क्षेत्र अत्यधिक भू-स्खलन से तबाह हो गया था ? क्या ग्राम-रांसी-उनियाना के भूस्खलन द्वारा प्रभावित परिवारों को 1500 रु० अहेतुक सहायता प्रत्येक परिवार को मकान बनाने के लिये एक लाख रुपये खाद्यान्न ढुलान के लिये 150 रु० प्रति खच्चर का किराया एवं भू-गर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार समस्त क्षेत्र को अति संवेदनशील घोषित करके एवं प्रभावित ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु शासन ने सकारात्मक कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

दिनांक 11 व 18 अगस्त, 98 की अतिवृष्टि/भूस्खलन से तहसील ऊखीमठ, जनपद रुद्रप्रयाग का ग्राम पौण्डार पूर्णरूप से तथा 40 अन्य ग्राम आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए ।

ग्राम राँसी एवं उन्याणा के भूस्खलन से प्रभावित पात्र परिवारों को रु० 1500/- अहेतुक सहायता व पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त मकानों के निर्माण हेतु रु० 25,000/- गृह अनुदान का वितरण किया गया है तथा क्षतिग्रस्त मकानों के निर्माण हेतु प्रभावितों में नियमानुसार धनराशि का वितरण किया गया है । प्रभावितों में हेलीकाप्टर ले जाकर राशन सामग्री भी वितरित की गयी है । भू-वैज्ञानिकों द्वारा कालीमठ क्षेत्र को भविष्य में भी खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना व्यक्त की है । इसलिये प्रभावित ग्रामीणों को तत्काल राहत शिविरों में ठहराया गया ।

जिला हरिद्वार के बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी रुड़की के अधीन लेखपालों का विनियमितीकरण

19–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला-हरिद्वार के बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी रूड़की के अधीन कार्यरत लेखपालों का विनियमितीकरण हो गया है ? ऐसे कितने लेखपाल अभी बाकी है जिनका अभी तक नियमितीकरण नहीं हुआ है ? क्या सरकार शेष लेखपालों का विनियमितीकरण करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

बन्दोबस्त अधिकारी, चकबंदी हरिद्वार स्थान रुड़की के अधीन कार्यरत 16 अप्रशिक्षित चकबंदी लेखपालों का विनियमितीकरण हो चुका है ।

विनियमितीकरण हेतु मात्र 4 अप्रशिक्षित लेखपालों का प्रकरण अवशेष है ।

उक्त 4 अप्रशिक्षित चकबंदी लेखपालों में से 3 अभ्यर्थियों द्वारा मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है जिसका प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है जिनमें से एक मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से कार्यरत है । शेष कार्यरत नहीं हैं । शेष एक अभ्यर्थी ने मात्र (6-1-94 से 3-4-94) की अवधि तक कार्य किया है । उसके उपरान्त कार्यरत नहीं रहा है ।

जो विनियमितीकरण हेतु पात्र नहीं हैं ।

3 अप्रशिक्षित चकबंदी लेखपालों के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा ।

शेष का प्रश्न नहीं उटता ।

जनपद मथुरा में वर्षा के कारण नगला बाग मौरा में मकानों, फसलों के मुआवजा विषयक विधायक कोष्ठक के प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

20–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिक वर्षा के कारण नगला बाग मौरा, ब्लाक तहसील व जिला मथुरा में फसल मकानों का मुआवजा देने व पानी निकालने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी० एम०/वि०को०/एम–3/18154/मथुरा/ 98, दिनांक 14-11-98 आयुक्त, राहत को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

नगला भाग मौरा ब्लाक तहसील व जिला मथुरा में जुलाई, अगस्त व सितम्बर, 98 में अधिक वर्षा होने के कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी, जिससे 65 एकड़ कृषि भूमि प्रभावित हुई थी । उक्त क्षेत्र में भरे हुए पानी को सिंचाई विभाग की तकनीकी सहायता से 4 डीजल इंजन एवं एक ट्रैक्टर दि० 12-11-98 से 1-12-98 तक लगातार निकाल दिया गया था, जिस पर कुल रु० 4256 का डीजल व्यय हुआ । रबी की फसल बुआई के पूर्व ही जल निकासी कर दी गई थी जहां वर्तमान में रबी की फसल भी बोई जा चुकी है । अतिवृष्टि के कारण उक्त ग्राम में कोई मकान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है ।

जिला मथुरा, श्री दाऊ दयाल निवासी नगला रामपुर अर्डीग के खेत से स्कूल फील्ड हटवाने विषयक विधायक कोष्ठक के प्राप्त पत्र पर कार्यवाही ।

21–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दाऊ दयाल, निवासी नगला रामपुर अर्डीग तहसील व जिला मथुरा के खेत से स्कूल फील्ड हटवाये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी०एम०/ वि०को०/एम–3/18156/मथुरा/98, दिनांक 14-11-98 आयुक्त, चकबन्दी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

उक्त पत्रांक के साथ संलग्न शिकायती प्रार्थना-पत्र में गाटा सं०–1552 क्षेत्रफल 0–202 हे० स्कूल फील्ड हटवाने की मांग की गई, जिसको संयुक्त निदेशक, चकबंदी मथुरा ने निगरानी संख्या–2495 अन्तर्गत धारा–48(1) आदेश दिनांक 12-2-99 से न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत आरक्षण समाप्त कर दिया है।

जनपद जौनपुर, ग्राम व पोस्ट बसौली में कब्रिस्तान की पैमाइश करा कर अभिलेखों में दर्ज कराने विषयक ग्राम वासियों के पत्र पर कार्यवाही

22–श्रीमती माया प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम व पोस्ट बसौली, तहसील शाहगंज, जनपद जौनपुर के अन्तर्गत विद्यमान कब्रिस्तान की पैमाइश कराकर उसे राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराये जाने हेतु उक्त ग्रामवासियों का संयुक्त आवेदन-पत्र दिनांक 30-6-98 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो वांछित कार्यवाही कब तक पूर्ण कर दी जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

कब्रिस्तान के रूप में प्रयोग की जा रही भूमि का स्थलीय निरीक्षण करके उसका सीमांकन कर दिया गया है।

प्रश्नगत भूमि खातेदारों के नाम अंकित है। जिसके कारण राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान दर्ज करने की विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पौड़ी गढ़वाल के पशु चिकित्सालय को मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के प्राप्त पत्र में दिये गये बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही

23–श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के पत्रांक 567/लेखा/98-99, दिनांक 22 जून, 98 के सन्दर्भ में श्री वीरेन्द्र सिंह नयाल प्रधान ग्राम सभा बहेड़ा का पत्रांक–बहेड़ा 15–पशुपालन/98-99, दिनांक 16 जुलाई, 98 को एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पौड़ी गढ़वाल को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पत्र में उठाये गये बिन्दु क्या-क्या हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राधेश्याम गुप्ता–

जी हां।

विवरण निम्नवत् प्रस्तुत है :––

टिप्पणी/कृत कार्यवाही

1––अतिरिक्त वित्तीय संसाधन के अभाव में अवशेष भवन निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 98-99 में पूर्ण कराया जाना सम्भव नहीं है।

2––जिला अनुश्रवण समिति की संस्तुति के अभाव में विचार नहीं किया गया।

3––अतिरिक्त वित्तीय संसाधन के अभाव में चाहरदीवारी एवं भवनों का विद्युतीकरण कार्य वित्तीय वर्ष 98-99 में पूर्ण कराया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद बस्ती के जोत चकबंदी अधिकारी, ग्राम रिधौरा, तहसील हर्रैया सरकार बनाम परमेश्वर नाथ के प्रकरण पर निर्णय का अनुपालन

24–श्री सीताराम निषाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन्दर्भ संख्या–57 धारा–48(3)जो० च०अधि० ग्राम रिधौरा, तप्पा बेलवा तहसील हर्रैया जनपद बस्ती सरकार बनाम परमेश्वरनाथ आदि निर्णय दिनांक 17-12-89 का अनुपालन चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों के द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्न में इंगित निर्णय दिनांक 17-12-89 का अनुपालन दिनांक 22-1-99 को कर दिया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद की प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन के डेरी मैन स्व० गंगा राम के पुत्र को मृतक आश्रित नियमावली के अनुसार नियुक्ति की व्यवस्था

25–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या दुग्ध विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन की मुरादाबाद शाखा में कार्यरत डेरी मैन स्व० गंगाराम की पत्नी श्रीमती देवेश्वरी देवी द्वारा अपने पुत्र को नियुक्ति देने संबंधी प्रार्थना-पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मृतक के आश्रित को नियुक्ति दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयपाल सिंह)–

जी हां ।

जी नहीं ।

श्रीमती देवेश्वरी देवी के पति स्वर्गीय श्री गंगाराम (डेरी मैन) की मृत्यु दिनांक 31-1-82 को हुई थी । उनकी मृत्यु के समय उ० प्र० सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियमावली, 1975 में मृतक आश्रित को सेवायोजित किये जाने का कोई प्राविधान नहीं था ।

जनपद आजमगढ़, ब्लाक मार्टीनगंज, ग्राम कोहरौली में जल निकासी की व्यवस्था

26—श्री हरदेव सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़, तहसील फूलपुर मार्टीनगंज ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम कोहरौली में जल निकासी हेतु कितने बाहा/नाली हैं ? ग्राम के मानचित्र में उसकी लम्बाई व चौड़ाई क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त जल निकासी के बाहा/नाली को कतिपय लोगों द्वारा स्थान-स्थान पर पाटकर वृक्ष आदि लगाकर कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो उनके नाम व बल्दियत क्या है ? क्या मंत्री जी उक्त अवैध कब्जों को समाप्त करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद आजमगढ़, तहसील फूलपुर, विकास खण्ड मार्टीनगंज के अन्तर्गत कोहरौली के राजस्व अभिलेखों कुल 15 गाटा बाहा के रूप में अंकित है । जल निकासी हेतु मुख्य रूप से 1 बाहा, 2 नाली, 2 नाला आते हैं ।

ग्राम के मानचित्र में इन बाहा/नाली/नाला की चौड़ाई औसतन 20 कड़ी है व लम्बाई 12900 कड़ी है ।

प्रश्नगत बाहा पर किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर, खण्ड विकास असोपर के ग्रामों में वर्ष 1998 में जिला उद्यान अधिकारी फतेहपुर द्वारा बागवानी पर व्यय विषयक जानकारी

27—श्री मुरलीधर–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को जानकारी है कि जनपद फतेहपुर के खण्ड विकास असोपर के ग्राम सरांय खलिस, कैडर, सरकण्डी, असोकर, उरोली, जमलामऊ, टिकरी, बसेड़ी, खनसेनपुर में वर्ष 1998 में जिला उद्यान अधिकारी फतेहपुर द्वारा बागवानी पर एक लाख पन्द्रह हजार पांच सौ रुपये व्यय किया गया जो सिर्फ कागजों में दर्शाया गया है ? क्या सरकार उसका भौतिक सत्यापन कराकर दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जी नहीं, जनपद फतेहपुर के खण्ड विकास असोपर के ग्राम सरांय खालिस, कैडर सरकण्डी, असोकर उरौली, जमलामऊ, टिकरी, बसेड़ी एवं खानसेनपुर में वर्ष 1998 में जिला उद्यान अधिकारी फतेहपुर द्वारा बागवानी पर वास्तविक रूप से रु० 1,15,312.00 व्यय किया गया ।

प्रश्न नहीं है ।

प्रश्न नहीं है ।

जिला उद्यान अधिकारी, फतेहपुर द्वारा वर्ष 1998 में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत अमरूद व आंवला के उद्यानीकरण की जानकारी

28—श्री मुरलीधर–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को जानकारी है कि जिला उद्यान अधिकारी फतेहपुर को सुनिश्चित रोजगार योजना में अमरूद व आंवला के उद्यानीकरण हेतु प्रथम चरण में 29.344 लाख रुपये वर्ष 1998 में प्रदान किये गये थे ? क्या यह सही है कि योजना में मानक के अनुसार खण्ड विकास में पंजीकृत मजदूरों से कार्य नहीं कराया गया ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी को दडिण्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जी हां ।

जिला उद्यान अधिकारी, फतेहपुर को सुनिश्चित रोजगार योजना में आंवला के उद्यानीकरण हेतु वर्ष 1998 में रु० 23.47 लाख प्रदान किया गया । अमरूद के उद्यानीकरण का कार्य योजनान्तर्गत नहीं था ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उद्यान अधिकारी फतेहपुर द्वारा वर्ष 1998 में विकास खण्ड धाता जनपद फतेहपुर में आंवला के बागों हेतु व्यय धनराशि एवं उसका सत्यापन

29—श्री मुरलीधर–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड धाता जनपद फतेहपुर में वर्ष 1998 में अमरूद एवं आंवला की बागों में उद्यान अधिकारी फतेहपुर ने 1,13,360 रुपये धनराशि व्यय किया है लेकिन किसी ग्राम में बाग नहीं लगाये गये ? क्या सरकार उसका भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जिला उद्यान अधिकारी, फतेहपुर द्वारा वर्ष 1998 में विकास खण्ड-धाता के ग्राम-गिरिया, चकिया, गुरसण्डी एवं खैरई में रु० 1,13,360 लाख व्यय करके 20 हैक्टर क्षेत्रफल में आंवला के बाग लगवाये गये ।

पूर्व में ही सत्यापन कराया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं है ।

प्रश्न नहीं है ।

जनपद मैनपुरी की सब्जी-मण्डियों हेतु जाने वाले चेक पोस्टों पर अवैध धन उगाही विषयक प्रश्नकर्ता के प्राप्त पत्र पर जाँच

30—श्री राम औतार शाक्य–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि प्रशासनिक अधिकारी/जांच अधिकारी, संभागीय कार्यालय, उप निदेशक (प्रशासन) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उ० प्र० कानपुर द्वारा प्रश्नकर्ता को प्रेषित पत्रांक क्षे०का०प्र० (जांच) 1110, दिनांक 5-5-1998 के क्रय में क्या परिणाम निकला ? क्या किसानों की स्वयं पैदा की गयी सब्जियों की बिक्री हेतु मैनपुरी जनपद से शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, आगरा, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, इलाहाबाद व बनारस से होकर ले जाते समय मण्डी समितियों में पड़ने वाले चेक पोस्टों पर किसानों से अवैधानिक तरीके से धन उगाही की जा रही है ? क्या सरकार इस तरह से की जा रही मनमानी वसूली को रुकवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हाँ ।

शिकायतों के साक्ष्य उपलब्ध न हो सकने की स्थिति में प्रशासनिक अधिकारी/जांच अधिकारी द्वारा शिकायत के बिन्दुओं से सम्बन्धित मण्डी समितियों में जाकर जांच की गयी । जांच में आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

जी नहीं ।

उल्लिखित मण्डी समितियों द्वारा अपने क्षेत्रों में न तो कोई चेक पोस्ट स्थापित किया गया है और न ही उनके द्वारा किसी अवैधानिक तरीके से धन उगाही की जा रही है ।

चूँकि जांच में अवैध वसूली किया जाना सिद्ध नहीं हो पाया, अतः प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि अवैधानिक तरीके से धन उगाही का मामला जांच के दौरान नहीं पाया गया ।

राजस्व नक्शे की त्रुटि को चकबन्दी विभाग में लोगों के कतिपय पदों पर नियुक्ति एवं नक्शे की त्रुटि की उच्च अधिकारी द्वारा जांच पर शासन का विचार

31–श्री राजधारी–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि भूमि संबंधी अधिकांश विवाद राजस्व नक्शे की त्रुटि के कारण होते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार चकबन्दी विभाग में ट्रेसर एवं ड्राफ्टमैन पद पर योग्यतम लोगों के चयन के लिए कोई नीति बना रही है ? क्या नक्शे में त्रुटि की नियमित जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी को सौंपने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं, बल्कि कुछ विवाद चकबंदी क्रियाओं के अन्तर्गत भू-चित्र की त्रुटि के कारण उत्पन्न होते हैं ।

उत्तर प्रदेश चकबंदी विभाग लिपिक और रेखांकन कर्मचारी की सेवा नियमावली वर्ष 1980 में योग्यता एवं चयन प्रक्रिया निर्धारित है ।

जी नहीं, भू-चित्र तैयार करने के उपरान्त उच्च अधिकारियों द्वारा जांच का प्राविधान जोत चकबंदी अधिनियम एवं नियमावली में दिया गया है ।

जनपद बलरामपुर, तहसील तुलसीपुर के गांवों के राजस्व नक्शों का उपलब्ध कराया जाना

32–श्री बिन्दू लाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर के किन-किन ग्रामों का राजस्व नक्शा कितने वर्षों से उपलब्ध नहीं है ? क्या इन ग्रामों का नक्शा उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

तहसील तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर के ग्राम रजवापुर, धनौढ़ा, जहानडीह, शिवचरनडीह, भानपुर, रमनगरा, तुरकोलिया तथा डुमरी कुल आठ राजस्व ग्रामों का राजस्व नक्शा उपलब्ध नहीं है । ग्राम रजवापुर का भू-चित्र चकबंदी प्रक्रिया के ठीक बाद लगभग 15 वर्षों से एवं रमनगरा लगभग 3 वर्षों से तथा धनौढ़ा आदि ग्रामों के राजस्व नक्शा लगभग 2 वर्षों से उपलब्ध नहीं है । ग्राम रजवापुर तथा ग्राम रमनगरा तहसील तुलसीपुर के राजस्व नक्शे पूर्व जनपद गोण्डा के अभिलेखागार व चकबंदी कार्यालय एवं चकबंदी अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं हैं शेष अन्य उपरोक्त धनौढ़ा आदि राजस्व ग्रामों का राजस्व नक्शा जिला अभिलेखागार, गोण्डा में उपलब्ध भूचित्र (नक्शा) से अनुरेखित कराये जा रहे हैं।

जनपद हरदोई, मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के बाढ़ ग्रस्त गांवों के बेघर परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु बनायी गयी सूची के अनुसार व्यवस्था

33–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के बाढ़ ग्रस्त गांवों के बेघर लोगों के परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने के लिए राजस्व विभाग के सर्वेक्षण में कुल ग्यारह गांव को बाढ़ ग्रस्त दिखाकर मात्र पैंतीस आवास लाभार्थियों की सूची खण्ड विकास अधिकारियों को सौंपी गई है ? क्या इस सूची में उन गांवों को भी शामिल किया गया है जिनमें बाढ़ का आंशिक असर भी नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार राजस्व विभाग द्वारा बनायी गयी

सूची को निरस्त कर अन्य किसी विभाग से सर्वेक्षण कराकर सभी बाढ़ ग्रस्त गांवों के पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद हरदोई के 91—मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के बाढ़ से प्रभावित गांवों के केवल पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने की सूची खण्ड विकास अधिकारियों को सौंपी गयी है ।

जी नहीं ।

चूंकि बाढ़ से प्रभावित गांवों के पात्र व्यक्तियों की ही सूची खण्ड विकास अधिकारियों को सौंपी गयी है इसलिए पुनः किसी अन्य विभाग से सर्वेक्षण कराने एवं बनायी गयी सूची को निरस्त करने का कारण नहीं बनता है ।

चम्पावत फल पट्टी प्रस्तावित योजना की जानकारी

34–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चम्पावत फल पट्टी योजना कार्यान्वित करने की सरकार की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इस योजना को कब से कार्य रूप दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जी हां ।

वर्ष 1997-98 से प्रारम्भ किया गया है जो 2002 तक पूरी हो जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर, राजस्व अधिकारी को, तहसील गौरीगंज उप प्रधान पहाड़गंज द्वारा, तालाब का फर्जी पट्टा विषयक शिकायती-पत्र

35–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व अधिकारी सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री भानु प्रताप शुक्ल, उप प्रधान पहाड़गंज, तह० गौरीगंज सुल्तानपुर का प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित दिनांक 28-12-98 का प्रार्थना-पत्र जिसमें तालाब का फर्जी कब्जा दिखाकर 122(4) के अन्तर्गत पट्टे का विरोध करने से संबंधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

श्री भानु प्रताप पाण्डेय उप प्रधान पहाड़गंज का दिनांक 28-12-98 का नहीं बल्कि दिनांक 26-12-98 का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ।

ग्राम पहाड़गंज, परगना अमेठी, तहसील–गौरीगंज में स्थित गाटा सं०–118 रकबा–1–10–0 जो राजस्व अभिलेख (खतौनी 1402 तथा 1407) के खाता सं०–545 पर अंकित गाटा सं०–118 कृषि योग्य बंजर के रूप में दर्ज है तथा मौके पर तालाब की शक्ल में है । विवादित भूमि घर शम्भू पुत्र अलगू द्वारा कब्जा के आधार पर 122 बी (4–एफ) का वाद दायर किया गया । स्थल जांच में वादी का कब्जा न पाये जाने के कारण वादी का दावा न्यायालय उप जिला अधिकारी, गौरीगंज द्वारा दिनांक 16-12-98 को खारिज कर दिया गया है एवं प्रश्नगत भूखण्ड ग्राम समाज सम्पत्ति के रूप में सुरक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नन्हे वर्मा, ग्राम पूरे राम सेवक, ग्राम सम्मावा, गौरीगंज, सुल्तानपुर को कृषि भूमि के पट्टे पर कब्जा

36–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व अधिकारी सुल्तानपुर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित श्री नन्हे वर्मा, ग्राम पूरे राम सेवक ग्राम सम्मावा, गौरीगंज, सुल्तानपुर का दिनांक 28-12-98 का प्रार्थना-पत्र जिसमें कृषि पट्टा का कब्जा न मिलने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसे कब्जा दिला दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

दिनांक 4-2-1999 को कब्जा दिला दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विनियमित क्षेत्र सदर सुल्तानपुर की बंजर (ग्राम समाज) भूमि पर अनाधिकृत कब्जा

37–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 31-12-98 को प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ संलग्न श्री भानु प्रकाश, सिविल लाइन सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र जिसमें विनियमित क्षेत्र सदर, सुल्तानपुर की कुछ बंजर (ग्राम समाज) की भूमि को अनाधिकृत रूप से कब्जा कर मकान बना लेने और जांच की गलत सूचना शासन को देने का आरोप है तथा जिसकी जांच हेतु मा० मंत्री जी ने कमिश्नर फैजाबाद को दिनांक 31-12-98 को प्रेषित किया है, पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जांचोपरान्त यह पाया गया कि उक्त मकान बंजर भूमि पर नहीं बल्कि खातेदार के भूमि पर बना है ।

जिला ललितपुर, ब्लाक/तहसील महरौली, ग्राम कुम्हैदी के निवासियों का पशु चिकित्सालय कुम्हैदी के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

38–श्री चेतराम–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 25-6-98 को ग्राम कुम्हैदी ब्लाक व तहसील महरौली जिला ललितपुर के आधे दर्जन निवासियों एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन परिषद् के सदस्यों का शिकायती-पत्र पशु चिकित्सालय कुम्हैदी के विरुद्ध प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके मुख्य बिन्दु क्या हैं ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

जी हां ।

शिकायती पत्रों में मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :—

1—श्री असलम खां (चौकीदार) ने बछड़े को बधिया करने हेतु पचास रुपया लिया ।

2—बछड़े का सही इलाज न होने के कारण घाव पक गया, कीड़े पड़ गये और दवा में रु० 500/- खर्च हुए ।

3—अधिकारियों के प्रति अपशब्द कहते हैं ।

4—व्यवहार कुशल नहीं है । गांव के मुसलमानों के साथ रहते हैं, किसी भी समय हिन्दू मुसलमान झगड़ा करा सकते हैं ।

संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये उक्त आरोपों की जांच कराई गई । जांच में आरोप आंशिक रूप से सही पाये गये जिसके लिये सम्बन्धित कर्मचारी को एक विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देकर अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

लखनऊ, हैबलक रोड पशु चिकित्सालय में श्री अद्या प्रसाद शुक्ला की वर्ष 1991 से पूर्व तैनाती का विवरण एवं वर्तमान आवास की स्थिति

39–श्री गोपाल कृष्ण–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 27 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित पशु औषधिक अपने पूरे सेवाकाल में कहां-कहां किन-किन जिलें में कितने-कितने समय तैनात रहे तथा वर्तमान आवास का उनके द्वारा किये जा रहे दुरुपयोग की जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी थी ? क्या सरकार सेवा अवधि तथा जांच संबंधी सम्पूर्ण रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

श्री अद्या प्रसार्द शुक्ला, पशु औषधिक अब तक निम्न स्थानों पर उनके सम्मुख अंकित अवधि में तैनात रहे हैं :—

पशु चिकित्सालय, रैसो (हरदोई)	07-12-68 से 30-10-72 तक
पशु चिकित्सालय, रहीमाबाद (लखनऊ)	01-11-72 से 30-7-80 तक
पशु चिकित्सालय, हैबलक रोड, लखनऊ	01-8-80 से 19-7-88 तक
पशु चिकित्सालय, सोहरामऊ (उन्नाव)	20-7-88 से 31-7-91 तक
पशु चिकित्सालय, नगराम (लखनऊ)	01-8-91 से 30-6-92 तक
पशु चिकित्सालय, हैबलक रोड (लखनऊ)	01-7-92 से अब तक

संबंधित पशु औषधिक द्वारा उन्हें आवंटित आवास का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है । अतएव जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

सेवा अवधि का विवरण ऊपर प्रस्तर–एक में अंकित कर दिया गया है । चूंकि आवास का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है । अतएव जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1998 में रिश्वत में गिरफ्तार उप निदेशक, पशुधन के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानकारी

40–श्री समर पाल सिंह–

क्या पशुधन विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद मेरठ में कार्यरत उप निदेशक पशुधन को अक्टूबर, 1998 में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था ? क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी

इस प्रकरण में 4-5 दिन जेल में भी रहे ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कोई विभागीय कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

जी हां ।

जी हां ।

सम्बन्धित उप निदेशक, पशुपालन को निलम्बित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अम्बेडकर नगर के उप जिलाधिकारी, श्री बी० पी० सिंह की नायब तहसीलदार/तहसीलदार के पद पर नियुक्ति की जानकारी

41—श्री चेतराम–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप जिलाधिकारी अम्बेदकर नगर श्री वी० पी० सिंह अम्बेदकर नगर में कितने वर्षों से नायब तहसीलदार, तहसीलदार अथवा उप जिलाधिकारी के रूप में नियुक्त हैं ? इस बीच इनके विरुद्ध कुल कितनी शिकायतें शासन को प्राप्त हुईं ? उन पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार उक्त उप जिलाधिकारी को हटाकर इसके कार्यकाल की जांच राजस्व परिषद् से करवाने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

श्री वी० पी० सिंह नाम का कोई नायब तहसीलदार/तहसीलदार अथवा उप जिलाधिकारी, जनपद अम्बेडकर नगर में नियुक्त नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर में वर्ष 1998 में राजस्व विभाग द्वारा तहसीलों/कलेक्ट्रेट में दैनिक, फिक्स पे अथवा तदर्थ नियुक्तियों की जानकारी

42–श्री अफरोज अली खां–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेदकर नगर में 1 जनवरी, 1998 से 30 नवम्बर, 1998 तक कुल कितने दैनिक, फिक्स पे अथवा तदर्थ नियुक्तियां तहसीलों या कलेक्ट्रेट में राजस्व विभाग द्वारा की गयी ? क्या सरकार इन अवैध नियुक्तियों की जांच करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

नवसृजित जनपद होने के कारण आवश्यक सेवाओं को देखते हुए स्वीपर, चौकीदार, माली तथा जलहारक की नियुक्ति 89=89 दिन के लिए की गयी है तथा तहसील अकबरपुर में एक चपरासी के रिक्त पद पर वी० आई० पी० प्रोग्राम आदि के लिए एक नियुक्ति 89 दिन के लिये की गई है ।

श्री अमिताभ श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर की मृत्यु के पश्चात् उनके भाई की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम निर्णय दिनांक 06 अक्टूबर, 1998 के अनुपालन में अहलमद, अपर तहसीलदार के पद पर मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका के अन्तिम निर्णय के अधीन की गयी है ।

जनपद की तहसील आलापुर में समय-समय पर सीजनल चपरासी के पद पर कार्यरत श्री प्रदीप कुमार सिंह से जीप चालक का कार्य लिया गया था । मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 23 फरवरी, 1998 के अनुपालन में श्री सिंह को दैनिक मजदूरी से रु० 11,092/- का भुगतान किया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश स्तर पर पशु चिकित्सा अस्पतालों पर कृत्रिम गर्भाधान के सीमन रखने हेतु खरीदे गये फ्रिज

43–श्री रामतेज यादव तथा श्रीमती माया प्रसाद–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के दूसरे गुरुवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं०–19 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या पशुधन विकास मंत्री को जानकारी है कि उक्त उत्तर के पैरा 5 के अनुसार फ्रिजों की आपूर्ति की पुष्टि होती है ? यदि हां, तो आपूर्ति कब और कितनी की गयी थी ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशोपरान्त जनपद व तहसील उन्नाव के संग्रह अमीनों की नियुक्तियों की स्थिति

44–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव की तहसील उन्नाव में सात संग्रह अमीनों ने माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ से स्थगन प्राप्त करने के अन्तर्गत केवल चार संग्रह अमीनों को ही वेतन भुगतान किया जा रहा है, जबकि सर्वश्री हरी प्रसाद, दिनेश कुमार तथा राम शरण संग्रह अमीनों को स्थगन आदेश प्राप्त करने के पश्चात् भी रिक्त पदों पर नियुक्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी नियुक्ति रिक्त पदों पर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

संग्रह अमीन सेवा नियमावली, 1974 का पांचवां संशोधन 1992 में ऐसे सीजनल संग्रह अमीनों को रिक्त 35 प्रतिशत पदों पर विनियमित करने की व्यवस्था है, जिन्होंने कम-से कम चार फसलों तक संतोषजनक कार्य किया हो । तद्नुसार बनाई गई पात्रता/ज्येष्ठता सूची में अर्ह न पाये जाने के कारण सर्वश्री हरी प्रसाद, दिनेश कुमार तथा राम शरण का नाम नहीं है । अतएव इन तीनों लोगों को नियमित पद पर नियुक्त करना सम्भव नहीं है ।

पंचायत अध्यक्षों, उनके सचिव के साथ समस्त स्तर पर सह खातेदारी की व्यवस्था के अनुसार क्षेत्र पंचायत स्तर पर भी उपरोक्त व्यवस्था लागू करने विषयक जानकारी

45–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि निर्वाचित पंचायतों के अध्यक्षों का उनके सचिव के साथ समस्त स्तरों पर सह खातेदार की व्यवस्था है किन्तु क्षेत्र पंचायत स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी का अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत के साथ सह खातेदार नहीं बनाया गया है ? यदि हां, तो क्षेत्र

पंचायत स्तर पर दोहरा मापदण्ड क्यों अपनाया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त को सह खातेदार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली) 1965 के नियम 62(1) में क्षेत्र निधि आहरण का अधिकार खण्ड विकास अधिकारी में निहित है ।

जी नहीं । उक्त नियमावली में दी गयी व्यवस्था पर्याप्त है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बजाज कमेटी के आधार पर जन प्रतिनिधियों को प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार सौंपने विषयक जानकारी

46–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 73वें व 74वें संविधान संशोधनोपरान्त बजाज कमेटी की अनुशंसाओं के आधार पर वर्णित प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार जन प्रतिनिधियों को सौंप दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उनका क्रियान्वयन निचले स्तर से लागू करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां । बजाज आयोग की संस्तुतियों का परीक्षण उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया गया । उच्च स्तरीय समिति की संस्ततियों के अनरूप अधिकारों तथा कत्यों का प्रतिनिधायन त्रिस्तरीय पंचायतों को कर दिया गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला व तहसील बांदा, ग्राम–बरेहटा में अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण हटाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र

47–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप जिलाधिकारी सदर बांदा को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-4-98 जो जिला व तहसील बांदा के ग्राम बरेहटा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित आबादी गाटा संख्या–255 व तालाब गाटा संख्या–252, 253 से अतिक्रमण हटाये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इटावा/औरैया, तहसील विधूना, ग्राम गोपियापुर में खेत खलिहान हेतु भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाना

48–श्री राम औतार शाक्य–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम गोपियापुर मौजा-कमारा तहसील-विधूना, जनपद इटावा/औरैया के अन्तर्गत चकबन्दी में छोड़ी गयी सार्वजनिक उपयोग की भूमि, खलिहान, खाद के गड्ढे एवं परिक्रमा मार्गों का अतिक्रमण करके काश्तकारों ने अपने खेतों में मिला लिया है ? यदि हां, तो

किस-किस ने ? क्या सरकार ने उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

ग्राम गोपियापुर मौजा कमारा के सार्वजनिक उपयोग के भूखण्ड सं०–442, 449, 458, 459, 478, 481, 484 को सर्वश्री राम प्रकाश, अर्जुन सिंह, पुत्र श्री काली चरन, बालादीन पुत्र सुमेर, दीवान सिंह, भूरे सिंह पुत्रगण बाबूराम, दीवान सिंह, पुत्र श्री बाबू राम, भूरे सिंह, राम दास पुत्रगण श्री बाबूराम बालादीन पुत्र श्री सुमेर, राम प्रकाश, अर्जुन सिंह, लाखन सिंह, पुत्रगण कालीचरन आदि द्वारा किये गये अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया है ।

जनपद मैनपुरी, ब्लाक सुल्तानपुर व बेवर में भूमि सुधार निगम द्वारा मानक के अनुसार नाला/पुलिया का निर्माण

49–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मैनपुरी के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव के ब्लाक सुल्तानगंज व बेवर में भूमि सुधार निगम के माध्यम से नाला खुदवाकर पुलियों का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य मानक के अनुसार कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्या कराये गये कार्य का भौतिक सत्यापन कराकर दोषी कार्यदायी संस्था को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में युवाओं को रचनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जोड़ने हेतु विभाग द्वारा युवा नीति/युवक मंगल दल का चुनाव

50—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के युवाओं को रचनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जोड़ने हेतु विभाग द्वारा कोई युवा नीति तैयार की गयी है ? क्या युवक मंगल दल के लम्बे अरसे से चुनाव नहीं कराये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त दलों को सक्रिय एवं रोजगार से जोड़ने हेतु क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

खेलकूद, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय विकास दल मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)–

प्रदेश के युवाओं को रचनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जोड़ने हेतु विभाग द्वारा युवा नीति का एक प्रारूप तैयार किया गया है जो अभी अनन्तिम रूप में है ।

युवक मंगल दल के चुनाव नियमित रूप से समय-समय पर होते हैं । यदि किसी दल का चुनाव समय से नहीं हुआ है तो उसका चुनाव, संज्ञान में लाये जाने पर कराया जायेगा ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में वर्ष 1998 की बाढ़ में नावों/नाविकों की बकाया मजदूरी दिलाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की मांग

51—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुक्त, गोरखपुर-मण्डल, गोरखपुर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-12-98 जो अगस्त, 1998 में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने के लिये जनपद बांदा के औगासी घाट की 20 नावों एवं उनके नाविकों की बकाया मजदूरी रु० 17,600/- दिलाये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

विस्तृत जानकारी की जा रही है ।

उ० प्र० मण्डी परिषद् में कार्यरत मण्डी सहायकों का वेतन एवं अनुमन्य सुविधायें

52—श्री गोपाल कृष्ण–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के प्रथम गुरुवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–5 के उत्तर के संबंध में क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में कितने मण्डी सहायक मण्डी परिषद् के अधीन कार्यरत हैं ? उनको प्रतिमाह कितना वेतन दिया जा रहा है ? क्या उन्हें मण्डी के अन्य कर्मचारियों की भांति तृतीय श्रेणी के अवकाश आदि अन्य सुविधायें दी जा रही हैं ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निवर्तमान मण्डी निदेशक द्वारा बड़े पैमाने पर मण्डी सहायकों को बजट के अभाव के नाम पर पर्याप्त मात्रा में सेवा करने के उपरान्त भी निकाला जा रहा है तथा उनके द्वारा इस संबंध में मांगी गयी आख्याओं पर मण्डी निदेशालय द्वारा जानबूझकर विलम्ब किया जा रहा ? यदि हां, तो क्या सरकार निदेशक के आदेश से की गयी नियुक्तियों को पुनर्जीवित करने पर विचार करेगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मण्डी परिषद् के अधीन मण्डी समितियों में कुल 1083 नियमित मण्डी सहायक कार्यरत हैं ।

नियमित मण्डी सहायकों को प्रतिमाह रु० 950–1500 का वेतमान दिया जा रहा है । मण्डी सहायक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं अतः उन्हें अनुमन्य सुविधायें दी जा रही हैं ।

जी नहीं ।

नियमित मण्डी सहायकों को सेवा से निकाला नहीं जा रहा है ।

शासन एवं मण्डी मुख्यालय (निदेशालय) स्तर से सम्भागीय कार्यालय एवं मण्डी समितियों से इस प्रकार की कोई आख्या नहीं मांगी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मदिरा बनाने वाले उद्योगों द्वारा अल्कोहल उठाने हेतु जमा धनराशि का विवरण एवं शीरा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत आरक्षण की व्यवस्था

53—श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मदिरा बनाने वाले उद्योगों द्वारा विगत दो वर्षों में कितने अल्कोहल का उठान किया गया ? क्या देय राजस्व के हिसाब से उद्योगों द्वारा पैसा जमा किया गया ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो नियमानुसार पैसा न जमा कर रहे उद्योगों को शीरे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये शीरे का आरक्षण किस निहित उद्देश्य से किया गया ? क्या यह

भी बतायेंगे कि उद्योगों को सहआसवनी युक्त उद्योगों का दर्जा कैसे व किन नियमों के अधीन दिया गया ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मदिरा बनाने वाले उद्योगों (पेय मदिरा उत्पादन करने वाली आसवनियों) द्वारा विगत दो वर्षों (वर्ष 1996-97 व 1997-98) में क्रमशः 1570.19 एवं 1769.85 लाख बल्क लीटर अल्कोहल का उत्पादन किया गया तथा उक्त वर्षों में क्रमशः 939.16 एवं 1186.58 लाख बल्क लीटर अल्कोहल का उपयोग पेय मदिरा के निर्माण में किया गया । अल्कोहल पर आधारित एफ० एल० 39 उद्योगों द्वारा माननीय न्यायालयों से प्राप्त स्थगनादेशों में निहित धनराशि को छोड़कर वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में देय राजस्व की धनराशि क्रमशः रु० 4,88,41,801.38 तथा रु० 5,34,84,184.32 जमा की गई है । उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत उद्योगों को शीरे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये शीरे का आरक्षण किया गया है । अल्कोहल पर आधारित उन रसायनिक उद्योगों, जिनकी अपनी आसवनी है, को सहआसवनी युक्त उद्योग कहा जाता है ।

भारत सरकार द्वारा पेय मदिरा निर्माण की क्षमता बढ़ाने पर रोक की नीति के अन्तर्गत आसवनियों की क्षमता में की गई वृद्धि का विवरण

54—श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1975 में भारत सरकार ने पेय मदिरा निर्माण की क्षमता बढ़ाने पर रोक लगाई थी ? यदि हां, तो क्या कुछ पेय मदिरा निर्माण आसवनियों/मिश्रित आसवनियों की क्षमता बढ़ाई गई है ? यदि हां, तो किन-किन आसवनियों की कितनी-कितनी अधिष्ठापित क्षमता बढ़ाई गई है ? इसके लिये दोषी कौन है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

भारत सरकार ने नवम्बर, 1975 में निर्णय लिया था कि शत प्रतिशत निर्यात मूलक इकाइयों के अलावा पेय मदिरा की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का सृजन नहीं किया जायेगा । उत्तर प्रदेश में पुरानी आसवनियों के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा आसवनियों में औद्योगिक अल्कोहल की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की अनुमति देने की नीति निर्णय अप्रैल, 1991 में लिया गया था । इस निर्णय के अन्तर्गत निम्नलिखित आसवनियों की अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि की अनुमति प्रदान की गई है :—

क्रमांक	आसवनी का नाम	पूर्व वार्षिक क्षमता (लाख ली० में)	वर्तमान में क्षमता (लाख ली० में)	क्षमता विस्तार की अनुमति का दिनांक
1	2	3	4	5
1	मे० सराया आसवनी, सरदारनगर, गोरखपुर	270.00	340.20	6-1-92
2	मे० केशर इण्टरप्राइजेज लि० आसवनी, बहेड़ी, बरेली	102.20	130.92	17-5-91
3	मे० शामली डिस्टलरी एण्ड केमिकल वर्क्स लि० मुजफ्फरनगर	54.56	73.64	2-2-95
4	मे० नारंग इण्डस्ट्रीज लि० नवाबगंज, गोण्डा	81.76	107.11	20-4-92
5	मे० दूनवैली आसवनो, देहरादून	20.5	38.00	22-7-94
6	मे० रामपुर आसवनी, रामपुर	260.00	335.00	15-5-91

पशुपालन विभाग में उप निदेशक पद पर प्रोन्नति

55—श्री समरपाल सिंह–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन विभाग में उप निदेशक के पद पर प्रोन्नति हेतु 27 जुलाई, 1998 को डी० पी० सी० हुई थी ? यदि हां, तो कितने अधिकारी प्रोन्नति किये गये ? उनके नाम क्या हैं ? क्या यह प्रोन्नतियां डी० पी० सी० द्वारा अनुमोदित सूची से वरिष्ठता क्रम में की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की गरीब जनता को शीत लहर से बचाने के उपाय एवं इससे मृतक आश्रित को मुआवजा दिया जाना

56—श्री समरपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की गरीब जनता को भयंकर शीत लहर की चपेट से बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये ? प्रदेश में शीत लहर से कितने लोगों की मृत्यु हुई ? क्या सरकार ने इन मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिया ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रदेश की गरीब जनता को भयंकर शीतलहर की चपेट से बचाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को मैदानी क्षेत्र के लिये रु० 60 हजार तथा पहाड़ी क्षेत्र के लिये रु० 80 हजार प्रति जनपद के हिसाब से रु० 52,20,000/- की धनराशि आवंटित की गयी तथा आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में अलाव जलाने तथा गृह विहीनों को निःशुल्क कम्बल बांटने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये । शीत लहरी के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए निराश्रितों/गृह विहीनों हेतु महानगरों में अस्थाई नाइट शैल्टर्स की व्यवस्था करने के लिए रु० 50 हजार की धनराशि प्रति महानगर के हिसाब से आवंटित की गयी है ।

तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ।

नहीं ।

एक मृतक के वारिसान न होने के कारण तथा दो व्यक्तियों को अज्ञात होने के कारण मृतकों के आश्रितों को अनुमन्य अनुग्रह अनुदान नहीं दिया जा सका है ।

जनपद सीतापुर, विकास खण्ड पिसांवा ग्राम सरोसा की ग्राम प्रधान पर कतिपय आरोपों की जांच

57—श्री उदयराज यादव–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पिसांवा के ग्राम सरोसा की ग्राम प्रधान श्रीमती रामपती द्वारा ग्राम सभा में पूर्व से बना हुआ पंचायत भवन तोड़कर उसमें से निकला हुआ सारा ईंटा सरिया लगभग 6 कुन्तल अपने जेठ रामनाथ के घर सीतापुर में लगवा दिया और आज तक पंचायत भवन का निर्माण नहीं कराया गया ? क्या इसकी जांच कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त ग्राम प्रधान द्वारा पेयजल समस्या के निदान हेतु सरकार द्वारा आये हुए नलों में से एक नल अपने घर के अन्दर तथा एक बाहर और एक अपने जेठ रामनाथ के घर सीतापुर में लगवा दिया और पात्र व्यक्तियों के यहां पेयजल समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई

है ? क्या उसकी जांच सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि प्रधान द्वारा अपने दरवाजे पर अपनी सास के नाम से एक कालोनी का निर्माण करा लिया है ? क्या उसकी भी जांच सरकार द्वारा कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जांच कराई गई, जाचं में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम सरोसा में प्राइमरी पाठशाला के प्रांगण में बहुत पुराने समय का बना हुआ जीर्ण-शीर्ण दशा में पंचायत भवन था जिससे स्कूल के बच्चों को जान का खतरा पैदा हो गया था । अतः प्रस्ताव के आधार पर जीण-शीर्ण भवन को गिराकर उसमें से निकाला गयी ईंटों का प्रयोग ग्राम में 105 मीटर लम्बे खड़ण्जा निर्माण के रूप में किया गया है । भवन से निकाली गई पुरानी 65 बड़ी व छोटी सरिया तथा पांच टूटी-फूटी लकड़ी की खिड़की व दो छोटे जंगले ग्राम क क्षेत्र पंचायत सदस्य की देख-रेख में सुरक्षित पाये गये ।

पेयजल की समस्या नहीं है । जांच कराई गई, जो निराधार पाई गई ।

जी नहीं । जांच कराई गई जो निराधार पायी गयी ।

जनपद हरदोई, थाना सण्डीला, ग्राम तिलोइया के शहजादे पुत्र स्व० साहिब के मकान/सहन पर हुए जबरदस्ती कब्जे की जानकारी

58—श्री अशोक कुमार सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहजादे पुत्र स्व० साहिब, ग्राम तिलोइया खुर्द, मजरा–तिलोइया कला थाना–सण्डीला, जिला हरदोई के पुत्र श्री जब्बार अली ने एक जमीन 68 वर्ग मीटर दिनांक 12-5-98 को उक्त ग्राम के ही श्री साबिर अली पुत्र स्व० सुभान अली को बेचा था ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि क्रेता साबिर अली ने जमीन की आड़ में माह अक्टूबर, 1998 में श्री शहजादे के मकान व सहन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और उसमें दुकान खोल ली है ? यदि हां, तो क्या सरकार पीड़ित व्यक्ति को मकान व सहन पर हुए जबरदस्ती कब्जे को हटवाकर उसको वापस दिलवायेगी और विपक्षी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम दुलारे पुत्र ओरोराम, ग्राम मोहनपुर, ओरीपुर के पुस्तैनी मकान को लेखपाल द्वारा कृषि पट्टा कर देने विषयक उप जिलाधिकारी को दिये गये पत्र पर कार्यवाही

59—श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि राम दुलारे पुत्र ओरोराम ग्राम मोहनपुर ओरीपुर, तहसील गौरीगंज, सुल्तानपुर का दिनांक 30-10-98 का प्रार्थना-पत्र जिसमें गाटा सं०–597 में पुस्तैनी बने मकान को लेखपाल द्वारा बगैर किसी जांच के कृषि पट्टा कर देने की शिकायत है, उप जिलाधिकारी, गौरीगंज, सुल्तानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

दिनांक 30-10-98 का उक्त प्रार्थना-पत्र गाटा सं०–597 के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ।

गाटा संख्या–597 के जिस अंश पर राम दुलारे का अनाधिकार कब्जा है, उसका पट्टा नहीं हुआ है । गाटा सं०–597 में अवैध कब्जे के विरुद्ध 122 बी की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा तहसील गौरीगंज के कथित ग्रामों की ग्राम समाज की भूमि को फर्जी खाते में कायम करने की जांच हेतु मुख्य राजस्व अधिकारी को दिये गये पत्र पर कार्यवाही

60—श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर का मुख्य राजस्व अधिकारी, सुल्तानपुर को दिनांक 22-12-98 का पत्र जिसमें तहसील गौरीगंज के ग्राम पूरे चेतई व ताल भसियांव के खतौनी में ग्राम समाज की भूमि को फर्जी खाते कायम कर चालू चकबन्दी को नियमित कराने की जांच का उल्लेख है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

उक्त प्रकरण से सम्बन्धित चकबन्दी एवं तहसील अभिलेखों के समस्त खातों की जांच का कार्य कराया जा रहा है । चूंकि प्रकरण किसी व्यक्तिगत खाते से सम्बन्धित नहीं है । अतः उक्त ग्रामों के सभी खातों की जांच में न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों की पत्रावलियों से मिलान बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी एवं उप जिलाधिकारी, गौरीगंज के माध्यम से तहसील अभिलेखों से कराई जा रही है । जांच कार्य प्रगति पर है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर, ग्राम राजापुर कोहार, उप जिलाधिकारी द्वारा श्री अमरनाथ को किये गये पट्टे में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

61—श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम राजापुर कोहार, तहसील गौरीगंज, जनपद सुल्तानपुर के गाटा संख्या–389 का उप जिलाधिकारी, गौरीगंज द्वारा श्री अमरनाथ ग्रामवासी के नाम पट्टा दे दिया गया है ? क्या इस भूमि पर बद्री प्रसाद के कई वर्षों पूर्व के पेड़ मौजूद हैं ? क्या इन्हीं अमरनाथ के नाम इसी गांव में और भी गाटों के इसी रूप में पट्टा किया गया है ? यदि हां, तो उक्त पट्टे देने के क्या आधार हैं ? क्या सरकार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी तथा गलत ढंग से किये गये पट्टे निरस्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

गाटा सं० 389 का वृक्षारोपण पट्टा सावित्री देवी पत्नी अमरनाथ को दिया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त पट्टा अनियमित पाया गया जिसके लिये दोषी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है । पट्टे को अनियमित मानते हुए निरस्तीकरण की कार्यवाही सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।

न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी, तहसील रामनगर, ग्राम धौखरिया के खलियान से अवैध कब्जेदारों को हटाने की मांग

62—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम धौखरिया, तहसील रामनगर, जिला बाराबंकी के सार्वजनिक खलियान गाटा सं० 726 पर किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में तत्कालीन परगना अधिकारी द्वारा मुकदमा सं० 81 में दिनांक 27-8-80 को दिये गये निर्णयानुसार 115–सी की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? सार्वजनिक हित में उक्त खलिहान से अवैध कब्जेदारों को कब तक हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

गाटा सं०–726 क्षेत्रफल 0.228 हे० पर अतिक्रमणियों के विरुद्ध उ० प्र० ज० वि० एवं भू० व्य० अधिनियम की धारा 122 बी एवं संगत नियमावली के नियम–115 सी के अन्तर्गत सहायक कलेक्टर/तहसीलदार, रामनगर, बाराबंकी के न्यायालय में तीन पृथक-पृथक वाद संस्थित किये गये जो दिनांक 24-4-97, 2-7-97 व 30-6-97 को निर्णीत हुए जिसके द्वारा अतिक्रमणियों के विरुद्ध निर्गत नोटिस–49 "क" न्यायालय द्वारा वापस ले लिये गये । गांव सभा की ओर से बाजदायर प्रार्थना-पत्र दिनांक 9-2-99 को दिये गये हैं, जो अभी लम्बित हैं ।

उत्तर प्रदेश में मदिरा बनाने वाली फर्मों की संख्या/अल्कोहल की खपत

63—श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि प्रति लीटर अल्कोहल की खपत पर 1.05 पैसे विभिन्न प्रकार से राजस्व के रूप में इन उद्योगों से प्राप्त होता है ? उ० प्र० में कुल कितने मदिरा बनाने वाली फर्म हैं, और इन फर्मों में कितना-कितना राजस्व उपरोक्त के हिसाब से विगत दो वर्षों में प्राप्त हुआ ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां । उत्तर प्रदेश में अल्कोहल पर आधारित उद्योगों, जिन्हें आबकारी विभाग द्वारा एफ० एल० 39 प्रपत्र में अनुज्ञापन स्वीकृत है, के द्वारा औद्योगिक अल्कोहल की खपत करने पर प्रथम 10.00 लाख लीटर तक के उपभोग पर 80 पैसे प्रति बल्क लीटर की दर से परचेज टैक्स, 15 पैसे प्रति बल्क लीटर की दर से लाइसेंस फीस एवं 10 पैसे प्रति बल्क लीटर की दर से डिनेचुरेशन फीस अर्थात कुल 1.05 पैसा प्रति बल्क लीटर की दर से राजस्व प्राप्त होता है । वर्तमान में मदिरा बनाने वाली कुल तेईस आसवनियां उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं । इन 23 पेय मदिरा निर्माण करने वाली आसवनियों से लाइसेंस फीस तथा आबकारी अभिकर के रूप में वर्ष 1996-97 में 50,96,42,848.00 रुपये तथा 1997-98 में 60,76,30,506.00 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था ।

मण्डी परिषद् के अधिकारियों के यहां वर्ष 1996-97 में मारे गये छापों के दौरान प्राप्त धन एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही

64—श्री राम ललित चौधरी–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1996-97 में तत्कालीन निदेशक, मण्डी परिषद् एवं उनके सचिव तथा मण्डी परिषद् के तत्कालीन मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध कोई छापा मारा गया था कुछ अवैध धन की प्राप्ति हुई थी ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? उन्हें पुनः सेवा में किस आधार पर बरकरार रखा गया है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां। श्री रामजीत राम निजी सचिव/प्रशासनिक अधिकारी की मेज की दराज से रु० 50,000/- की धनराशि प्राप्त हुई थी।

श्री रामजीत राम निजी सचिव/प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध आयकर विभाग द्वारा जांच की जा रही है। सतर्कता अधिष्ठान से भी इनके आय/आचरण के सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

सेवा से पृथक नहीं किया गया था, अतः सेवा में पुनः रखने का प्रश्न नहीं उठता।

65—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना–

[दि० 11-2-99 को अता० प्र० सं० 65 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में चकबंदी लेखपालों की भर्ती में आरक्षण नीति का अनुपालन एवं उसकी प्रक्रिया की जानकारी

66—श्री राम औतार शाक्य–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार प्रदेश में वित्तीय वर्ष 1998-99 एवं 1999–2000 में कितने चकबन्दी लेखपालों की भर्ती करने जा रही है और उसकी प्रक्रिया क्या होगी ? क्या सरकार उक्त भर्ती में आरक्षण नीति का अनुपालन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

वर्ष 1998-99 हेतु 651 पदों पर चकबन्दी लेखपाल प्रशिक्षण हेतु चयन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 1999–2000 में चयन का अभी प्रस्ताव नहीं है।

चकबन्दी लेखपाल सेवा नियमावली एवं सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत चयन की कार्यवाही की जायेगी।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में राजस्व विभाग के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

67—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद मैनपुरी में राजस्व विभाग में कई एस० के० नायब तहसीलदार, आर० ओ० एवं एडीशनल कलेक्टर तथा चकबन्दी अधिकारी/सहायक चकबन्दी अधिकारी, बन्दोबस्त चकबन्दी अधिकारियों की रिक्तियां चल रही हैं ? यदि हां, तो कितनी-कितनी और कब से ? क्या सरकार उक्त रिक्तियों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

जनपद मैनपुरी में रिक्त पदों का विवरण निम्नलिखित है :—

क्र०सं०	पद	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति का दिनांक
1	एस० के० (राजस्व नि०)	10	03-6-98
2	नायब तहसीलदार	05	12-1-98
			07-5-98
			08-6-98
3	आर० ओ०	01	31-7-98
4	एडीशनल कलेक्टर	01	18-8-98

क्र०सं०	पद	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति का दिनांक
5	चकबन्दी अधिकारी	03	01-4-98
6	सहा० चकबन्दी अधिकारी	12	01-4-98
7	बन्दोबस्त अधिकारी	डिप्टी कलेक्टर मैनपुरी इस पद का कार्य देख रखे हैं।	

शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बाराबंकी, तहसील रामनगर, ग्राम धौखरिया के तालाब के पट्टे को निरस्त कर नवीनीकरण करने विषयक जानकारी

68—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम धौखरिया, तह०–रामनगर, जनपद–बाराबंकी के वर्तमान परगना अधिकारी द्वारा तालाब संख्या–697 का अवैध रूप से दिनांक 18 दिसम्बर, 1998 को नवीनीकरण किया गया है ? क्या उसी तालाब को पूर्व परगनाधिकारी द्वारा दिनांक 16 नवम्बर, 1996 को निरस्त किया जा चुका था ? यदि हां, तो नवीनीकरण किन-किन परिस्थितियों में किया गया है ? क्या उक्त तालाब का वास्तविक क्षेत्रफल 50 बीघे से अधिक है ? इसके लिये कौन दोषी है तथा इस प्रकरण पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्नगत तालाब के पट्टे का नवीनीकरण दिनांक 28 सितम्बर, 1998 को किया गया है।

प्रश्नगत तालाब का पट्टा दिनांक 16 नवम्बर, 1996 को नहीं बल्कि दिनांक 18-11-95 को निरस्त किया गया।

पट्टे की अवधि समाप्त होने के पश्चात् पट्टेदार द्वारा नवीनीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 28-9-98 को नवीनीकरण आदेश निर्गत किया गया है।

जी नहीं, तालाब का क्षेत्रफल 9 बीघा 18 बिस्वा है।

कोई दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा, गोवर्धन में खाद/पोटाश उपलब्ध कराने विषयक विधायक कोष्ठक के प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

69—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मथुरा के गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र में डी० ए० पी० यूरिया खाद एवं पोटाश को उपलब्ध कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक मी०एम०/वि०को०/एम–3/1575/मथुरा/98, दिनांक 29-10-98 कृषि उत्पादन आयुक्त को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां।

जनपद मथुरा में उर्वरकों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गयी थी। दिनांक 27-1-99 तक जनपद मथुरा में डी० ए० पी० की उपलब्धता 15150 मी० टन लक्ष्य के विरुद्ध 13220 मी० टन, यूरिया की उपलब्धता 43000 मी० टन लक्ष्य के विपरीत 39226 मी० टन एवं एम० ओ० पी० की

उपलब्धता 1500 मी० टन लक्ष्य के विपरीत 186 मी० टन थी जो निर्धारित लक्ष्य का क्रमशः 87, 90 एवं 12.04 प्रतिशत है ।

जनपद लखनऊ, परगना व तहसील मोहनलालगंज में अधिग्रहीत भूमि का कथित रकबा मुक्त करने हेतु राजस्व परिषद् के विचाराधीन प्रस्ताव

70—श्री चेतराम–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मऊ, परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ की भूमि विज्ञप्ति संख्या–12-3-(3)/80-709-2-9, लखनऊ, दिनांक 10 मार्च, 1981 द्वारा अधिग्रहीत की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वर्ष 1990 में उप जिलाधिकारी, मोहनलालगंज, लखनऊ ने मौके की जांच में पाया कि उक्त भूमि के 6 बिस्वा 6 विश्वांसी पर रामप्यारे का मकान बना है जिसके कारण इस अधिग्रहण से उक्त भवन रकबा 6 बिस्वा 6 विस्वांसी मुक्त करने का प्रस्ताव जिलाधिकारी, लखनऊ ने राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन को भेजा था ? क्या उक्त भूमि अधिग्रहण से मुक्त कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

उक्त प्रस्ताव भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद् लखनऊ के विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के पर्वतीय उप संवर्ग वर्ग–2 विकास शाखा में प्राविधिक सहायक के पदों के सम्बन्ध में जानकारी

71—श्री भारत सिंह रावत–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय उप संवर्ग में वर्ग–2 विकास शाखा में प्राविधिक सहायक के 15 पद स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो इन पदों में कितने-कितने पद पदोन्नति तथा सीधी भर्ती के हैं ? उक्त पदों पर नियमावली के अन्तर्गत कितनी पदोन्नति की गयी ? यदि अधिक पदोन्नतियां की गयी है, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रमसिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

72—श्री रंग बहादुर पटेल–

[दिनांक 11-2-99 को अता० प्र० सं०–112 द्वारा उत्तरित]

73—श्री राम सेवक सिंह तथा श्री जोखू लाल यादव–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

74—श्री अब्दुल मन्नान–

[दिनांक 11-2-99 को अता० प्र० सं०–53 द्वारा उत्तरित]

जनपद फतेहपुर, शराब की दुकानों द्वारा बिल बाउचर उपलब्ध न कराया जाना

75—श्री मुरलीधर–

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि जनपद फतेहपुर में शराब की दुकानों में खरीददार को बिल बाउचर मांगने पर भी नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

उत्तर प्रदेश आबकारी के नियमों में शराब के खरीददार को बिल बाउचर दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। उत्तर प्रदेश आबकारी (समस्त लाइसेंसधारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली सामान्य शर्त (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976 के नियम 350(12) के अनुसार लाइसेंसधारी अपनी दुकान में बिक्री के लिये उपलब्ध सभी ब्राण्ड की विदेशी शराब की एक सूची, जिसमें उनका फुटकर मूल्य भी दिया जाता है, प्रदर्शित किये जाने की व्यवस्था है। जनपद फतेहपुर में प्रत्येक आबकारी दुकान में रेट लिस्ट लगी रहती है। खरीददार को बिल बाउचर देने का प्राविधान आबकारी नियमों के अन्तर्गत नहीं है।

जनपद फतेहपुर में शराब बिक्री लाइसेंस की संख्या एवं बेची जा रही शराब की जानकारी

76—श्री मुरलीधर–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में कितने लोगों को शराब बिक्री का लाइसेन्स दिया गया है ? क्या यह सही है कि शराब लाइसेन्स मालिकों द्वारा स्वयं की बनाई गयी देशी शराब की बिक्री की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

वर्ष 1998-99 हेतु जनपद फतेहपुर में 15 व्यक्तियों को मदिरा की फुटकर बिक्री हेतु अनुज्ञापन दिये गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर, अम्बेडकर ग्रामों में शराब की संचालित दुकानों के लाइसेन्स/टेण्डर एवं नीलामी नियमावली के अनुसार निरस्त करने की व्यवस्था

77—श्री मुरली धर–

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि अम्बेडकर ग्राम घोषित ग्रामों में शराब की दुकान न खोलने का शासनादेश सरकार ने जारी किया है ? यदि हां, तो फिर जनपद फतेहपुर के अम्बेडकर ग्रामों में शराब की दुकानें क्यों संचालित हैं ? क्या ऐसे दुकानों के लाइसेन्स निरस्त किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

शासनादेश संख्या–2588/तेरह–95–101/95, दिनांक 22-9-95 के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्रामों तथा दलित बस्तियों में स्थित देशी/विदेशी मदिरा तथा भांग की दुकानों को स्थानीय जिला प्रशासन के सहयोग एवं सम्बन्धित आबकारी ठेकेदारों की सहमति से बिना शासकीय राजस्व प्रभावित किये अन्यत्र नियमानुकूल स्थल पर स्थानान्तरित कराये जाने का निर्देश दिया गया है।

वर्ष 1998-99 के लिये घोषित अम्बेडकर ग्रामों में से 20 ग्रामों में मदिरा की दुकानें स्थित थीं, जिनमें से 19 दुकानें उपयुक्त स्थानों पर स्थानान्तरित/बन्द की जा चुकी हैं। मात्र एक दुकान देशी शराब गाजीपुर की उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरित की जानी शेष हैं।

उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) के प्राविधानानुसार अन्य दुकानों के साथ समूह में नीलाम की गई उक्त दूकान का लाइसेन्स निरस्त किया जाना नियमानुकूल नहीं है ।

जनपद शाहजहांपुर, ब्लाक कलान में बाढ़ राहत की सुविधा ग्रामीणों को दिलाये जाने की जानकारी

78—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 10-10-98 या इसके आसपास जो बाढ़ राहत से वंचित ग्रामीणों को सुविधा दिलाने के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार बाढ़ राहत से वंचित उक्त ब्लाक कलन के ग्रामीणों को सुविधा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मा० मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-10-98 प्राप्त हुआ था जो आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को भेजा गया है ।

ब्लाक कलान के बाढ़ प्रभावित ग्रामों के ग्रामीणों को आटा 25.5 कु०, नमक 0.83 कु०, माचिस 167 पीस, दाल 33.50 कु० मोमबत्ती 336 पीस, चना 0.50 कु०, गुड़ 0.50 कु०, मिट्टी का तेल 4000 लीटर तथा 1627 प्रभावितों में 1060 कु० गेहूं का बीज निःशुल्क वितरित किया गया तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों का लगान माफ कर दिया गया है ।

जनपद शाहजहांपुर, तहसील तिलहर, ग्राम सभा अन्तपुर के बाढ़ पीड़ितों को राहत दिलाने विषयक प्रश्नकर्ता के प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

79—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-11-98 या इसके आसपास जो ग्राम सभा अन्तपुर, तहसील–तिलहर, जिला–शाहजहांपुर के बाढ़ पीड़ितों को राहत दिलाये जाने के सम्बन्ध में था, जिला अधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? क्या उस पर जिला अधिकारी, शाहजहांपुर ने पत्रांक 1690, दिनांक 18-11-98 को परगना अधिकारी, तिलहर को आवश्यक कार्यवाही के लिये निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो परगना अधिकारी ने उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की ? क्या सरकार बाढ़ पीड़ितों को राहत दिलाने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

मा० प्रश्नकर्ता के पत्र पर स्थलीय जांच तहसीलदार तिलहर द्वारा करायी गयी, जांचोपरान्त यह पाया गया कि ग्राम अचिन्तपुर के पात्र व्यक्तियों को गृह अनुदान, अहेतुक सहायता, अनुग्रह अनुदान, खाद्य सामग्री, मिट्टी का तेल एवं गेहूं के बीज का वितरण किया गया है ।

ग्राम अचिन्तपुर के बाढ़ से प्रभावित पात्र 74 व्यक्तियों को रु० 1,06,000/- अनुदान, 75 व्यक्तियों को रु० 75,000/- अहेतुक सहायता, एक व्यक्ति को रु० 500/- अनुग्रह अनुदान वितरित किया गया तथा 14.5 कु० आटा, 10.5 कु० दाल, 3.75 कु० चावल, 0.50 कु० आलू, 300 लीटर मिट्टी का तेल तथा 80 व्यक्तियों को 68.10 कु० गेहूं के बीज वितरित किया गया है । नियमानुसार बाढ़ प्रभावित अन्य ग्रामों में पर्याप्त राहत सामग्री वितरित करायी जा चुकी है ।

ग्राम पंचायत बिजोली के मजरा प्रेमनगर, मथुरा में पंचायत घर निर्माण की जानकारी

80—श्री अजय कुमार पोइया—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत बिजोली के मजरा प्रेमनगर, मथुरा में पंचायत भवन बनाने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–3/15655/मथुरा/98, दिनांक 31-8-98 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री धर्मपाल सिंह—

जी हां।

पंचायत घर का निर्माण कराया जा चुका है।

जनपद सीतापुर, मण्डी परिषद् के कथित सम्पर्क मार्ग का निर्माण

81—श्री राम ललित चौधरी—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–सीतापुर मण्डी परिषद् के अन्तर्गत मन्डयापुर चौबेपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण में की गयी अनियमितताओं एवं मार्ग की मोटाई मानक से कम होने की शिकायतें वर्ष 1998 में मण्डी परिषद् को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन शिकायतों के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में सरपंचों को मजिस्ट्रेट के अधिकार

82—श्री समरपाल सिंह—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्रदेश में सरपंचों की अदालतें फिर से कायम करने और सरपंचों को मजिस्ट्रेट के अधिकार देने का निर्णय लिया है ? यदि हां तो उसका क्या प्रारूप है ? क्या न्याय पंचायत में विधिक सलाहकार भी नियुक्त होंगे ? यदि हां तो क्या विधिक सलाहकार की सलाह सरपंचों को बाध्यकारी होगी ?

श्री धर्मपाल सिंह—

जी हां। संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (यथा संशोधित) की धारा–52 के अन्तर्गत न्याय पंचायतों को कतिपय मजिस्ट्रेटी अधिकार दिये गये हैं।

न्याय पंचायतों के गठन का प्राविधान उक्त अधिनियम की धारा–42 से 49 तक में दिया गया है।

उक्त अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़, वर्ष 1997-98 दैवीय आपदा/भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को पुनर्वास की व्यवस्था

83—श्री विशन सिंह चुफाल—

क्या राजस्व सहायता एवं पुनर्वास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1997-98 में दैवीय आपदा व भू-स्खलन से कुल कितने गांव प्रभावित हुए ? क्या इन प्रभावित परिवारों को तराई में पुनर्वास किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1997-98 में दैवी आपदा व भूस्खलन से कुल 43 गांव प्रभावित हुए।

विचारोपरान्त यथासमय आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद पिथौरागढ़, ग्राम पंचायत धारचूला देहात के विस्थापित परिवारों को बसाने हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रकरण

34—श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या राजस्व सहायता एवं पुनर्वास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम पंचायत धारचूला देहात के काश्तकारों की जमीन राष्ट्रीय प्रयोजन हेतु कितने परिवारों की अधिग्रहीत की गयी है ? क्या प्रभावित परिवारों को पुनर्वास किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम–धारचूला देहात के लोग देवल हाट, दिनकाना, मामाखेत, बगीचा, ग्वाल गांव तथा तड़कोट के 250 परिवारों की 136.022 एकड़ भूमि वर्ष 1971-72 में राष्ट्रीय प्रयोजन (सुरक्षा विभाग के सक्रिय प्रयोजन) हेतु अधिग्रहण की गई है।

नहीं। इसी क्षेत्र में स्थित 127 आवासीय भवन हेतु 3.059 एकड़ भूमि के अभिनिर्णय का प्रस्ताव राजस्व परिषद् को भेजा गया, परन्तु निर्धारित सीमा के अन्तर्गत एवार्ड घोषित न होने के कारण भू-अर्जन की सम्पूर्ण कार्यवाही स्वतः समाप्त हो गई। सुरक्षा विभाग द्वारा 3.059 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने का नया प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया। पूर्व में 250 परिवारों के पुनर्वास हेतु जिला उधम सिंह नगर के तहसील खटीमा के गड़ीगोठ में भूमि का चयन किया गया था परन्तु विस्थापित परिवार इस भूमि में बसने को तैयार नहीं हुए। साथ ही चयनित भूमि वन भूमि होने के कारण राजस्व विभाग को हस्तान्तरित नहीं हो पाई।

जनपद सुल्तानपुर, तहसील गौरीगंज, ग्राम पुराना बटहा मजरे भानमतीपुर के निवासियों को परेशान करना एवं 122 बी कार्यवाही विषयक प्रश्नकर्ता के प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

85—श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप जिलाधिकारी, गौरीगंज, सुल्तानपुर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित दिनांक 6-12-98 का पत्र जो श्री करुणा शंकर मिश्र आदि निवासी ग्राम–पुराना बटहा मजरे भानमती पुर, तह०–गौरीगंज/सुल्तानपुर द्वारा हस्ताक्षरित तथा जिसमें सैकड़ो वर्षों की आबादी को वहां के निवासियों को परेशान करने, दोहन करने तथा 122 बी की कार्यवाही करने की शिकायत है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

जांचोपरान्त 122 बी की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

दो चक के अतिरिक्त चक देने के सम्बन्ध में प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य, परगना जामो, सुल्तानपुर का प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित पत्र कृत पर कार्यवाही

86—श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य चकबन्दी पूरे चितई, परगना जामो, सुल्तानपुर का प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित प्रार्थना-पत्र दिनांक 22-12-98 जिसमें दो चक के अतिरिक्त 10 प्रतिशत तीसरा चक देने की मांग है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी मैनुअल में दी गई व्यवस्था के अनुसार तीसरा चक 2 प्रतिशत से अधिक चकदारों को नहीं दिया जा सकता । अतः मांग के अनुसार 10 प्रतिशत तीसरा चक देना सम्भव नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

पट्टे की भूमि पर कब्जा न दिये जाने विषयक राम किशुन पुत्र राम बिलास रैदास, ग्राम दुरामऊ, सुल्तानपुर का प्रश्नकर्ता के पत्र पर कब्जे की स्थिति की जानकारी

87—श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित राम किशुन पुत्र राम बिलास रैदास, ग्राम–दुरामऊ, थाना–जामो, सुल्तानपुर का प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित प्रार्थना-पत्र दिनांक 22-12-98 जिसमें पट्टे की भूमि का कब्जा न दिलाये जाने का आरोप है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या कब्जा दिला दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत भूमि पर दिनांक 8-1-99 को कब्जा दिला दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर, ग्राम समाज ग्राम–गुलालपुर में लोक निर्माण विभाग की सड़क पर अवैध कब्जा हटाकर सड़क का निर्माण कार्य

88—श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 22-12-98 का पत्र जिसमें सुरक्षित भूमि संख्या–1142, 1144 ग्राम समाज ग्राम–गुलालपुर पर अवैध कब्जा कर लेने के कारण प्रस्तावित लोक निर्माण विभाग की सड़क का निर्माण रुक जाने की शिकायत की है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रश्नगत अवैध अतिक्रमण ध्वस्त कराकर सड़क का निर्माण करवा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद, ग्राम भवननगर, तहसील मिल्कीपुर के श्री इन्द्र बख्श तिवारी द्वारा अवैध रूप से अधिग्रहीत भूमि के सम्बन्ध में दिये गये पत्र पर जानकारी

89—श्री जोखूलाल यादव–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम–भवननगर (पूरे भीम तिवारी) थाना–खन्डासा, तहसील–मिल्कीपुर, जनपद–फैजाबाद के निवासी श्री इन्द्र बख्श तिवारी द्वारा उसी गांव की आबादी की भूमि पर अवैधानिक रूप से दीवार की नींव बनाने एवं सड़क के किनारे अवैधानिक रूप से नाली बनाने के सम्बन्ध में उक्त गांव के निवासी श्री हरि शरण तिवारी एड़वोकेट के प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 133 सी० आर० पी० सी० पर एस० डी० एम०, मिल्कीपुर द्वारा थानाध्यक्ष खन्डासा से जांच रिपोर्ट दिनांक 29-12-98 को मांगी गयी है ? यदि हां, तो क्या थानाध्यक्ष द्वारा एस० डी० एम०, मिल्कीपुर को रिपोर्ट भेज दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के कतिपय ब्लाकों में कृषकों को प्रशिक्षण अवधि के भुगतान की जानकारी

90—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही खुदागंज, जैतीपुर, तिलहर सहित सात ब्लाकों में दस-दस गांवों में 7 अगस्त, 1997 से 17 अक्टूबर, 1997 तक आई० सी० डी० बी०/आई० सी० एम० योजना के अन्तर्गत कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया था ? यदि हां, तो क्या कृषकों के प्रशिक्षण अवधि का भुगतान उप निदेशक प्रसार, शाहजहांपुर द्वारा किया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उप निदेशक कृषि के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

प्रशिक्षण पर मानक के अनुसार धनराशि कृषकों के जलपान पर व्यय की गयी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मेरठ संजय गांधी पी० जी० कालेज, सऊरपुरखुर्द को कृषि विश्वविद्यालय बनाने की कार्य योजना

91–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के ग्रामीण अंचल के संजय गांधी पी०जी० कालेज सऊरपुरखुर्द को कृषि विश्वविद्यालय बनाने की सरकार की कार्य योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मेरठ मण्डल के ग्रामीण अंचल में कृषि प्रसार प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का दायित्व कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 6 (ए) की अनुसूची "एक" के अनुसार कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर को सौंपा गया है और उक्त विश्वविद्यालय द्वारा कार्य सफलतापूर्वक निष्पादित किया जा रहा है।

जनपद अम्बेडकर नगर, जहांगीरगंज की ग्राम सभाओं/मुख्य बाजारों में नाली की व्यवस्था

92–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकर नगर की ग्राम सभाओं एवं मुख्य बाजारों में जल भराव व गन्दगी को दूर करने के लिए नाली की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

इच्छुक ग्राम पंचायतें जिनके पास धन उपलब्ध हो वे जल भराव गन्दगी दूर करने के लिये नाली की व्यवस्था कर सकती है।

ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव एवं बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा, ग्राम पंचायत ढोलना, विकास खण्ड कासगंज को पंचायत भवन हेतु धन एवं निर्माण की जानकारी

93—श्री नेतराम सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि एटा जिले की विकास खण्ड कासगंज की ग्राम पंचायत ढोलना को किस वित्तीय वर्ष में पंचायत भवन हेतु कितनी धनराशि दी गयी थी ? क्या यह सत्य है कि पंचायत भवन निर्माण सार्वजनिक भूमि पर न होकर राम मनोहर लोहिया डिग्री कालेज के प्रांगण में हुआ है ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का एक शिकायती पत्र खण्ड विकास अधिकारी कासगंज को माह सितम्बर, 1998 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री धर्मपाल सिंह–

ग्राम पंचायत ढोलना, विकास खण्ड कासगंज को वित्तीय वर्ष 1996-97 में पंचायत भवन हेतु रु० 45,000/- स्वीकृत किया गया था।

जी नहीं, पंचायत भवन का निर्माण पंचायत ढोलना में गाटा संख्या–745 में जो बंजर जमीन है वहां बनाया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा, कासगंज, ग्राम ढोलना के गाटा सं०–876 का स्वामित्व भूमि का वितरण तथा काबिज व्यक्तियों की सूची

94—श्री नेतराम सिंह

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि एटा जिले की कासगंज तहसील परगना बिलराम की ग्राम ढोलना के गाटा संख्या 876 का स्वामी कौन है ? क्या यह सत्य है कि उक्त गाटा संख्या आबादी हेतु सुरक्षित है ? उक्त गाटा संख्या की कितनी-कितनी भूमि पर कौन-कौन लोग काबिज हैं ? क्या प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी, एटा को माह सितम्बर,98 में इस संबंध में कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ

है? यदि हां, तो जांच किस माध्यम से हुई तथा जांच के परिणाम क्या हैं एवं जांच के बाद क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम ढोलना स्थित भूमि गाटा सं०–876 राज्य सरकार के स्वामित्व में है।

जी हां।

1–सर्वश्री नत्थू सिंह पुत्र कल्लू सिंह	0.03 डे०
2–चूरामन पुत्र गोकुल	0.03 डे०
3–मोहन लाल पुत्र पूरन	0.04 डे०
4–लटूरी सिंह पुत्र जीवा राम	0.05 डे०
5–रामप्रसाद पुत्र परसुराम	0.03 डे०
6–छत्तर पुत्र रामलाल	0.03 डे०
7–रामप्रसाद पुत्र परसुराम	0.06 डे०
8–पितम्बर पुत्र परसुराम	0.05 डे०
9—शिवचरन पुत्र मिहीलाल	0.07 डे०
10—भूप सिंह पुत्र डालचन्द्र	0.06 डे०
11–बद्री पुत्र उमराय	0.06 डे०
12—बादशाह, शिशुपाल, मानपाल पुत्रगण राम प्रसाद	0.07 डे०
13–सेवाराम पुत्र नरायन	0.03 डे०
14–श्याम लाल पुत्र बाबूराम	0.05 डे०
15–सरस्वती पत्नी भगवानदास	0.06 डे०
16–किशोरी देवी पत्नी सोबन	0.03 डे०
17–राव सिंह पुत्र उमराव सिंह	0.05 डे०
18–भगवान सिंह पुत्र सियाराम	0.03 डे०
19–करन सिंह पुत्र भूदेव सिंह	0.03 डे०
20–थाना भवन	0.09 डे०
21–धर्म सिंह पुत्र हरकिशन	0.07 डे०
22–धर्म सिंह पुत्र हरकिशन	0.03 डे०
23–प्रेम सिंह पुत्र मानसिंह	0.03 डे०
24–गली एवं रास्ता का क्षेत्रफल	0.21 डे०
योग =	1–29 एकड़

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई, तहसील सण्डीला, ग्राम पंचायत डिकुन्नी में हुई चकबन्दी में अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही

95—श्री श्याम लाल रावत–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई जनपद की तहसील सण्डीला के परगना गोडवा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत डिकुन्नी में करायी जा रही चकबन्दी की अनियमितताओं के संबंध में वहां के

किसानों के शिकायती प्रार्थना-पत्रों पर चकबन्दी निदेशालय, लखनऊ के पत्र संख्या 595/जी 9/91(च०प्र०), दिनांक 22-7-95 द्वारा जांच करायी गयी है और प्राप्त जांच रिपोर्ट में अनियमितताएं दर्शायी गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रथम चकबन्दी प्रक्रिया अधिसूचना निरस्त कर पुनः नई चकबन्दी प्रक्रिया अधिसूचना जारी कर चकबन्दी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां, जांच में केवल चक निर्माण कार्य में बचत भूमि छोड़ने एवं कतिपय गाटों के मूल्यांकन निर्धारण में साधारण अनियमिततायें पायी गयीं थीं ।

जी नहीं, जांच के उपरान्त चकबन्दी प्रक्रिया निरस्त किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई में अतिवृष्टि में गिरे मकान के लोगों को गृह अनुदान दिलाना

96—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि अतिवृष्टि के कारण जनपद हरदोई में जो मकान गिर गये हैं उनसे सम्बन्धित सभी लोगों को निर्धारित मानक के आधार पर आर्थिक सहायता नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच जनप्रतिनिधियों के समक्ष कराकर ग्रामों के उन लोगों को जिन्हें गृह अनुदान नहीं मिल पाया है, उन्हें उक्त अनुदान दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

जनपद हरदोई में तत्समय अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों के पात्र 12187 गृह स्वामियों को निर्धारित मानक के अनुसार रु० 81,14,000/- की धनराशि गृह अनुदान के रूप में वितरित की गयी है ।

तहसीलदार कोतवाली, पडरौना की प्राथमिकी पर दर्ज मुकदमे में फर्जी जाति प्रमाण-पत्र देने वाले लेखपाल को दण्डित करने की कार्यवाही

97—श्री दीप लाल भारती–

क्या सरकार को ज्ञात है कि पडरौना कोतवाली में तहसीलदार पडरौना के श्री रमेश मिश्र द्वारा 21-9-96 को प्राथमिकी संख्या 291/96 अपराध सं०–अज्ञात, धारा 420 आई० पी० सी० श्री राजकुमार डालमिया पुत्र श्री नथमल डालमिया निवासी खड्डा, भू-निरीक्षक, तत्कालीन तहसीलदार पडरौना एवं मंत्री यादव लेखपाल पर मुकदमा दर्ज है ? यदि हां, तो क्या फर्जी जाति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले राजस्व कर्मियों को दण्डित किया गया ? क्या जांचोपरान्त अध्यक्ष पद का चुनाव 18-6-96 को परगनाधिकारी, पडरौना के पत्रांक सं० 2247(11)/आ०अधि० 96 द्वारा अवैध करार किया गया है ? यदि हां, तो क्या इसमें दोषी को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । दिनांक 21-9-96 को प्राथमिकी संख्या 271/96 अन्तर्गत धारा 420 आई० पी० सी० श्री रमेश मिश्र, तत्कालीन तहसीलदार द्वारा दर्ज करायी गयी है ।

जी हां । श्री मंत्री यादव लेखपाल को मूल वेतन पर प्रत्यावर्तित करते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी है, तथा भू-लेख निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है तथा वर्तमान में निलम्बित चल रहे हैं ।

परगनाधिकारी पडरौना के पत्र सं०–2247(11)/आ०लि०-96, दिनांक 18-6-96 द्वारा नहीं बल्कि पत्रांक 2184/आ०लि०–96, दिनांक 12-6-96 द्वारा जाति प्रमाण-पत्र फर्जी पाये जाने एवं श्री राजकुमार डालमियां की उम्र अध्यक्ष पद हेतु अनुपयुक्त मानते हुए अध्यक्ष पद का चुनाव निरस्त करने की संस्तुति भेजी गयी है ।

श्री राजकुमार डालमियां को जारी फर्जी प्रमाण-पत्र/निरस्तीकरण आदेश के क्रियान्वयन पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दे दिया गया है । मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

बुलन्दशहर के जिला उद्यान अधिकारी द्वारा मालियों को अनियमित रूप से सेवा में पुनर्स्थापित करने के प्रकरण पर कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

98—श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को ज्ञात हैं कि कुछ मालियों को कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी, बुलन्दशहर को अनियमित रूप से सेवा में पुनर्स्थापित कराने के आरोप में शासन के पत्रांक 3914/58-1-96–938/91, दिनांक 24-12-96 द्वारा उद्यान निदेशालय, लखनऊ के कतिपय लिपिकीय कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर शासन को अवगत कराने के निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त निर्देशों का पालन किया गया ? दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जी हां ।

जी हां ।

निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (मै० क्षे०),उ० प्र० लखनऊ द्वारा दोषी कर्मचारी की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कर दण्डित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ व प्रदेश में मोहन मीकिन्स द्वारा उत्पादन क्षमता से अधिक उत्पादन के लेखा-जोखा की जांच

99—श्री राम ललित चौधरी–

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ तथा प्रदेश के अन्य स्थानों में मोहन मीकिन्स अपनी उत्पादन क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके उत्पादन एवं बिक्री के लेखा-जोखा की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

उत्तर प्रदेश में मोहन मीकिन्स लि० की आसवनियां लखनऊ एवं गाजियाबाद में स्थित हैं । लखनऊ स्थित मोहन मीकिन्स आसवनी द्वारा अपनी अनुज्ञापित अधिष्ठापित क्षमता से वर्ष 1991-92, 1992-93, 1996-97 तथा 1997-98 में अधिक उत्पादन किया गया था । गाजियाबाद स्थित मोहन मीकिन्स लिमिटेड आसवनी द्वारा अपनी अनुज्ञापित अधिष्ठापित क्षमता से अधिक उत्पादन किया जाना संज्ञान में नहीं आया है । मोहन मीकिन्स आसवनी लखनऊ द्वारा अपनी अधिष्ठापित क्षमता से उक्त वर्षों में किये गये अधिक उत्पादन की जांच करा कर उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है ।

उप-निदेशक, पशु औषधिक संस्थान, पशुपालन विभाग, लखनऊ में अपर निदेशक के रिक्त पद पर चयन कर तैनाती की मांग

100—श्री कमलेश कुमार सिंह तथा श्री ज्ञान चन्द्र–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप-निदेशक पशु औषधि संस्थान पशुपालन विभाग, लखनऊ में अपर निदेशक का पद कितने वर्षों से रिक्त है ? उसे कब तक भरे जाने की सम्भावना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

अपर निदेशक, पशुपालन जैविक औषधि उत्पादन संस्थान का पद दिनांक 21-9-94 से रिक्त है ।

उ० प्र० पशु चिकित्सा सेवा श्रेणी–1 नियमावली, 1982 के प्राविधानों के अनुसार पात्र अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण अपर निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु चयन कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है । पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर चयन कराकर तैनाती यथा समय की जायेगी ।

मऊ के अध्यक्ष, जिला पंचायत के वित्तीय अधिकार सीज होने के बाद पात्र व्यक्ति को सौंपा जाना

101—श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि अध्यक्ष, जिला पंचायत मऊ के वित्तीय अधिकार सीज होने के बाद किसी अन्य सदस्य को वित्तीय अधिकार दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस सदस्य को ? क्या जिस व्यक्ति को वित्तीय अधिकार सौंपा गया है वह व्यक्ति उसका पात्र है ? यदि नहीं, तो उसको अधिकार दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री धर्मपाल सिंह–

त्रिसदस्यीय समिति को वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों और कृत्यों के प्रयोग एवं सम्पादन हेतु अधिकृत किया गया है ।

त्रिसदस्यीय समिति में श्री राकेश सिंह, उपाध्यक्ष/सदस्य, श्रीमती उर्मिला मल्ल, सदस्य, श्रीमती कुसुम चौबे, सदस्य जिला पंचायत मऊ हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अध्यक्ष, जिला पंचायत, मऊ के वित्तीय अधिकार सीज होने के उपरान्त अधिकार पत्र नम्बर–1 पर फर्जी अंकन विषयक जानकारी

102—श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, जिला पंचायत मऊ के वित्तीय अधिकार सीज होने के उपरान्त एक सदस्य को सौंपने सम्बन्धी शासन स्तर से जारी अधिकार पत्र में नम्बर–1 पर अंकित व्यक्ति का नाम काट कर दूसरे व्यक्ति का नाम फर्जी तरीके से अंकित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद एटा, विकास खण्ड अमांपुर, ग्राम प्रधान कछेला शेरपुर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर मा० उच्च न्यायालय के आदेश की जानकारी

103—श्री नेतराम सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि एटा जिले के विकास खण्ड अमांपुर के ग्राम प्रधान, कछेला शेरपुर के विरुद्ध 4-2-97 को अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था और उसमें प्रधान के मत को न शामिल करने के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में जिला पंचायत राज अधिकारी, एटा ने अपने पत्र सं० नि०लि०/पंचा/7/98-99, दिनांक 31-10-98 तथा जिला पंचायत राज अधिकारी, एटा के पत्र सं० 1198/नि०लि० पंचा०–7/98-99, दिनांक 26-11-98 द्वारा उक्त आदेशों के परिपालन हेतु खण्ड विकास अधिकारी अमांपुर को निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उनके द्वारा उसका परिपालन हुआ ? यदि नहीं, तो खण्ड विकास अधिकारी, अमांपुर के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जिला पंचायत राज अधिकारी एटा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में खण्ड विकास अधिकारी अमांपुर ने अपने पत्र सं०–764, दि० 7-11-98 द्वारा यह अवगत कराया है कि ग्राम प्रधान–कछेला शेरपुर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के उपरान्त श्री जगन्नाथ सिंह उप प्रधान कछेला शेरपुर को जवाहर रोजगार योजना के खाते एवं अन्य अभिलेखों का चार्ज हस्तान्तरण करा दिया गया था। इसी सन्दर्भ में उच्च न्यायालय के दिनांक 12-12-97 के क्रम में यह आदेश पारित हुए थे कि यदि उप प्रधान को चार्ज हस्तान्तरण नहीं किया गया हो तो प्रधान का चार्ज उप प्रधान को न दिया जाय । खण्ड विकास अधिकारी अमांपुर की रिपोर्ट के आधार पर उप प्रधान श्री जगन्नाथ सिंह को ग्राम प्रधान कछेला शेरपुर का चार्ज दिलवा दिया गया है । खण्ड विकास अधिकारी अमांपुर द्वारा मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का परिपालन किया गया है । अतः खण्ड विकास अधिकारी, अमांपुर के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं होता ।

पट्टीदारों द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा सम्बन्धी बुधना पत्नी बच्चू लाल ग्राम जलालपुर माफी, सुल्तानपुर का प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन

104—श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित बुधना पत्नी बच्चू लाल ग्राम जलालपुर माफी परगना–जगदीशपुर, तह०-मु० खाना, सुल्तानपुर का दि० 22-12-98 का प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित प्रार्थना-पत्र जिसमें पट्टीदारों द्वारा प्रार्थिनी के हिस्से की भूमि जबरदस्ती कब्जा कर लेने तथा मारपीट कर भगा देने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी गयी? क्या जांच के बाद उक्त को कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

श्री बच्चू लाल द्वारा दायर मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है ।

105—श्री तेजभान सिंह–

[3रे सोमवार में अता० प्र० सं०–180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सुल्तानपुर, ग्राम बरौलिया के द्वारिका पुत्र अधीन द्वारा ग्राम समाज की सरहद को अपने चक से अलग कर नाम कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित पत्र पर जांच

106—श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित द्वारिका पुत्र अधीन ग्राम–बरौलिया, तह०–गौरीगंज, सुल्तानपुर का प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित प्रार्थना-पत्र दिनांक 22-12-98 जो ग्राम समाज की सरहद को अपने चक से अलग कर नाम कराये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? इसकी जांच कब और किसके द्वारा कराई गई है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

पैमाइश कराकर दोनों भूखण्ड के मध्य निशान देही करा दी गयी है । दिनांक 31-12-98 को नायब तहसीलदार जामो से इसकी जांच कराई गई है ।

मथुरा के पशु चिकित्सा विज्ञान पशुपालन महाविद्यालय के बोनसधारी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को तृतीय/चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियुक्ति की जानकारी

107—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशु चिकित्सा विज्ञान पशुपालन महाविद्यालय मथुरा में 18–20 वर्षों से निरन्तर कार्यरत लगभग 160 बोनसधारी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्त किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–3/15726/मथुरा/98 दिनांक 1-9-98 सचिव, पशुधन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

उक्त महाविद्यालय के दैनिक वेतन कर्मियों को विनियमित करने की कोई नियमावली प्रख्यापित नहीं हुई है । नियमित नियुक्ति हेतु उक्त महाविद्यालय में तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के अपेक्षित संख्या में पद भी उपलब्ध नहीं हैं जिससे इनका नियमितीकरण नहीं किया जा सकता ।

जनपद बस्ती के विकास खण्डों में वर्ष 1997-98 की बाढ़ से हुए नुकसान हेतु अनुदान की मांग

108—श्री राम ललित चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 1997-98 में आई भीषण बाढ़ एवं जल भराव के कारण जनपद बस्ती के विकास खण्ड सल्टौआ, साऊंघाट और रामनगर में हजारों की तादाद में लोगों के रिहायशी मकान ढह गये थे ? क्या सरकार ने इस हेतु अनुदान देने के लिये कोई सूची तैयार करायी है ? यदि हां, तो उपरोक्त तीनों विकास खण्डों में कितने व्यक्तियों को अनुदान दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

वर्ष 1997-98 में जनपद बस्ती के विकास खण्ड सल्टौआ, साउंघाट और रामनगर में बाढ़/अतिवृष्टि की स्थिति नहीं थी । इसलिए अनुदान देने हेतु न ही कोई सूची तैयार कराई गयी, न ही अनुदान वितरित किया गया है ।

109—श्री ज्ञान चन्द्र–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद देहरादून, कालसी के राजकीय कुक्कुट प्रजनन केन्द्र को बन्द करने तथा तीन वर्षों में आवंटित बजट

110—श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या पशुधन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून जनपद के कालसी में स्थित राजकीय कुक्कुट प्रजनन केन्द्र को क्या बन्द कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो विगत तीन वर्षों में उसे कितना बजट आवंटित किया गया ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

जी नहीं ।

विगत तीन वर्षों में इस प्रक्षेत्र हेतु निम्न प्रकार धनराशि दी गयी है ।

क्रमांक	वर्ष	धनराशि
1	1995-96	रु० 5,81,500
2.	1996-97	रु० 6,03,000
3	1997-98	रु० 8,09,000
	योग =	रु० 19,93,500

जनपद बदायूं, कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के अधीन सब्जी मण्डी को पुनः नवीन मण्डी स्थल पर स्थानान्तरित करने की मांग

111—श्री रिफाकत हुसैन चौधरी–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि बदायूं में कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के अधीन फल एवं सब्जी मण्डी शहर से नवीन मण्डी स्थल बदायूं में स्थानान्तरित की गयी थी ? क्या उक्त मण्डी पुनः शहर में ही लगायी जा रही है जिससे मण्डी समिति को प्रतिदिन दस हजार रुपये का नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मण्डी को नवीन मण्डी स्थल पर स्थानान्तरित करने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देहरादून में कालसी डेरी फार्म में तीन वर्षों में बीज (चारा) की मात्रा/दूध के उत्पादन से आय का विवरण

112—श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या पशुधन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून जनपद के कालसी डेरी फार्म के पास कितने एकड़ भूमि चारा उगाने हेतु उपलब्ध है ? क्या सरकार द्वारा उक्त डेरी फार्म को समय से बीज

(चारा) उपलब्ध करा दिया जाता है ? यदि हां, तो उक्त डेरी में विगत तीन वर्षों से कितना दूध का उत्पादन हुआ तथा उक्त डेरी फार्म ने उक्त वर्षों में कितना लाभ अर्जित किया है ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

107 एकड़ ।

जी हां, विगत तीन वर्षों में निम्न प्रकार चारा बीज उपलब्ध कराये गये ।

वर्ष	बीज की मात्रा (कुन्तल में)
1995-96	52.82
1996-97	54.80
1997-98	51.38

विगत तीन वर्षों में निम्न प्रकार दुग्ध उत्पादन हुआ :—

वर्ष	दुग्ध उत्पादन (लीटर में)
1995-96	82,922 ली०
1996-97	1,20,085 ली०
1997-98	1,20,776 ली०
योग =	3,23,783 ली०

विगत तीन वर्षों में निम्न प्रकार दुग्धोत्पादन से आय हुई :—

वर्ष	आय रु० में
1995-96	6,90,820
1996-97	8,45,688
1997-98	9,80,757
योग =	25,17,265

प्रदेश में निर्धारित मात्रा में शराब न देने वाली डिस्टलरी फैक्ट्रीज के विरुद्ध कार्यवाही

113—श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि एक कुन्तल शीरे से कितने लीटर शराब बनती है ? प्रदेश में शराब बनाने की कुल कितनी फैक्ट्रियां हैं ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि निर्धारित मात्रा में शराब न देने वाले कुल कितने डिस्टलरी फैक्ट्रीज हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

शीरे में उपस्थित प्रति कुन्टल शर्करा से 22.5 अल्कोहलिक लीटर स्प्रिट के उत्पादन का मानक है । परन्तु उक्त स्प्रिट उत्पादित शराब की मात्रा, शराब की तीव्रता पर निर्भर करता है ।

प्रदेश में कुल 42 (बयालीस) आसवनियां कार्यरत हैं किन्तु शराब का निर्माण 23 आसवनियों द्वारा किया जाता है । केवल देशी शराब की थोक आपूर्ति हेतु न्यूनतम मात्रा निर्धारित होती है, जिसकी आपूर्ति आपूर्तक आसवनियों द्वारा की जा रही है । उक्त निर्धारित मानक अनुसार अल्कोहल का कम उत्पादन करने वाली आसवनियों की संख्या–40 है जिन पर 1-4-97 से 31-12-98 तक रु० 8,04,250/- का प्रशमन/दण्ड आरोपित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर में नकली शराब बिक्री की जांच

114—श्री मुरलीधर–

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि जनपद फतेहपुर में जहरीली मिलावटी शराब की बिक्री की जाती है ? क्या कभी विक्रीत दुकानों की चेकिंग की गयी है ? यदि हां, तो किस ग्राम की शराब की दुकान में नकली शराब पायी गयी ? क्या विक्रेता के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा पंजीकृत कर दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी नहीं ।

जी हां, विक्रीत दुकानों की चेकिंग निर्धारित मानक के अनुरूप बराबर की जाती है ।

किसी भी ग्राम की दुकान में नकली शराब नहीं पाई गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद की तहसीलों में वर्षा से गिरे घरों के लोगों को आर्थिक सहायता

115—श्री अवधेश प्रसाद

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित तहसील सोहावल और सदर तहसील के अन्तर्गत बरसात में घर गिर जाने सम्बन्धी सहायता अधिकांश लोगों को अभी तक नहीं मिल पायी है ? यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या पीड़ितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद फैजाबाद की तहसील सोहावल में बाढ़ से क्षतिग्रस्त घरों के स्वामियों को राहत सहायता वितरित की जा चुकी है । तहसील सदर में अधिकांश प्रभावितों में राहत सहायता वितरित की जा चुकी है । अवशेष बारह ग्रामों में प्रभावितों को राहत सहायता वितरण हेतु आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार यथा समय की जायेगी ।

जनपद फैजाबाद, विकास खण्ड मसोधा के 60 गांवों को कथित रूप में तहसील सोहावल में किया जाना

116—श्री अवधेश प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद विकास खण्ड मसोधा स्थित गांव मधुपुर, नापपुर, भदरसा, अरूआवा, पलिया गोवा, मसौधा, अवनपुर, सरोहा जगदीशपुर, बनबीरपुर, मुमतार नगर, रायपुर कोष्ट सराय बल्लीपुर, बिछिया, हासापुर आदि लगभग 60 गांव को वर्ष 1997 में सदर तहसील से हटाकर सोहावल तहसील में कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मथुरा के प्रबन्धक, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के कथित भ्रष्टाचार विषयक विधायक कोष्ठक का पत्र

117—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जे० पी० एस० मलिक, प्रबन्धक, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा के कथित भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने विषयक विधायक

कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–3/1722/ मथुरा/98, दिनांक 1-9-98 सचिव, कृषि को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

उक्त शिकायती पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से कराई गई । जांच में शिकायतों को निराधार पाया गया है ।

जनपद हरदोई, मल्लावां के ग्राम पंचायत जलिहापुर में आम रास्ते पर अवैध कब्जे को खुलवाने की मांग

118—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जलिहापुर में ग्राम के कुछ लोगों द्वारा आम रास्ते पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस रास्ते को खुलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रमाणित बीज विक्रय संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध कराये गये बीज का अवशेष भुगतान/समय से प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने की जानकारी

119—श्री राजधारी–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रमाणित बीज विक्रय करने वाली संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध कराये गये बीज का कितना भुगतान अवशेष है ? क्या समय से भुगतान न करने के कारण विगत अवसरों की भांति खरीफ एवं रबी की बुवाई के समय प्रमाणित बीज विक्रय संस्थाओं से प्राप्त करने में विलम्ब एवं असुविधा होने की सम्भावना को देखते हुए क्या सरकार किसानों के हित में कोई कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

वर्ष 1998-99 में प्रमाणित बीज विक्रय करने वाली संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये बीज का रु० 5,99,49,342.00 का भुगतान अवशेष है ।

जी नहीं । किसानों को समय से प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चित्रकूट, तहसील कर्वी कृषि उत्पादन मण्डी समिति को श्रेणी अनुसार सुविधा एवं उसे उपज एवं वृद्धि के आधार पर ए-श्रेणी में करने पर विचार

120—श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील कर्वी, जनपद चित्रकूट स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति "बी–श्रेणी" में घोषित हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या अभी तक इस मंडी को खाद्य मंत्रालय द्वारा "बी" श्रेणी जैसी सुविधायें नहीं दी जा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार जनपदीय स्तर की मंडी होने तथा कृषि उपज आवक में वृद्धि के आधार पर उसे "ए" श्रेणी में किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद, पशु चिकित्सालय, हैदरगंज का निर्माण पैक्सफेड संस्था द्वारा अनियमितता की जांच हेतु गठित समिति

121—श्री सीताराम निषाद–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में पशु चिकित्सालय हैदरगंज का निर्माण कार्यदायी संस्था फैक्स फेड द्वारा किया जा रहा है ? क्या निर्माण कार्य में गम्भीर अनियमितता के कारण जिलाधिकारी, फैजाबाद ने मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद द्वारा दिनांक 2-12-98 को जांच करा कर निर्माण कार्य रोकवा दिया है और टी० ए० सी० द्वारा जांच कराने की संस्तुति शासन को भेजी है ? यदि हां, तो क्या टी० ए० सी० द्वारा जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच जिला अधिकारी, फैजाबाद द्वारा गठित समिति द्वारा करायी जा रही है ।

जनपद मैनपुरी, ग्राम ओछा की प्रधान द्वारा श्री शान्ति स्वरूप सक्सेना ग्राम पंचायत ओछा के विरुद्ध शिकायत पर कार्यवाही

122—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम ओछा ब्लाक घिरोर, जनपद मैनपुरी की प्रधान श्रीमती स्नेह लता द्वारा दिनांक 9-11-98 अथवा इसके आसपास श्री शान्ती स्वरूप सक्सेना, ग्राम पंचायत अधिकारी, ओछा के विरुद्ध शिकायती पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उसके बिन्दु क्या थे और उसमें अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

1–ज० रो० यो० के अन्तर्गत 15 प्रतिशत कमीशन के रूप में मांग करना ।

2–इन्दिरा आवास हेतु 1500/- प्रति लाभार्थी को दिलवाने के लिये ग्राम प्रधान से कहना ।

3–ग्राम पंचायत ओछा के खाते से विकास कार्य हेतु धनराशि न निकालना ।

4–वृक्षारोपण हेतु पौध श्री विजेन्द्र सिंह नर्सरी वाले से क्रय की गयी पौध का भुगतान न करना ।

5–मृत्यु प्रमाण पत्र व परिवार रजिस्टर की नकल बनाने हेतु 200/- रुपये से 500/- रुपये तक अनधिकृत रूप से लेना ।

6–राशन कार्ड वितरण में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाकर वितरित करना ।

जिला कृषि अधिकारी से जांच कराई जा चुकी है । शिकायती पत्र के बिन्दु 1 से 5 तक निराधार पाये गये हैं । मात्र राशन कार्ड वितरण से सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा लापरवाही बरती गयी है जिसके लिये श्री सक्सेना को कठोर चेतावनी जारी करते हुए ग्राम पंचायत ओछा से हटा दिया गया है ।

जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड मैनपुरी एवं ग्राम पंचायतों में बनाये गये पंचायत घर का विवरण

123—श्री राम औतार शाक्य–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में प्रत्येक ब्लाक में कितने पंचायत घर बने हुए हैं और कितनी ऐसी गांव पंचायतें हैं जिनमें कोई पंचायत घर नहीं बना है ? क्या यह सच है कि इस वक्त ग्राम सहारा विकास खण्ड सुल्तानगंज, मैनपुरी में एक अच्छा व मजबूत पंचायत घर बना है ? यदि हां, तो उक्त गांव पंचायत में अन्यत्र नया पंचायत भवन बनवाने का औचित्य क्या है ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड मैनपुरी में 24, कुरावली में 21, घिरोर में 24, जागीर में 23, सुल्तानगंज में 26, बेवर में 35, किशनी में 30, करहल में 35 तथा बरनाहल में 47 पंचायत घर बने हुए हैं। 238 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें कोई पंचायत घर नहीं बना है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में स्थायी उद्यान निदेशक पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानकारी

124—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को ज्ञात है कि उत्तरांचल क्षेत्र का मुख्य कृषि कार्य उद्यान लगाना है, जिसके लिये पृथक उद्यान निदेशक का पद भी स्वीकृत है ? क्या यह सही है कि लम्बे समय से स्थायी उद्यान निदेशक पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो स्थायी उद्यान निदेशकों की नियुक्ति कब तक की जायेगी ?

श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जी हां।

जी हां।

वर्तमान में निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मैदानी क्षेत्र व पर्वतीय क्षेत्र के पद हेतु कोई पात्र अधिकारी उपलब्ध नहीं है।

अल्कोहल पर आधारित उद्योग से विभाग को लाइसेन्स फीस पर विभिन्न फर्मों से दो वर्षों में प्राप्त राजस्व का विवरण

125—श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्कोहल पर आधारित एफ० एल०–39 उद्योग से विभाग को लाइसेन्स फीस–15 पैसे प्रति लीटर एवं डी० नेचुरेशिन फीस–10 पैसे प्रति लीटर तथा परचेज टैक्स से 80 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से राजस्व प्राप्त होता है ? यदि हां, तो उपरोक्त के हिसाब से विभिन्न फर्मों (आशवनियों) से विगत दो वर्षों में कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां।

वित्तीय वर्ष 1996-97 व 1997-98 में क्रमशः रु० 4,88,41,801.38 तथा रु० 5,34,84,184.32 का राजस्व प्राप्त हुआ।

लखनऊ मण्डल के विभिन्न जनपदीय कार्यालयों में समूह "ग" के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित किये जाने की जानकारी

126—डा० वकार अहमद शाह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के जनपदीय कार्यालयों में समूह "ग" दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं? यदि हां, तो लखनऊ मण्डल के कृषि विभाग के विभिन्न कार्यालयों में कितने समूह "ग" के दैनिक वेतन कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या इन्हें विनियमित किये जाने हेतु कृषि निदेशक/अपर कृषि निदेशक (प्रशासन) स्तर से कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार लखनऊ मण्डल के विभिन्न जनपदीय कार्यालयों में कार्यरत उक्त दैनिक वेतन कर्मचारियों को विनियमित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां।

पांच दैनिक वेतन कर्मचारी कार्यरत हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

पद उपलब्ध होने पर दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमानुसार विनियमित करने के निर्देश संयुक्त कृषि निदेशक, लखनऊ मण्डल को दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर, मण्डी परिषद् द्वारा नल लगवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

127—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 25-6-98 या इसके आस-पास जो जनपद शाहजहांपुर मण्डी परिषद् के प्रस्ताव सं०–28, दि० 24-2-96 के स्वीकृत नल लगवाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-6-98 के माध्यम से खराब नलों को ठीक कराने एवं शेष नलों को लगाने हेतु प्राप्त हुआ है।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 11-6-98 के परिप्रेक्ष्य में उपनिदेशक (प्रशासन) बरेली को नियमानुसार जांच करने एवं खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं तथा समिति द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या–28 के क्रम में स्वीकृत हैण्ड पम्पों की मशीन व पाइप आदि की आपूर्ति की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

ब्लाक पट्टी, आसपुर, देवसरा में हैण्डपम्प लगवाने विषयक जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा सेवा अभियंत्रण यू० पी० एग्रो को संदर्भित पत्र पर शेष कार्य पूरा कराने की मांग

128—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह –

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि सेवा अभियंत्रण यू० पी० एग्रो को जिलाधीश प्रतापगढ़ के आदेशों के सभी संदर्भ सहित पत्रांक–2 नं० 44081 दिनांक 30-12-98 जो ब्लाक पट्टी आसपुर, देवसरा, मंगरौरा में हैण्डपम्प लगाने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कितने हैण्डपम्प ब्लाक

पट्टी आसपुर, देवसरा, मंगरौरा में लगाये जाने शेष हैं और क्यों ? शेष कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां । पत्रांक–ख–2 नं० 442081 दिनांक 30-12-98 में केवल क्रमांक–3 पर अंकित पत्र संख्या–ग–2–538549, दिनांक 2-9-98 नहीं प्राप्त हुआ है ।

ब्लाक पट्टी, मंगरौरा, आसपुर देवसरा में 1220 हैण्ड पम्प लगाये जाने शेष हैं ।

शेष हैण्ड पम्प जिला प्रशासन द्वारा वांछित धनराशि उपलब्ध न कराये जाने के कारण स्थापित नहीं हो सके हैं । धनराशि उपलब्ध होने पर शेष हैण्डपम्प स्थापित कराने का कार्य यू० पी० एग्रो द्वारा शीघ्र पूरा करा दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा, थाना वृन्दावन, ग्राम आटस खादर की आवंटित भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के शिकायती पत्र पर कार्यवाही

129—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि पट्टेदार अनुसूचित जाति जाटव, खादर, वृन्दावन को जमीन पर कब्जे के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–3/18512/मथुरा/98, दिनांक 2-12-98 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । प्रश्नगत मामले में जांच कराई गई है । ग्राम आटस खादर में श्री रौना पुत्र लालाराम, मंगली पुत्र नन्नू, हरीराम पुत्र रामजीलाल, वासी पुत्र कुन्दन, बाबूलाल पुत्र घुरिया, तुहीराम, हर प्रसाद व अमर सिंह पुत्रगण वासदेव निवासी गौंदा आटस भाग आटस थाना वृन्दावन, मथुरा की सीलिंग भूमि के आवंटित भूमिधर कतिपय व्यक्तियों द्वारा किये गये अवैध कब्जा को दिनांक 26-11-98 को हटाकर आवंटियों को कब्जा दिलवाया गया है ।

पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध पुलिस चौकी जैत थाना वृन्दावन पर मुकदमा अपराध सं०–13/99 धारा 147, 148, 149 आई० पी० सी० एवं (3)(4)(5) एस० सी० एस० टी० एक्ट तथा 27 (6ख) सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत किशोरी तथा 5 अन्य निवासीगण जहांगीरपुर, थाना मांट, मथुरा में दिनांक 18-1-99 को मुकदमा पंजीकृत कराया गया है ।

राजकीय पशु चिकित्सालय, कुरसठ (हरदोई) के भवन का निर्माण कर हस्तान्तरित करना

130—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 में राजकीय पशु चिकित्सालय कुरसठ (हरदोई) के निर्माण हेतु शासन द्वारा 3,50,000/- रुपये प्रदान किये गये थे ? यदि हां, तो क्या इसका निर्माण का दायित्व ग्रामीण अभियंत्रण सेवा हरदोई को सौंपा गया था ? यदि हां, तो क्या चिकित्सालय का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है और धन का समायोजन कर पशुपालन विभाग, हरदोई को भवन हस्तान्तरित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

निर्माण कार्य पूर्ण नहीं है ।

जनपद हरदोई, मल्लावां में अतिवृष्टि/बाढ़ से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता

131—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां नि० क्षे० में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित लोगों को एक हजार रुपया नगद रूप में तथा चार सौ रुपया सामग्री के रूप में कुछ ही लोगों को प्रदान किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्त प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद हरदोई के 91—मल्लावां नि० क्षेत्र में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित केवल पात्र व्यक्तियों में एक हजार रुपया प्रति परिवार के हिसाब से चेक के माध्यम से तथा खाद्यान्न आदि सामग्री के रूप में वितरण किया गया है ।

प्रभावित पात्र लोगों को आर्थिक सहायता का वितरण कराया जा चुका है ।

प्रदेश में लेखाकारों/सहायक लेखाकारों का पदनाम व स्वीकृत वेतनमान, ज्येष्ठता का आधार

132—श्री छोटेलाल गंगवार–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लेखाकारों एवं सहायक लेखाकारों की बिना ज्येष्ठता सूची निर्गत किये हुए कृषि विपणन निदेशक के आदेश पत्रांक 1863 दिनांक 7-9-94 द्वारा 80 प्रतिशत सहायक लेखाकारों को लेखाकार का पदनाम व वेतनमान स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो उनकी ज्येष्ठता का आधार क्या था ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

कृषि विपणन निदेशालय के आदेश दिनांक 7-9-94 द्वारा लेखाकार तथा सहायक लेखाकार के पदों की सम्मिलित संख्या के 80 प्रतिशत लेखाकारों के पदों पर सहायक लेखाकारों के नियुक्ति आदेश में जिस क्रम से नाम रखे गये हैं, उक्त के अनुसार ज्येष्ठ सहायक लेखाकारों को लेखाकार का पदनाम व वेतनमान स्वीकृत किया गया है ।

ज्येष्ठता सूची अन्तिम रूप से निर्धारित न होने के कारण नियुक्ति आदेशों के क्रम के आधार पर कार्यवाही की गयी ।

श्री हरिवंश राम, सेवानिवृत्त मुख्य प्रशिक्षक की पेंशन प्रकरण में ब्याज भुगतान की वसूली की जांच/दोषी को दण्डित किये जाने की जानकारी

133—श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या श्री हरिवंश राम, सेवानिवृत्त मुख्य प्रशिक्षक की पेंशन प्रकरण के निस्तारण में हुए विलम्ब के फलस्वरूप ब्याज के रूप में भुगतान की धनराशि रु० 20,330/- की वसूली के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने हेतु शासन के अर्द्धशासकीय पत्रांक–149/58-1-97-240/96, दिनांक 12-3-97 तथा पत्र सं०–1202/58-1-97/240/96, दिनांक 29-4-97 द्वारा संयुक्त निदेशक (फल संरक्षण) उद्यान निदेशालय, लखनऊ को

जांच अधिकारी नामित करते हुए एक मास में जांच रिपोर्ट निदेशक को आख्या सहित प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये थे, पूर्ण हो गयी है ? क्या इस प्रकरण में दोषी को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (मैदानी क्षेत्र), लखनऊ द्वारा वर्ष 1982 में आशुलिपिकों की अवैधानिक नियुक्ति में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

134—श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को ज्ञात है कि प्रशासनिक अधिकारी के पद पर निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (मै०क्षे०) उ०प्र०, लखनऊ में वर्ष 1982 में आशुलिपिकों की अवैधानिक पदोन्नति किये जाने के विरुद्ध उ० प्र० लोक सेवा अधिकरण में प्रस्तुत निर्देश याचिका संख्या–386/एफ०/111/82 राज बहादुर खरे बनाम उ०प्र० शासन व अन्य के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 6278/12-4-405/82, दिनांक 29-11-82 द्वारा निर्गत निदेशों का पालन निदेशक उद्यान (मै०क्षे०) द्वारा किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके लिये कौन-कौन दोषी है तथा इनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जी नहीं ।

पदोन्नति के विरुद्ध मा० लोक सेवा अधिकरण में याचिका विचाराधीन होने के कारण संदर्भित शासनादेश में निर्गत निर्देश का अनुपालन सम्भव नहीं था । उक्त याचिका मा० अधिकरण द्वारा दिनांक 22-11-91 को खारिज कर दी गयी । मा० अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी है जो कि विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

135—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[3रे सोमवार में अता० प्र०सं०–177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला मथुरा के आर्टस वृन्दावन के पट्टेदारों की जमीन पर कब्जा करने की विधायक कोष्ठक के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

136—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्टस वृन्दावन, जिला मथुरा के 30 साल पुराने पट्टेदारों की जमीन पर कब्जा करने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी०एम०/वि०को०एम–3/ 18274/मथुरा/98, दि० 21-11-98 जिलाधिकारी मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां। प्रश्नगत मामले में जांच कराई गई। ग्राम आर्टस खादर में श्री रौना पुत्र लालाराम, मंगली पुत्र नन्नू, हरीराम पुत्र रामजी लाल, वासी पुत्र कुन्दन, बाबूलाल पुत्र घुरिया, तुहीराम, हरिप्रसाद, अमर सिंह पुत्रगण बासे निवासी गौंदा आर्टस, भाग आर्टस, थाना वृन्दावन, मथुरा को आवंटित सीलिंग भूमि के कृषि आवंटन पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा किये गये अवैध कब्जे को पुलिस की सहायता से अवैध कब्जा हटाकर दिनांक 26-11-98 को आवंटियों को कब्जा दिलवा दिया गया था।

इसके पश्चात् पुनः आवंटियों को बेदखल कर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध दिनांक 18-1-99 को पुलिस चौकी थाना वृन्दावन में अपराध सं०–131/99 धारा 147, 148, 149 आई० पी० सी० तथा 3(1)(4)(5) एस० सी०एस० टी० ऐक्ट 27(6) ख सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत किशोरी तथा पांच अन्य निवासीगण जहांगीरपुर, थाना मांट, मथुरा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है।

पंचायती राज मुख्यालय पर ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम हेतु नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी की संख्या एवं योग्यता की जानकारी

137—श्री चेतराम–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायती राज मुख्यालय पर ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के मार्गदर्शन, अनुश्रवण के लिये कितने अधिकारी कर्मचारी नियुक्त हैं ? उनकी शैक्षिक, तकनीकी योग्यता क्या है ?

श्री धर्मपाल सिंह–

पंचायती राज निदेशालय में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के मार्गदर्शन एवं अनुश्रवण हेतु निदेशक, पंचायती राज सहित 5 अधिकारी एवं 6 कर्मचारी तैनात हैं।

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के मार्गदर्शन अनुश्रवण हेतु तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता निम्न है :—

क्रम सं०	पदनाम	शैक्षिक योग्यता	तकनीकी योग्यता
1	निदेशक	आई० ए० एस०	
2	मुख्य लेखाधिकारी	एम० ए०, एल० एल०बी०	
3	उप निदेशक (पंचायत)	एम० एस० सी०	–
4	परामर्शदाता	एम० ए०	–
5	जि० पं० रा० अधि० (तक०)तकनीकी (मुख्यालय)	इण्टरमीडिएट	डिप्लोमा (मैकेनिकल इंजीनियरिंग)
6	कार्यालय अधी०	बी० ए०, एल० एल० बी०	–
7	वरिष्ठ लिपिक	इण्टरमीडिएट	–
8	वरिष्ठ लिपिक	इण्टरमीडिएट	–
9	कनिष्ठ लिपिक	एम० ए०	–
10	कनिष्ठ लिपिक	बी० काम०, एल० एल० बी०	–
11	कनिष्ठ लिपिक	बी० ए०	–

वर्ष 1997-98 में प्रदेश में स्वच्छता कार्यक्रम हेतु ब्लाकों को निर्गत की गयी धनराशि की जानकारी

138—श्री चेतराम–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत अधिकतम धनराशि किस ब्लाक को कितने रुपये निर्गत की गयी और न्यूनतम धनराशि किस ब्लाक को

कितनी निर्गत की गई ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि औसतन कितनी धनराशि वर्ष 1997-98 में प्रति ब्लाक दी गयी ?

श्री धर्मपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम पर वर्षवार व्यय का विवरण

139—श्री चेतराम–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम पर वर्ष 1993-94, 1994-95, 1996-97, 1997-98 वर्षवार कितना धन व्यय किया गया ?

श्री धर्मपाल सिंह–

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम पर वर्षवार व्यय किये गये धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :––

वर्ष	व्यय की गई धनराशि (लाख रु० में)
1993-94	1358.03
1994-95	2881.08
1996-97	2530.96
1997-98	3976.44

उ० प्र० पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में शौचालय निर्माण में व्यय वृद्धि की जानकारी

140—श्री चेतराम–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग द्वारा घोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के संबंध में व्यक्तिगत शौचालय की अनुमानित लागत में पत्र संख्या 5/शा०/57/98–5/146/96–97/98 द्वारा छः सौ रुपए की वृद्धि की गयी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि छः सौ रुपये की वृद्धि मजदूरी की मद में या लागत सामग्री की मद में व्यय की जायेगी ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

लागत में की गई छः सौ रुपये की वृद्धि सामग्री एवं मजदूरी अंश दोनों में व्यय की जायेगी ।

जनपद ज्योतिबाफूलेनगर, तहसील कांठ को समाप्त करने की जानकारी

141—श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ज्योतिबाफूलेनगर एवं तहसील–कांठ को समाप्त करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

वर्ष 1997 में नवसृजित जनपदों की उपयोगिता, बायबिलिटी जनसुविधाओं आदि पहलुओं पर मंत्रि परिषद् की उप समिति द्वारा विचार किया जा रहा है जिसमें जनपद ज्योतिबाफूलेनगर भी सम्मिलित है । तहसील कांठ की अधिसूचना संख्या–569/1–5/99–33/98–रा०–5, दिनांक 15 फरवरी, 1999 द्वारा समाप्त कर दी गई है ।

श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री विश्राम सिंह, मिट्ठऊखेड़ा, जिला उन्नाव को निराश्रित मजदूर दर्शा कर भूमि का पट्टा देने की जांच/निरस्त करने की मांग

142—श्री बाबू लाल कुरील–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री विश्राम सिंह, निवासी मिट्ठऊखेड़ा, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव को निराश्रित मजदूर दिखाते हुए दिनांक 6-5-94 को भूमि का पट्टा दिया गया है ? क्या श्री प्रमोद कुमार की माता अध्यापिका एवं पिता श्री विश्राम सिंह, सहायक विकास अधिकारी के पद पर आवंटन के समय कार्यरत थे ? यदि हां, तो क्या यह निराश्रित मजदूर की श्रेणी में आते हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त पट्टा आवंटन की जांच कराकर पट्टा निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

143—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[2रे सोमवार में अता० प्र० सं०–36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ० प्र० पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कराने वाली एजेन्सियों की जानकारी

144–श्री चेतराम–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्यों का सर्वेक्षण, अनुश्रवण, चयन, निरीक्षण की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो उक्त कार्य किस-किस एजेंसी से करवाये जाते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत चयन का कार्य क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत द्वारा एवं निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा किये जाने की व्यवस्था है । कार्यक्रम का अनुश्रवण क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, मण्डलायुक्त और पंचायती राज निदेशालय एवं शासन स्तर से किये जाने तथा निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी (पं०), जिला पंचायत राज अधिकारी, मंडलीय उप निदेशक (पं०) तथा निदेशालय के अधिकारियों द्वारा किये जाने की व्यवस्था है । सर्वेक्षण का कार्य पंचायत राज विभाग, अर्थ एवं संख्या प्रभाग तथा स्वतंत्र एजेन्सियों से कराया जाता है ।

145–श्री चेतराम–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार माध्यम पर व्यय की जानकारी

146–श्री चेतराम–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज के ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के कुल बजट का दस प्रतिशत क्या प्रसार-प्रचार पर व्यय किया जाता है ? यदि हां, तो इस प्रचार-प्रसार का माध्यम क्या है ?

श्री धर्मपाल–

जी हां ।

प्रचार-प्रसार का कार्य समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, प्रचार-प्रसार शिविरों, फिल्म प्रदर्शन, दीवाल लेखन, होर्डिंग्स, आकाशवाणी तथा पारम्परिक जन संचार माध्यमों से कराया जाता है ।

जनपद शाहजहांपुर, तहसील तिलहर के ग्रामों में बाढ़/आग लगने से पीड़ित परिवारों को राहत दिलाने की मांग

147–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-10-98 या इसके आस-पास तथा जिला अधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है, जो ग्राम खूबूपुर तहसील तिलहर तथा ग्राम डभौरा, खेड़ा बझेड़ा तहसील तिलहर शाहजहांपुर में बाढ़ पीड़ितों की सहायता तथा मकान में आग लगने से हुई क्षति के संबंध में है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर कार्यवाही करते हुए क्या बाढ़ पीड़ितों को सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बाढ़ पीड़ितों को राहत दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

ग्राम खूबूपुर के प्रभावित बाढ़ पीड़ितों के सम्बन्ध में स्थलीय जांच तहसीलदार, तिलहर द्वारा करायी गयी । जांच से पात्र पाये गये ग्राम खूबूपुर में 65 व्यक्तियों को गृह अनुदान रु० 74,400.00, 62 व्यक्तियों को अहेतुक सहायता के रूप में रु० 62,000.00 की धनराशि वितरित की गयी तथा खाद्यान्न के रूप में गुड़ 40 किलो, चना 2 कुन्टल, चूड़ा 50 किलो, नमक 250 पैकेट, माचिस 100, आटा 14 कु०, दाल 50 किलो, चावल 2.75 कुन्तल, मिट्टी का तेल 550 लीटर, लन्च पैकेट 700 तथा निःशुल्क गेहूं बीज 189 व्यक्तियों को 147.55 कुन्तल वितरित किया गया । ग्राम खूबूपुर में अग्निकाण्ड से कोई क्षति नहीं हुई थी । ग्राम डभौरा सिमरा में गृह अनुदान के रूप में 120 व्यक्तियों को रु० 74,400.00 तथा अनुग्रह अनुदान के रूप में एक व्यक्ति को 500.00 रु० वितरित किया गया । ग्राम डभौरा में अग्निकाण्ड से हुई क्षति में तीन व्यक्तियों को रु० 1,800.00 का अनुग्रह अनुदान दिया गया ।

ग्राम डभौरा सिमरा में खाद्यान्न के रूप में आटा 14 कु०, दाल 2 कु०, चावल 4 कुन्तल, मिट्टी का तेल 100 लीटर, निःशुल्क गेहूं का बीज 289 व्यक्तियों को 94 कुन्तल वितरित किया गया ।

बाढ़ प्रभावित ग्रामों में राहत सामग्री वितरित करायी जा चुकी है ।

रामगंगा नदी से कटी भूमि की पैमाइश करा कब्जा दिलाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की मांग

148—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-6-98 या इसके आस-पास जो राम गंगा नदी से कटी भूमि की पैमाइश कराकर कब्जा दिलाने के विषय में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद व तहसील उन्नाव, ग्राम सहनखेड़ा निवासी श्री जयराम को वैधानिक तरीके से किया गया पट्टा

149–श्री बाबू लाल कुरील–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि श्री जयराम निवासी ग्राम सहन खेड़ा, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव को ग्राम मिट्ठूखेड़ा, मजरा–ऊगू, ग्रामीण, तहसील सफीपुर में वैधानिक तरीके से दिनांक 6-5-94 को भूमि का पट्टा किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर पट्टा निरस्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

श्री जयराम गत 20 वर्षों से लगातार ग्राम मिट्ठूखेड़ा मजरा ऊगू में रह रहे हैं और अल्प भूमिहीन खेतिहर मजदूर अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं अतः उ० प्र० ज० वि० एवं भू० व्यय अधिनियम की धारा 198(1) ङ की श्रेणी में आते हैं। इनको किया गया आवंटन वैध पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर कृषि उत्पादन मण्डी समिति आलापुर बाजार में सामानों को बेचने हेतु सुविधा शुल्क की रसीद न देने की जांच/दण्डित करने की मांग

150–श्री मुरलीधर–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में कितनी कृषि उत्पादन मण्डी समितियां कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि खागा कृषि उत्पादन समिति के सचिव द्वारा अल्लीपुर बाजार से मूंज निर्मित बान (चारपाई बनाने वाला बान) एवं खोया बेचने वाले किसानों से रुपये तो वसूल किया जाता है किन्तु रसीद नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी सचिव को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जनपद फतेहपुर में कुल 05 (पांच) कृषि उत्पादन मण्डी समितियां कार्यरत हैं।

जी नहीं।

कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 के अन्तर्गत निर्दिष्ट कृषि उत्पादों की सूची से बान एवं खोया निकाला जा चुका है फलतः मण्डी शुल्क की देयता नहीं बनती है। अतः किसानों से रुपये वसूल किये जाने एवं रसीद काटने का प्रश्न नहीं उठता है।

जांच करा ली जायगी।

जनपद उन्नाव, पुरवा में साईं नदी की बाढ़ से प्रभावित गांवों में बीज वितरण की धांधली सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

151–श्री उदय राज यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998 में विधान सभा क्षेत्र पुरवा जनपद उन्नाव मे साईं नदी की बाढ़ से प्रभावित लगभग 25 गांवों में बीज वितरण में की गयी धांधली के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिसम्बर, 1998 के अन्तिम सप्ताह में जिलाधिकारी, उन्नाव को पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

प्रश्नकर्ता के उपरोक्त पत्र पर कार्यवाही की गयी । जांचोपरान्त मु० टिकाना पत्नी टिकई को प्रभावित क्षेत्रफल 0.51 हे० हेतु गेहूं का बीज वितरित किया गया है । शेष शिकायत कर्ताओं को निःशुल्क बीज वितरित करने हेतु अपात्र पाया गया । वर्ष 1998 में बाढ़ से प्रभावित ब्लाक असोहा के 16 ग्रामों के 1340 व्यक्तियों को 383.65 कु० एवं ब्लाक हिलौली के 9 ग्रामों के 914 व्यक्तियों को 264.63 कु० गेहूं बीज का नियमानुसार निःशुल्क वितरित किया गया है ।

जनपद जौनपुर, लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल की मूर्ति हेतु स्थापना हेतु व्यय का विवरण

152–श्री जगदीश नारायण–

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16-1-99 को जनपद जौनपुर स्थित विकास भवन परिसर में लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण माननीय गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो उक्त मूर्ति स्थापित होने से अनावरण होने तक कुल कितना धन व्यय किया गया ? धन किस मद से अवमुक्त किया गया ?

संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)–

जी हां ।

लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के निर्माण में रु० 5,50,000/- (रु० पांच लाख पचास हजार मात्र) तथा मूर्ति के निर्माण कार्य एवं इसके स्थापना एवं अनावरण आदि कार्यों पर रु० 1,61,000/- (रु० एक लाख इकसठ हजार मात्र) व्यय हुआ । इस प्रकार मूर्ति के निर्माण, स्थापना एवं अनावरण आदि पर कुल व्यय रु० 7,11,000/- (रु० सात लाख ग्यारह हजार मात्र) हुआ है ।

मूर्ति के निर्माण हेतु रु० 5,50,000/- संस्कृति विभाग द्वारा व्यय किया गया एवं मूर्ति की स्थापना हेतु पेडस्टल के निर्माण कार्य रु० 95,000/- संस्कृति विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया था और रु० 66,000/- की व्यवस्था जिलाधिकारी, जौनपुर ने ग्राम्य विकास विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि के अर्जित ब्याज से किया है ।

जनपद सुल्तानपुर, तहसील गौरीगंज, ग्राम दुरामऊ के खलिहान हेतु उपयोगी भूमि का पट्टा विषयक जिलाधिकारी को सम्बोधित पत्र पर कार्यवाही

153–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित जगदेव पासी, ग्राम–दुरामऊ, तह०–गौरीगंज, सुल्तानपुर का पत्र दिनांक 12-1-99 प्रार्थना-पत्र जिसमें दो गांवों की आबादी के बीच कृषि की अनुपयोगी भूमि पर कुछ अनुसूचित जाति के मकान, खलिहान एवं होलिका दहन का भी कार्य होता था, को ग्राम प्रधान द्वारा पट्टा देने तथा प्रधान व कुछ अन्य द्वारा जोत लेने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त पट्टे को कृषि योग्य भूमि से स्थानान्तरित कर निरस्त करने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री हरिशंकर उपाध्याय, प्रधान ग्राम राम बक्शगढ़, सुल्तानपुर का प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारी को चकरोड न बनवाने हेतु अग्रसारित पत्र पर जांच/कार्यवाही की जानकारी

154–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को संबोधित प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित श्री हरिशंकर उपाध्याय, प्रधान ग्राम–राम बक्शगढ़ ब्लाक–जामो सुल्तानपुर का

प्रार्थना-पत्र दिनांक 8-1-99 जिसमें चकरोड न बनवाने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कोई जांच की गयी है ? यदि हां, तो कब और किसके द्वारा तथा जांच परिणाम क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में जांच दिनांक 21-1-99 को श्री राजेश चन्द्र नायब तहसीलदार, जामो द्वारा की गयी । चकमार्ग सं० 28 की पैमाइश करवाकर अतिक्रमणी को बेदखल कर दिया गया है । चकमार्ग पर अब कोई अवरोध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम प्रताप पाण्डे, ग्राम पूरेजिया, जामो, सुल्तानपुर का प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारी को चकरोड बन्द होने हेतु अग्रसारित पत्र पर जांच की जानकारी

155–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को संबोधित प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित श्री राम प्रताप पाण्डे निवासी ग्राम पूरेजिया जामो सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 8-1-99 जिसमें चकरोड बन्द होने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कोई जांच हुई है ? यदि हां, तो कब और किसके द्वारा तथा जांच परिणाम क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में जांच दिनांक 21-1-99 को श्री राजेश चन्द्र, नायब तहसीलदार, जामो द्वारा की गयी । चकमार्ग पर अतिक्रमण नहीं था, बल्कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज रास्ता सं०–2860 पर अतिक्रमण था, जिसे हटवा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम प्रताप पाण्डे, ग्राम पूरेजिया, जामो, सुल्तानपुर का प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारियों को पट्टे की भूमि पर 122 बी कार्यवाही हेतु अग्रसारित पत्र पर कार्यवाही की मांग

156–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को संबोधित प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित श्री राम प्रताप पाण्डे निवासी ग्राम पूरेजिया जामो सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 8-1-99 जो पट्टे की भूमि पर 122 वी की कार्यवाही करने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रमेश बहादुर सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी, सदर तहसील प्रतापगढ़ को गृह ब्लाक से स्थानान्तरित किये जाने की जानकारी

157–श्री सतीश जतारिया–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के सदर तहसील के सदर ब्लाक में श्री रमेश बहादुर सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी को उनके गृह ब्लाक की ग्राम सभा ढेकाही में तैनात किया गया है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ? क्या श्री रमेश बहादुर सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी को उनके गृह ब्लाक से स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां । किन्तु ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम श्री रमेश बहादुर सिंह न होकर श्री रमेश चन्द्र सिंह है । श्री रमेश चन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी, जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड–सदर के न्याय पंचायत संग्रामपुर किला में तैनात थे । श्री सिंह का गृह न्याय पंचायत पूरे माधव सिंह है।

श्री रमेश चन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी का गृह ब्लाक सदर होने के कारण जिला पंचायत राज अधिकारी, प्रतापगढ़ के कार्यालय आदेश सं०–768/7पं०/स्था/स्थाना०/98–99, दिनांक 22-6-98 द्वारा विकास खण्ड–सण्डवा चन्द्रिका के लिये स्थानान्तरित किया जा चुका है । जिन्हें खण्ड विकास अधिकारी, सदर द्वारा दिनांक 15-2-99 को कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़, सदर तहसील, ब्लाक सदर, ग्राम सभा ढेकारी के श्री गुड्डू पुत्र राम खेलावन को नियमों के विपरीत पट्टा आवंटन पर कार्यवाही

158–श्री सतीश जतारिया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की सदर तहसील के सदर ब्लाक की ग्राम सभा ढेकाही में ग्राम प्रधान द्वारा श्री गुड्डू पुत्र श्री रामखेलावन सिंह को नाबालिग होने के बाद भी पट्टा दिया गया है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ? क्या श्री रामखेलावन पुत्र स्व० श्री चन्द्रपाल सिंह के नाम कोई जमीन नहीं है ? यदि हां, तो उनके दो पुत्रों को पट्टा किन नियमों के अन्तर्गत प्रदान किया गया ? नियमों के विपरीत इन्हें पट्टा देने वाले के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

159–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[2रे सोमवार में अता० प्र० सं०–137 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरदोई, मल्लावां के ग्राम पंचायत सढ़ियापुर के मजरा, पुरवा के बाढ़ से प्रभावित लोगों को सामान/नगद सहायता वितरण

160–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद–हरदोई के 91–मल्लावां हरदोई निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम पंचायत सढ़ियापुर के मजरा मुहुवा पुरवा, चमारन पुरवा, मढ़ी, धमोइया, पुरवा की बाढ़ से प्रभावित लोगों को मात्र पांच किलो आटा व चावल, 2 लीटर मिट्टी का तेल, एक माचिस, आधा किलो नमक मात्र दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बाढ़ पीड़ितों को एक हजार रुपया नकद

अहेतुक सहायता व शेष रु० 400 की सामग्री का वितरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम सढ़ियापुर मजरा महुआपुर, चमारन पुरवा, गढ़ी, धमोइया पुरवा के बाढ से प्रभावित पात्र व्यक्तियों को अहेतुक सहायता के रूप में एक हजार रुपया प्रति परिवार के हिसाब से चेक के माध्यम से धनराशि एवं खाद्यान्न आदि सामग्री का वितरण किया गया है ।

उक्त पात्र बाढ़ पीड़ितों में एक हजार रुपया नकद अहेतुक सहायता के रूप में तथा आवश्यक सामग्री का वितरण किया जा चुका है ।

उन्नाव जिले के ग्राम काया, ब्लाक असोहा में ग्राम प्रधानों द्वारा कराये गये कार्यों की अधिकारियों की टीम द्वारा व्यय धनराशि की जानकारी

161–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम प्रधानों द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की जांच की कोई प्रक्रिया निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार को ज्ञात है कि उन्नाव जिले के ग्राम काथा ब्लाक असोहा के प्रधान के विरुद्ध एक ही आरोप की जांच कई बार कई अधिकारियों की टीम ने की है ? यदि हां, तो जांच कितनी बार हुई और जांच किन अधिकारियों ने की? क्या यह सच है कि प्रत्येक टीम की प्रत्येक जांच में कराये गये काम की धनराशि का कुल योग एक ही समान पाया गया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उक्त कुल योग गणित की दृष्टि से भी गलत है ? यदि हां, तो योग को भी ठीक से न जांच करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां, उ० प्र० पंचायत राज (प्रधानों, उप प्रधानों और सदस्यों को हटाया जाना) जांच नियमावली, 1997 एवं पंचायत राज अधिनियम की धारा–95 निर्धारित की गयी है ।

जी हां, दो बार । प्रथम जांच सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं अवर अभियन्ता (ल० सिं०) की संयुक्त टीम एवं पुनः जिलाधिकारी के निर्देशानुसार सहायक अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण एवं अधिशासी अभियन्ता,ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड की संयुक्त टीम द्वारा किया गया ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पंचायत राज विभाग द्वारा ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का लक्ष्य/शौचालय निर्माण की स्थिति

162–श्री चेतराम–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत राज विभाग द्वारा सन् 2000 तक प्रदेश में घोषित लक्ष्य का वर्ष 1997-98 तक ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का कितना लक्ष्य प्राप्त हो चुका है ? क्या पूर्व में निर्मित शौचालयों की वर्तमान स्थिति के आंकड़े सरकार के पास मौजूद हैं ? यदि हां, तो उनकी स्थिति क्या है ?

श्री धर्मपाल सिंह–

योजनान्तर्गत वर्ष 1997-98 तक धनराशि के सापेक्ष निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की जा चुकी है।

प्रदेश में अत्यधिक जनसंख्या में शौचालयों का निर्माण कराया गया है, पूर्व निर्मित शौचालयों की वर्तमान स्थिति की सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम निर्माण दोषपूर्ण पद्धति का प्रकरण

163–श्री चेतराम–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुचारु (एन० जी० ओ०) गाजियाबाद के सचिव का शिकायती-पत्र जो प्रदेश में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में निर्माण पद्धति के दोषपूर्ण होने के संबंध में है दिनांक 13-6-98, दिनांक 17-8-98 तथा दिनांक 22-6-98 सचिव, पंचायती राज एवं दिनांक 28-9-98 माननीय मुख्य मंत्री एवं माननीय पंचायती राज मंत्री को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर, तहसील गौरीगंज, ग्राम मुबारकपुर में गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड बनाने की जानकारी

164–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को संबोधित जगन्नाथ मौर्य बी० डी० सी० तथा अन्य हस्ताक्षरकर्ता ग्राम–मुबारकपुर, तह०–गौरीगंज, सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 8-1-99 जिसमें लेखपाल पर गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड बनाने में की गयी अनियमिततायें एवं अन्य गंभीर शिकायतें हैं, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1998, जनपद देवरिया, तहसील व नगरपालिका बरहज में बाढ़ से नष्ट फसल/गृह की क्षति हेतु पात्र परिवारों को अनुदान दिये जाने की जानकारी

165–श्री सत्यप्रकाश सोनकर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया की तहसील बरहज व नगर पालिका बरहज के अन्तर्गत माह सितम्बर, वर्ष 1998 की बाढ़ से वहां के लोगों की फसल नष्ट हो गयी थी और घर गिर गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उन्हें मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

पात्र परिवारों को अब तक धनराशि रु० 92,800/- गृह अनुदान मद में वितरित किया गया है। बाढ़ से फसलों को क्षति पर दैवी आपदा राहत निधि से मुआवजा देने का प्राविधान नहीं है ।

166–श्री सत्यप्रकाश सोनकर–

[3रे मंगलवार में अता० प्र० सं० 173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद जौनपुर में धान की फसलों को झुलसा रोग से काश्तकारों का सिंचाई व लगान माफी एवं बीज व खाद पर सब्सिडी का प्रकरण

167–श्री सत्यप्रकाश सोनकर–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के अन्तर्गत धान की फसल में 80 प्रतिशत झुलसा रोग लग गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन काश्तकारों का सिंचाई व लगान माफ करेगी तथा किसानों को बीज व खाद पर सब्सिडी प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नयी पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम प्रधान/सदस्यों को भत्ते/मानदेय देने की जानकारी

168–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नयी पंचायत राज व्यवस्था में सांसद एवं विधायकों की तरह प्रमुखों, ग्राम प्रधान क्षे० पं० सदस्यों/जि०पं० सदस्यों को भत्ते तथा मानदेय देने पर विचार किया जायेगा ? यदि हां, तो इसे कब से लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सांसदों एवं विधायकों के कर्तव्य एवं दायित्व, प्रश्न में उल्लिखित पदाधिकारियों से भिन्न होने के कारण इन्हें, सांसदों एवं विधायकों की तरह भत्ते तथा मानदेय दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

169–श्री मुरलीधर–

[3रे शुक्रवार में अता० प्र० सं० 181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वर्ष 1997-98 में मद्य निषेध के लिये जागरूकता पैदा करने में व्यय का विवरण एवं मद्य निषेध लागू करने की जानकारी

170–श्री रामललित चौधरी–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1997-98 में मद्य निषेध के लिये जागरूकता पैदा करने में सरकार ने कितनी धनराशि व्यय की है और ऐसे क्षेत्रों में जहां जागरूकता पैदा की गयी है, क्या वहां लाइसेन्स शुदा शराब की दुकानों की बिक्री घटी है ? क्या सरकार द्वारा उन क्षेत्रों में जहां जागरूकता पैदा की गयी है वहां अब मद्य निषेध लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

वर्ष 1997-98 में मद्य निषेध विभाग के अन्तर्गत मद्य निषेध के लिये जागरूकता पैदा करने में रु० 8,82,000 की धनराशि व्यय की गयी । इस सकारात्मक प्रचार प्रसार के परिणामस्वरूप मादक पदार्थों की अवैध बिक्री की स्थिति नियंत्रण में है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की आर्थिक स्थिति एवं राजस्व हित को ध्यान में रखते हुए मद्य निषेध लागू करना श्रेयस्कर नहीं है ।

सरकार द्वारा विभिन्न उर्वरकों पर दी गयी सब्सिडी के विवरण की जानकारी

171–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 1998-99 में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किन-किन उर्वरकों पर कितनी सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है और कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विगत 5 वित्तीय वर्षों में किन-किन उर्वरकों पर कितनी-कितनी सब्सिडी किसानों को सरकार द्वारा प्रदान की गयी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

भारत सरकार द्वारा विभिन्न उर्वरकों पर किसानों को सीधे सब्सिडी न देकर उत्पादक इकाइयों को निर्धारित मूल्य सहायता प्रदान की जा रही है । वर्तमान में सहायता की दरें निम्नवत् हैं :—

क्र०	उर्वरक का नाम	अनुदान दर (प्रति मी० टन)
1	डी० ए० पी० (स्वदेशी)	रु० 4400
2	डी० ए० पी० (आयातित)	रु० 3400
3	एम० ओ० पी०	रु० 3000
4	एस० एस० पी०	रु० 600
	मिश्रण उर्वरक	
1	10:26:26	रु० 3777
2	12:32:16	रु० 3827
3	14:28:14	रु० 3590
4	14:35:14	रु० 4071
5	15:15:15	रु० 2814
6	16:20:0	रु० 2477
7	17:17:17	रु० 3189
8	19:19:19	रु० 3564
9	20:20:0	रु० 2752
10	23:23:0	रु० 3165
11	28:28:0	रु० 3853

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषकों को उर्वरकों पर सीधे अनुदान अनुमन्य नहीं है ।

सहायक भू-लेख अधिकारी, बस्ती के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

172–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि सहायक भू-लेख अधिकारी, बस्ती के विरुद्ध श्री बृज बिहारी, ग्राम बनकटा, पो० जहानाबाद जनपद मऊ का रजिस्टर्ड शिकायती-पत्र दिनांक 29-10-98

अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उ० प्र० को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र पर राजस्व परिषद् के किस अधिकारी द्वारा जांच करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर, विकास खण्ड खड्डा, ग्राम तुर्कहा के पंचायत भवन के घटिया निर्माण/दोषियों को दण्डित करने की जानकारी

173–श्री दीप लाल भारती–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा अन्तर्गत ग्राम–तुर्कहा में पंचायत भवन का लिंटर का ढांचा खुलते ही दिनांक 27-12-98 को ध्वस्त हो गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त पंचायत भवन में घटिया किस्म की निर्माण सामग्री प्रयोग की गयी थी ? यदि हां, तो क्या दोषी को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है तथा सम्बन्धित प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी कर दी गई है तथा प्रधान द्वारा संचालित ग्राम पंचायत के खातों के आहरण-वितरण पर रोक भी लगा दिया गया है ।

जनपद मथुरा जल निकासी हेतु धनराशि उपलब्ध कराने की विधायक कोष्ठक के पत्र पर कार्यवाही

174—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा की जल निकासी के लिये धनराशि उपलब्ध कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम-3/18516/मथुरा/98, दिनांक 2-12-98, आयुक्त, राहत को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जनपद मथुरा में जल-प्लावन एवं जल निकासी हेतु जनपद को रु० 6.00 लाख की धनराशि अवमुक्त करते हुए जिलाधिकारी, मथुरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

उत्तरकाशी तिलाड़ी शहीद स्मारक विकास हेतु जिलाधिकारी के प्रस्ताव पर भूमि उपलब्ध कराने की मांग

175–श्री लाखीराम जोशी–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जिला उत्तरकाशी में तिलाड़ी शहीद स्मारक के विकास हेतु भूमि उपलब्ध कराने विषयक जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ने पत्र संख्या–256/26-12(97-98) दिनांक 23 नवम्बर, 1998 द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व को प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो क्या शहीद स्मारक के विकास हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

याचित भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने के कारण इस भूमि के हस्तान्तरण हेतु केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है। उक्त हेतु जिलाधिकारी, उत्तरकाशी एवं उप वन संरक्षक, अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट, उत्तरकाशी से नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव मांगा गया है।

जिला टिहरी गढ़वाल, तहसील धनोल्टी व उप तहसील जाखणीधार को पूर्ण तहसील बनाने के विचाराधीन प्रकरण की जानकारी

176–श्री लाखीराम जोशी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला–टिहरी गढ़वाल में उप तहसील धनोल्टी व उप तहसील जाखणीधार को पूर्ण तहसील बनाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रकरण विचाराधीन है।

श्री रामेश्वर शुक्ल, ग्राम रमईपुर, ब्लाक गौरीगंज, सुल्तानपुर का क्षेत्र पंचायत अरगवां सम्पर्क मार्ग की धनराशि निकाल कर कार्य न कराने विषयक प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

177–श्री तेजभान सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को संबोधित प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित रामेश्वर शुक्ल, ग्राम–रमईपुर, ब्लाक–गौरीगंज, सुल्तानपुर का दिनांक 22-12-98 का प्रार्थना-पत्र जिसमें क्षेत्र पंचायत द्वारा आवंटित अरगवां सम्पर्क मार्ग को 4 माह से आवंटित धनराशि कार्य प्रभारी मंचायत अधिकारी द्वारा निकाल लेने तथा कार्य न करने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां।

जांच कराई गई। कार्यप्रभारी ग्राम पंचायत अधिकारी की उदासीनता के कारण कार्य पूर्ण नहीं हुआ जिस कारण कार्य प्रभारी ग्राम पंचायत अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है।

कृषि निदेशालय में शासनादेश के अनुरूप रखे जा रहे दैनिक कर्मचारियों को हटाने की जानकारी

178–श्री विजय कुमार–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग में कोई भी दैनिक कर्मचारी न रखा जाय इस प्रकार के स्पष्ट शासनादेश हैं ? यदि हां, तो क्या कृषि निदेशालय में आज भी दैनिक कर्मचारी रखे जा रहे हैं ? पिछले सात माह से अब तक कितने दैनिक कर्मचारी रखे गये हैं ? क्या इन कर्मचारियों को हटाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां।

जी नहीं।

9 कुशल/अकुशल श्रमिक संविदा पर रखे गये हैं।

जी हां।

आवश्यकता समाप्त होते ही स्वतः हट जायेंगे।

जनपद सुल्तानपुर, तहसील गौरीगंज, ग्राम व पोस्ट कौहार के लेखपाल के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

179–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के दूसरे गुरुवार को उत्तरित अता० प्र० सं० 124 के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रकरण में दोषी लेखपाल श्री अशोक कुमार शुक्ल को निलम्बित कर दिया गया है, इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रगति पर है राजस्व निरीक्षक श्री सुखसागर सिंह के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच पूर्ण कर ली गयी है, विभागीय कार्यवाही प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती कुसुम श्रीवास्तव, 64, रिकाबगंज नियावां रोड, फैजाबाद का पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर क्षेत्र को प्रेषित पत्र पर सुरक्षा प्रदान करने की जानकारी

180–श्री सीताराम निषाद–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के दूसरे सोमवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं०–46 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूखण्ड संख्या–548 के संबंध में संदर्भ संख्या–586, 587, 588 एवं 198 सरकार बनाम रामसूरत आदि में दिनांक 12-12-86 को उप संचालक (चकबन्दी) बस्ती द्वारा आदेश पारित हुआ है और उसी संदर्भ में दिनांक 17-1-90 एवं 31-7-95 को संयुक्त संचालक (चकबन्दी), बस्ती ने भी आदेश पारित किया है ? यदि हां, तो क्या संदर्भित आदेशों की प्रति उपलब्ध कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या आदेश दिनांक 17-1-90 एवं 31-7-95 में स्पष्ट उल्लेख है कि मा० न्यायालय, इलाहाबाद का आद्रेश दिनांक 8-1-87 लागू नहीं होता है ? यदि हां, तो पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष अपराध मुख्यालय, उ० प्र० का अ० शा० पत्रांक/शिकायत–228/96, दिनांक 18-1-97 के परिपेक्ष्य में जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

संदर्भित आदेशों की छाया प्रतियां संलग्न हैं ।†

प्रश्न नहीं उठता ।

मा० उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या–निल/1987 शिव प्रसाद तथा अन्य बनाम उप संचालक चकबंदी में पारित आदेश दिनांक 8-1-87 से उप संचालक चकबंदी द्वारा संदर्भ सं०2007/856/1205/589 सरकार बनाम शिव प्रसाद में पारित आदेश दिनांक 12-12-86 को स्थगित किया है । संदर्भ संख्या 586, 587 तथा 588 सरकार बनाम राम सूरत आदि में उप संचालक चकबंदी के आदेश दिनांक 12-12-86 को मा० उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 8-1-87 से स्थगित नहीं किया है । संयुक्त संचालक चकबंदी ने अपने आदेश दिनांक 31-7-95 में यह उल्लेख किया है कि संदर्भ संख्या–586, 587 व 588 सरकार बनाम रामसूरत आदेश दिनांक 12-12-86 में मा० उच्च न्यायालय का

---

† छापी नहीं गयी ।

स्थगन आदेश दिनांक 8-1-87 लागू नहीं होता है परन्तु संयुक्त संचालक चकबंदी ने अपने आदेश दिनांक 17-1-90 कायमी प्रार्थना पत्र बावत संदर्भ सं०–586, 587 एवं 588 में मा० उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश दिनांक 8-1-87 के लागू होने अथवा न होने का जिक्र नहीं किया है ।

पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष अपराध मुख्यालय, उ० प्र० लखनऊ के अ० शा० पत्रांक–शिकायत–228/96, दिनांक 18-1-97 के परिप्रेक्ष्य में श्रीमती कुसुम श्रीवास्तव निवासी ग्राम परवरपारा, थाना परस रामपुर, बस्ती जब भी अपने उक्त ग्राम में आती हैं तो उन्हें समुचित सुरक्षा प्रदान की जाती है ।

जनपद मथुरा, गोवर्धन, बाढ़ एवं जल प्लावन समस्या निदान दिलाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

181–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 5 अक्टूबर, 1998 को प्रश्नकर्ता का पत्र सं०–क–2-021117, जो मथुरा जनपद के गोवर्धन, बाढ़ एवं जल प्लावन की समस्या से निदान दिलाने हेतु था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में बाढ़/जल प्लावन एवं जल निकासी हेतु रु० 6.00 लाख की धनराशि जनपद को अवमुक्त करते हुए जिलाधिकारी, मथुरा को निर्देशित किया गया है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, कानपुर रोड प्रसार योजना भाग–4 हेतु श्रीमती हंसा देवी के अनियमित भुगतान में दोषियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

182–श्री उदय राज यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के कानपुर रोड प्रसार योजना भाग–4 की भू–स्वामिनी श्रीमती हंसा देवी पत्नी श्री गंगाधर दुबे, निवासी–सालेनगर लखनऊ को उसकी भूमि 1-15-10-0 बीघा के अनियमित भुगतान संबंधी जिलाधिकारी लखनऊ के पत्र संख्या–358/न०मा०प०/2, दिनांक 29-7-97 तथा आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के पत्रांक 147/पी०ए०/ए०सी०, दिनांक 13 सितम्बर, 1997 के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तर 1, 2, 3 में प्रश्नगत प्रकरण में अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये हंसा देवी को भूमि का पूर्ण भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? उक्त का भुगतान कब तक सुनिश्चित करा दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय/अपराधिक कार्यवाही की जा चुकी है । भू-स्वामिनी श्रीमती हंसा देवी को अभिनिर्णीत प्रतिकर की धनराशि का भुगतान क्रमशः 1-1-91 व 11-2-92 को किया जा चुका है । भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 28ए के अन्तर्गत मा० उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति द्वारा घोषित अभिनिर्णय दिनांक 14-8-95 पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मा० उच्च न्यायालय से दिनांक 19-4-96 को स्थगन प्राप्त कर लिया गया है जिसमें मात्र अपीलान्ट्स को ही भुगतान किये जाने की छूट थी । श्रीमती हंसा देवी अपीलान्ट्स नहीं थीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में जिस तरह से जंगल राज कायम है, हत्यायें हो रही हैं।

श्री राम नक्षत्र–

माननीय अध्यक्ष जी, जब वी० आई० पी० इलाके में इस तरह की घटनायें हो रही हैं तो और जगह लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष–

पहले 301 की सूचनाएं ले लेते हैं उसके बाद मद संख्या–3 के बाद हम कार्य-स्थगन का प्रस्ताव ले लेंगे ? जो आप यहां उठा रहे हैं। वह नियम–56 में सूचना चयनित हो गयी है और मेरे ख्याल में 3-4 मिनट में वह आ जायेगी। राम नक्षत्र जी आप बैठें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, नियम–311 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है, तो सदन के सभी कार्यों को निलम्बित करके उसे सुनें। इसीलिए प्रश्न प्रहर में यह बात आयी थी। कल भी एक कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई थी और पुनः एक घटना की पुनरावृत्ति हो गयी, विधान सभा के सामने गोली चली।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत इसी विषय पर मेरी भी नोटिस है।

श्री अध्यक्ष–

समरपाल सिंह जी आपकी सूचना है। आप लोग शांत रहें पहले मैं 301 की सूचनायें ले रहा हूं।

आज दिनांक 25 फरवरी, 1999 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयी।

पहली सूचना श्री श्रीराम पाल, दूसरी श्री पूर्णमासी पंकज, तीसरी श्री जय प्रकाश निषाद, चौथी श्री तेजभान सिंह, पांचवीं डा० धर्मज्ञ मिश्र, छठी श्री अयोध्या प्रसाद पाल एवं सातवीं प्रतीक्षा सूची के श्री श्यामदेव राय चौधरी की श्री राम तेज यादव एडवोकेट के अनुपस्थित होने पर। शेष सूचनायें निरस्त हुईं।

(सदन की सहमति से निम्नलिखित सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद आलीगढ़ के थाना क्षेत्र चर्खी में पुलिस निष्क्रियता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री श्रीराम पाल–

[मान्यवर, दिनांक 20-2-99 को अमर सिंह पुत्र श्री मलखान सिंह पाल गांव के पास अपने नलकूप के पास बने कमरे में सो रहा था। रात्रि में डकैतों द्वारा उसका फिरौती वसूलने या हत्या करने की नीयत से अपहरण कर लिया गया जब कि कई दिनों से थाना चर्खी व थाना सिरसाकहार क्षेत्र में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डकैत गिरोह सक्रिय होने की सूचना प्राप्त थी, इस घटना से पूरे क्षेत्र में किसान खेतों पर पानी लगाने व रखवाली करने नहीं जा पा रहे हैं, बच्चों को अभिभावकों ने स्कूल भेजना बंद कर दिया है। पाल बिरादरी के कई व्यक्तियों के अपहरण हो चुके हैं, जिससे लोगों में दहशत व्याप्त है। उक्त थाने की पुलिस निष्क्रिय हो चुकी है।

अतः उक्त प्रश्न को सदन में उठाने की अनुज्ञा प्रदान करने व उचित व्यवस्था देने का कष्ट करें।]

जनपद संत रविदास नगर, भदोही में वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा की नियुक्ति न होने के कारण प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान आदि में हो रही परेशानी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूर्णमासी पंकज–

[मान्यवर, जनपद भदोही संत रविदास नगर का गठन 30 जून, 1994 को हुआ। जिला बेसिक शिक्षाधिकारी पद सृजित हो चुका है किन्तु अभी तक वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा का पद सृजित न होने से लगभग 2500 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को वेतन आदि का भुगतान समय से नहीं हो पा रहा है तथा सेवानिवृत्त अध्यापकों/कर्मचारियों को काफी परेशानी हो रही है उनके जी० पी० एफ० अग्रिम, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि के भुगतान में अपेक्षाकृत अधिक विलम्ब हो रहा है। वर्तमान में वाराणसी के वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा वेतन एवं पेंशन आदि के प्रकरण को अनर्गल रूप से आपत्तियां लगाकर बिलों को बार-बार लौटा कर परेशान किया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में कई बार शिकायत भी की जा चुकी है तथा जिलाधिकारी द्वारा वाराणसी के वित्त एवं लेखाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग भी शासन से की जा चुकी है। सेवानिवृत्त अध्यापक/कर्मचारी बार-बार वाराणसी आने जाने में काफी श्रम, समय व धन बरबाद कर थक हार चुके हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि तत्काल जनपद संत रविदास नगर भदोही में वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) की नियुक्ति करने एवं वाराणसी के वित्त एवं लेखाधिकारी की उच्चस्तरीय जांच कराकर दण्डित करने हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा करें।]

जनपद देवरिया में रुद्रपुर नया बस स्टेशन से बाई पास तक का मार्ग ऊंचा कराने एवं सड़क के दोनों ओर नाली का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश निषाद–

[मान्यवर, आपके आज्ञा से सदन के संज्ञान में अति लोक महत्व की सूचना लाकर चाहता हूं कि देवरिया जनपद के नगर पंचायत रुद्रपुर नया बस स्टेशन से पुराना बस स्टेशन होते हुए बाई पास बरहज रोड काफी पहले का बना हुआ है जिस पर बाढ़ के समय में महीनों तक 3 से 4 फुट पानी लगा रहा। महीनों तक आवागमन बाधित रहा जिससे उक्त सड़क पूरी उजड़ कर गड्ढा हो गयी है। पिछले 10 वर्षों से उस सड़क की मरम्मत पुनर्निर्माण कार्य विभाग द्वारा कराया गया। एस० आर० एम० डी० का एक भी पैसा उस सड़क पर नहीं लगाया गया जिससे सड़क में एक-एक फुट का गड्ढा बना हुआ है जबकि नगर पंचायत रुद्रपुर का और गौरी बाजार बरहज एवं नरायनपुर देवरिया मार्ग का मुख्य मार्ग

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भी है । उक्त नगर पंचायत मेरे क्षेत्र का मुख्य बाजार है जो उसी रोड पर पड़ता है । थोड़ी भी बरसात हुआ या घरों से निकला हुआ पानी आने पर सड़क में भारी कीचड़ होता है । लोगों का आवागमन बराबर बन्द पड़ा रहता है जबकि उक्त नगर पंचायत की आबादी लगभग 30 हजार है और रुद्रपुर तहसील जो कछार क्षेत्र में पड़ता है । पूरे क्षेत्र तथा मुख्य बाजार एवं रुद्रपुर तहसील से जिला बाजार में आवागमन उसी मार्ग से होता है । लाखों लोगों का आवागमन बाधित है । उक्त सड़क के किनारे नाली न होने और जल जमाव होने के कारण मच्छर, मक्खी, कीड़ों का भरमार हो गया है, नाना प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं । लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, जबकि बाबा दुग्धेश्वर नाथ का शिवलिंग 25 सौ देवी देवताओं की मूर्ति मंदिर, सैकड़ों एकड़ पुरातात्विक स्थल की दर्शन हेतु हजारों वर्षों से हैं । वर्ष भर पूजन अर्चन एवं दर्शन करने वाले लाखों श्रद्धालु नगर निवासी उसी मार्ग से आते जाते हैं ।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि रुद्रपुर नया बस स्टेशन से पुराना बस स्टेशन होते गोला वार्ड बाई पास तक का पी० डब्लू० डी० का मार्ग एक से दो फुट ऊंचा कराकर पुनर्निर्माण अविलम्ब कराया जाये तथा सड़क के दोनों तरफ नाली का निर्माण कराकर जल निकासी कराया जाये ।]

जनपद सुल्तानपुर के जामो गौरीगंज में प्राइमरी पाठशाला में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री तेजभान सिंह–

[मान्यवर, उपरोक्त जनपद में ब्लाक जामों के ग्राम दुलापुर, गाटियाबाद, उमराडीह के प्राइमरी पाठशाला में सम्बन्धित अध्यापकों की पदोन्नति पर दूसरे विद्यालय में चले गये हैं । यहां पर अब दूसरा कोई अध्यापक की न तो नियुक्ति की गयी है और न ही कोई समायोजन कागज पर कुछ अध्यापकों को इससे सम्बद्ध करने का आदेश तो दिया गया बताया जाता है लेकिन कोई अध्यापक पठन-पाठन करने न आने से विद्यालय को लगभग 1 माह से ताला बन्द है । श्रीमन्, इन गांवों के अन्य कई विद्यालय ऐसे और हो सकते हैं जो या तो बंद होंगे या अध्यापिकाओं के न होनें से बंद की श्रेणी में होंगे । ऐसी स्थिति में जहां जनमानस में भारी असंतोष है वहीं बच्चों के आवारा इधर उधर घूमने विद्यालय लगातार बंद होने से सरकार की छवि धूमिल हो रही है ।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ड्रेनों की सफाई व खुदाई कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[मान्यवर, जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र की ओर से आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि निम्न ड्रेनों की लगभग 20 वर्षों से सफाई व खुदाई न होने के फलस्वरूप पानी के बहाव व निकास में अवरोध उत्पन्न होता है । वर्षा ऋतु में ड्रेनों से सम्बन्धित क्षेत्र में तबाही और बर्बादी का दृश्य उपस्थित हो जाता है । आज भी हजारों एकड़ भूमि जलमग्न होकर कृषकों की जीविका का साधन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

तथा कृषि उत्पादन से वंचित करके उन्हें त्राहि-त्राहि करने पर विवश कर रहा है । इसके अतिरिक्त लम्बे अर्से तक जल भराव के कारण आवागमन भी अवरुद्ध करके जनता के जीवन की दयनीय दशा को प्रभावित करता है । आपको यह भी अवगत करा रहा हूं कि इस प्रकार के सम्बन्ध में जिला स्तर से लेकर शासन स्तर तक वर्षों से पत्र व्यवहार करता आ रहा हूं, किन्तु आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है ।

मान्यवर, इस वर्ष अतिवृष्टि तथा भीषण बाढ़ के कारण इन ड्रेनों ने भी जलभराव में बढ़ोत्तरी करके विनाशकारी दृश्य उपस्थित करके जनजीवन को तबाह कर दिया है । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस विषम परिस्थितियों एवं दशाओं को आप गम्भीरता से ग्रहण करें तथा त्वरित सत्य से निम्न ड्रेनों की सफाई व खुदाई कर हजारों एकड़ भूमि जो आज भी जलमग्न है, जिस पर खेती नहीं हो पायी है जिससे कृषकों के सामने भयंकर समस्या उत्पन्न है जैसे सोनहार ड्रेन, अटवा अलीमर्दानपुर ड्रेन, हथोरा ड्रेन, ससहिजन ड्रेन, फिरोजपुर ड्रेन, लालपुर कन्हरी ड्रेन, भिखारीपुर ड्रेन, मिठाई ड्रेन, कुदरौली ड्रेन, पुलई ड्रेन, हैहतपुर ड्रेन, जलालाबाद ड्रेन, विरौरी ड्रेन, गुजरई ड्रेन, गौरइया नदी आदि ड्रेनों की खुदाई व सफाई व चौड़ी कराने हेतु ऊसर सुधार योजना के उच्चाधिकारियों को आदेश देने की कृपा करें जिससे हमारे क्षेत्र की हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि जो कृषकों की जलमग्न है उसका पानी निकल सके और क्षेत्र के किसान अपनी उपजाऊ भूमि पर उत्पादन कर सकें । जनहित में तत्काल प्रभाव से यह कार्य करा दिया जाये । यह लोक महत्व का प्रश्न है । इसलिये सदन के संज्ञान में लाना आवश्यक है जिससे शासन स्तर से कार्य हो सके ।]

जनपद फतेहपुर के थाना ललौली अन्तर्गत अढ़ावल गांव के भुइया रानी देव स्थान से हुई अष्ट धातु की मूर्ति की चोरी की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

[मान्यवर, हम आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि जनपद फतेहपुर के थाना ललौली के अढ़ावल गांव के भुइया रानी देव स्थान में गत दिनांक 18-2-99 की रात्रि में अष्ट धातु की मूर्ति जिसकी कीमत लगभग 10.00 लाख रुपये बताया जाता है, चोरी हो गयी । जिसकी सूचना गांव के लोग व प्रधान अढ़ावल ने थाना में जाकर दिया । सही सूचना थानाध्यक्ष ने नहीं दर्ज की और गांव जाकर न स्थान देखा कि मूर्ति दो मीटर जमीन से खोदकर निकाली गयी है । प्रधान को बुलवाकर गढ़ापुरवा कर दोबारा चबूतरा बनवाने को कहा तथा पत्थर की दूसरी मूर्ति रखवा दी और कहा इसका जिक्र कहीं नहीं करना, गांव में आकर लोगों को गाली गलौज किया ।

अतः आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न पर आवश्यक कार्यवाही की मांग करते हैं।]

वाराणसी नगर जल संस्थान के गेट के पास ध्वस्त सीवर लाइन को बदलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री श्यामदेव राय चौधरी–

[मान्यवर, वाराणसी नगर में जल संस्थान गेट के पास स्थित मुख्य सीवर लाइन बहुत दिनों से ध्वस्त है जिससे मल मूत्र युक्त गन्दे पानी का बहाव अवरुद्ध चल रहा है । उक्त ध्वस्त सीवर लाइन का स्थलीय मुकम्मल मरम्मत अथवा बदल दिये जाने की मांग एक लम्बे अर्से से नागरिकों द्वारा की जाती रही है । मांग के पक्ष में नागरिकों द्वारा कई बार सड़क जाम व अनशन भी किया गया और परिणामस्वरूप

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वाराणसी नगर निगम के अधिकारियों द्वारा सीवर लाइन को बदलने एवं समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन भी दिया गया लेकिन आज तक सीवर लाइन को बदलने की दिशा में कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया । उक्त ध्वस्त सीवर लाइन के कारण विजयानगरम कालोनी, भेलूपुर में बहुत बड़े क्षेत्र में खोजवां, तिलभाण्डेश्वर आदि क्षेत्रों में आये दिन सीवर जाम की समस्या बनी रहती है और लोगो के मकानों के आंगन तक में गन्दे पानी का जमाव हो जाता है जिससे लोगों का जीना दूभर हो गया है और यदि अविलम्ब उक्त सीवर लाइन को बदला नहीं गया तो गर्मी के दिनों में संक्रामक रोग फैलने की भी सम्भावना रहेगी ।

अतः नियम–301 के अविलम्बनीय लोक महत्व के उपरोक्त गम्भीर समस्या की तरफ माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त सीवर लाइन को बदलने हेतु वाराणसी नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी को शासन द्वारा निर्देश दिये जाने की मांग करता हूं ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वह ऐसी नहीं हैं जिनको स्थगित न किया जा सके । मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वह कल सूचनायें दे दें ।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त, उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–4, 5, 6 एवं 7 में कुछ नहीं है । अब मैं मद संख्या–8 ले रहा हूं ।

नियम 311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम–311 में जितनी भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उन्हें 56 में परिवर्तित कर दिया गया है । पहली सूचना प्रदेश की राजधानी की बिगड़ती कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में है । मैं माननीय सदस्यों के नाम पढ़ देता हूं । जिनकी पहली सूचना है वह हैं श्री कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री अम्बरीष कुमार, श्री प्रमोद कुमार, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री कौकब हमीद, श्री बी० आर० वर्मा, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राम ललित चौधरी, श्री भगवती प्रसाद सागर, श्री श्रीरामपाल, श्री राजा राम पाल, श्री अयोध्या प्रसाद पाल, श्री समरपाल सिंह, श्री जगदम्बिका पाल, श्री अखिलेश कुमार सिंह, डा० अशोक बाजपेयी, श्री राजेन्द्र, श्री पीतम राम, डा० कौशल किशोर एवं श्री गौरी शंकर एडवोकेट । कुंवर रेवती रमण सिंह जी पहले अपने विचार रखें । पहली सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह जी की है । यह 9 बजकर 05 मिनट पर आयी थी बाकी सूचनाएं थोड़े समय बाद आई हैं ।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

अध्यक्ष महोदय, कल की घटना इस बात की चुनौती है कि सरकार ने जो बड़े-बड़े दावे किये हैं, वह सब दावे खोखले हैं । कल 4.30 बजे विधान सभा के गेट के सामने मुहम्मद बेग रिक्शा चालक को मौत के घाट उतार दिया गया और राम नरेश यादव जो चतुर्थ श्रेणी का गंजरिया फार्म का कर्मचारी

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

था उसको भी गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया । उनका दु:साहस इतना था कि उस गेट से घुसे और गेट नं० 7 से निकलकर बाहर चले गये । इस सरकार के लिये यह खुली चुनौती है । पिछले वर्ष मुझे याद है कि एक अपराधी ने एक सब इंसपेक्टर की हत्या की थी हजरतगंज में । अब तो विधान सभा के गेट के सामने व विधान सभा के गेट के अन्दर घटनाएं होने लगी हैं और कुछ दिन बाद तो अपराधी विधान सभा के अन्दर घुसने लगेंगे ।

मेरी आपसे मांग है । सरकार पूरी तरह से विफल हो गयी है । कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गयी हैं । जो दावा सरकार ने किया है वह सब खोखले हैं आज अपराधी खुली चुनौती सरकार को दे रहे हैं । उसका कारण है आज अपराधी सरकार में बैठे हुए ऐसे लोग हैं, जिनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है । इससे बड़ी चुनौती दूसरी नहीं हो सकती है । कल मुख्य मंत्री जी ने और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था एक टास्क फोर्स बना दिया गया है । टास्क फोर्स क्या होता है ? वही पुलिस कर्मी हैं जो लखनऊ में काम करते थे इतना ही नहीं कल बरेली में भी एक पुलिस कर्मी को मौत के घाट उतार दिया गया । यह दु:साहस इतना बढ़ गया है कि सरकार पूरी तरह से अक्षम हो गयी है । निष्फल है । इस बिन्दु पर एक सरकार बर्खास्त कर दी गयी थी उससे भी बदतर हालत आज उत्तर प्रदेश सरकार की हैं । मैं मांग करूंगा कि इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और अगर इस्तीफा न दे, तो इस सरकार को बर्खास्त होना चाहिए । मैं यह राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूं । मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं । 1861 का पुलिस एक्ट जो बना है । यह पूरी तरह से बेकार हो गया है जब तक इस एक्ट में तब्दीली नहीं लाई जायेगी, पुलिस कमिश्नर एक्ट नहीं बनाया जायगा । लखनऊ में पुलिस कमिश्नर बनाया जाए और यह व्यवस्था की जाए जिससे पुलिस में 10 एस० पी०, 50 डी० वाई० एस० पी० होंगे। इस सरकार के इस्तीफे की पुरजोर मांग करता हूं ।

* श्री प्रमोद कुमार–

अध्यक्ष महोदय, यह दुखद घटना तो है ही सरकार के लिए शर्मनाक है । जब से लोकतंत्र की स्थापना हुई यह पहला अवसर है जबकि गोलियों से विधान सभा की दीवारें छलनी हुई हैं । गोलियों की आवाज इस विधान सभा की गुम्बद तक सुनाई पड़ी हैं । शर्मनाक और दुखद अवसर इसलिए है कि कल्याण सिंह सरकार के राज्य में कानून व्यवस्था नहीं बल्कि जंगलराज चल रहा है । उसके लिये पूरी तरह जिम्मेदारी कल्याण सिंह सरकार और कल्याण सिंह जी की है । यह सरकार चलाना चाहते हैं यह कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते । उस कुर्सी को बनाये रखने के लिए इन्होंने न जाने कितने [× × ×] को मंत्रि-मण्डल में शामिल किया । इसके संबंध में मैंने साक्ष्य दिया है । इनका मंत्रि-मण्डल [× × ×] की धर्मशाला बन गया है । वहां पर ऐसे [× × ×] शामिल हैं कि अगर आज वह मंत्रि-मण्डल में न होते, तो या तो [× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आक्षेपात्मक अंश कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

यह साक्ष्य के साथ आरोप है, पूरी जिम्मेदारी के साथ आरोप है ।

(व्यवधान के मध्य)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

जो भी चीज संसदीय मर्यादाओं के विरुद्ध होगी, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, [× × ×] मैंने इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखित रूप में दिया है, उस मंत्री का आपराधिक इतिहास दिया है और एस० एस० पी० की विज्ञप्ति भी दी है । अब आप लोग मुख्य मंत्री जी से पूछें, जिनके पास इसका इतिहास है ।

श्री अध्यक्ष–

बड़ा कठिन है । माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को देखें। इस संबंध में निर्णय हुए हैं कि किसको अपराधी कहें और कब कहेंगे । इसके बारे में चुनाव याचिकाओं के संदर्भ में भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय हो चुके हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, भारतीय दण्ड संहिता में माफिया शब्द परिभाषित नहीं है, माफिया शब्द को सरकार परिभाषित करती है । आज इनकी पुलिस इनके मंत्रियों को [× × ×] परिभाषित कर रही है । माननीय मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने इसी सदन में सूचीबद्ध गिरोहों का नाम पढ़ा था, आज वही [× × ×] इनके मंत्रि-मण्डल की शोभा बढ़ा रहे हैं । वह कार्यवाही में अंकित है । मान्यवर, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि हौंसला देखिये इन [× × ×] का । हत्या होती है । विधान सभा के गेट नम्बर– 9 पर, जहां पर न जाने कितनी ट्रक्स पी० ए० सी० की खड़ी रहती हैं और रैलीज आदि को रोकने के लिये पुलिस की पूरी छावनी बनी हुई है । वहां पर गोली चलती है और अपराधी विधान सभा गेट नम्बर– 9 से अन्दर आकर आते हैं और गेट नं०–7 से बाहर निकल जाते हैं । विधान सभा परिसर के अन्दर आकर निकल रहे हैं । फिर मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह कौन सी जगह बची है जो सुरक्षित है । आज विधान सभा सुरक्षित नहीं है । यह कोई माननीय सदस्यों का सवाल नहीं है । अगर नैतिकता बची है, ईमानदारी बची है, तो श्री कल्याण सिंह जी को विधान सभा में नहीं आना चाहिए बल्कि सीधे राजभवन जाकर श्री सूरजभान जी को अपने मंत्रि-मण्डल का इस्तीफा देकर तब विधान सभा में आना चाहिए । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जहानाबाद जो पटना से 100 किलोमीटर दूर है, वहां पर जब हत्यायें होती हैं तो सरकार बर्खास्त कर दी जाती है और इन्हीं की पार्टी की सरकार बर्खास्त करती है परन्तु विधान सभा के सामने हत्या होती है परन्तु यहां की सरकार बर्खास्त नहीं होती है । आप चाहे नियम 56 व नियम 311 स्वीकार करें या न करें, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जब तक इस प्रकार के [× × ×] जब तक वह इस्तीफा नहीं देंगे, ये अपराध रुकने वाले नहीं हैं । मान्यवर, मृतक आश्रित के घर में चार मासूम बच्चे हैं और एक विकलांग भाई है, इसलिए मृतक के परिवार को पांच लाख रुपये देने की घोषणा इसी सदन में करने की कृपा करें ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । एक दुखद घटना हुई है । उसको राजनैतिक रंग देने की नीयत से इस माननीय सदन में.....

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर––व्यवधान)

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

शान्त रहिये ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, जिस तरह से इसको राजनैतिक मुद्दा बनाया.....

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[× × ×]

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शान्त रहें । आप बैठ जायं । यह लिखा नहीं जायेगा जो डा० धर्मज्ञ मिश्र कह रहे हैं । जब आप व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं तो हम सुन लेते हैं । हर राजनैतिक दल समस्याओं को अपनी दृष्टि से देखता है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, जो घटना हुई वह निश्चित रूप से दुःखद है और चिन्तनीय है । पूरा सदन उससे चिन्तित है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अनावश्यक समय नष्ट कर रहे हैं । शान्त रहें । जितना समय शोर गुल में चला गया उतनी देर में तो वह अपनी बात कह देते । कृपया शान्त रहें ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

माननीय प्रमोद कुमार जी ने उस घटना के पीछे इस विधान सभा के मंत्रि-परिषद् के किसी मंत्री का हाथ होना बताया । मेरी आपके माध्यम से चुनौती है कि या तो जैसा यह कह रहे हैं कि मंत्री शामिल हैं तो उसका नाम लेकर साबित कर दें या फिर इस सदन से इस्तीफा दे दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रमोद कुमार जी ने यह नहीं कहा । एक बात स्पष्ट हो जाय श्री प्रमोद कुमार जी ने किसी मंत्री को इस घटना में शामिल होना नहीं बताया है । जो बात उन्होंने कही आप उसे क्यों कह रहे हैं ।

(विपक्षी दलों ने मेजें थपथपाईं)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, लगातार पिछले चार दिनों से कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में चरमरा गई है । नियम–311, 300, 56 के अन्तर्गत माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी समस्याओं को उठा रहे हैं और बार-बार ध्यान आकृष्ट करने के बाद भी सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी है और उत्तर प्रदेश की जो खस्ता हालत है उसका यहां बयान नहीं करूंगा लेकिन आज उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ में महामहिम राज्यपाल की नाक के सामने उत्तर प्रदेश विधान सभा के अन्दर डी० जी० पी० कार्यालय के सामने पहले एक गनर पटेल की, उसके बाद जेल अधीक्षक की और फिर एस० आई० गनर यादव की हत्या होती है और उसके बाद फिर यही विधान सभा जो उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च संस्था है और जहां

सारे माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश की समस्याओं को लाकर यह उम्मीद करके आते हैं कि हम अपनी बात रखकर समस्याओं का निराकरण करेंगे । उसी विधान सभा के प्रांगण के अन्दर गेट नम्बर–9 के सामने यहां पर कुछ गुण्डे आते हैं और सरे आम गोली चलाते हुए दनदनाते हुए गेट नम्बर–7 से बाहर निकल जाते हैं । मान्यवर, एक रिक्शा वाला मारा गया एक दूसरा आदमी घायल हुआ । मामला केवल यहीं तक नहीं रह गया है, मान्यवर, इसमें यह भी आशंका है कि यह हत्यारे माननीय [× × ×] की भी हत्या करने का प्रयास कर सकते हैं । यह इनका पूर्वाभ्यास भी हो सकता है । [× × ×] माननीय सदस्य नित्य प्रति हत्या की आशंका जाहिर करते रहे हैं । मान्यवर, रामवीर उपाध्याय भी सदन में कई बार अवगत करा चुके हैं जैसा कि उपाध्याय जी ने बताया कि तीन-चार दिन से कुछ गुण्डे इनकी हत्या के लिये डेरा डाले हैं, हो सकता है यह घटना किसी माननीय सदस्य की हत्या का पूर्वाभ्यास हो कि किसी माननीय सदस्य की हत्या करके साफ सुथरे ढंग से निकल पाते हैं या नहीं । उत्तर प्रदेश की राजधानी में मुख्य मंत्री जी की नाक के सामने, डी० जी० पी० की नाक के सामने इस तरह हत्या हो गयी फिर कोई आदमी सुरक्षित नहीं है यह बहुत ही गम्भीर मामला है । माननीय सदस्य सुबह चलते हैं तो आशंका होती है कि दारुलशफा से विधान सभा पहुंचते-पहुंचते कोई गुण्डा उनके सीने पर गोली न चला दे । जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस घटना से असंतोष उभरा है कानून व्यवस्था के प्रति जिस तरह से सरकार जिम्मेदारी से हटी है जवाबदेही से हटती है इस तरह से सरकार नहीं चलने वाली है.....

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, अभी इसी कानून व्यवस्था को लेकर बगल के प्रदेश की सरकार बर्खास्त हुई है और उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन सैकड़ों हत्यायें हो रही हैं अपहरण हो रहे हैं,फर्जी मुठभेड़ हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, वह सब आपके सामने लखनऊ राजधानी में प्रदर्शित हो रहा है इसमें बचने की जरूरत नहीं है इस स्थिति में कल भी मैंने निवेदन किया अगर थोड़ा भी नैतिक बल है थोड़ी भी नैतिकता है तो मुख्य मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए ।

(विपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है ।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आये दिन लूटपाट और राहजनी की घटनायें हो रही हैं, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

(श्री कौकब हमीद का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, अभी तो शुरू हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

पहले दल के नेताओं को बुलवा लें । पहली नोटिस समाजवादी पार्टी की थी । यह सबसे बड़ा विपक्षी दल है इसलिए रेवती रमण सिंह जी को बुलवा लिया उसके बाद अन्य दल के नेता बोल रहे हैं ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, इस सदन के अन्दर जब शुक्ला नामक व्यक्ति की पुलिस ने हत्या की तब जो कार्यवाही चल रही थी पूरी कार्यवाही रोककर आधे घण्टे इस पर बात हुई पूरी भूमिका बताई गई किस तरह मारा गया आज गर्वनर हाउस के सामने, डी० जी० पी० आफिस के बराबर में और विधान सभा के अन्दर, मेरे ख्याल से यह पहला हादसा होगा । हिन्दुस्तान में जब मारने वाला आया हो और मारकर चला गया हो । पूरी पुलिस फोर्स वहां रही और जिसके अन्दर से हम लोग आते हैं उस गेट नम्बर 7 के सामने से वह निकल गया । आज मुख्य मंत्री जी कहां गायब हैं । कहां हैं उनकी वह धमक और हनक । कहां है उनका कानून का राज उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि हम इस प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था कायम करने में सक्षम नहीं हैं । मान्यवर, एक रिक्शा वाला मारा गया । उसके पांच बच्चे हैं घर में उसके और कोई कमाने वाला नहीं है । एक भाई है उसकी जिम्मेदारी भी उसी पर है । मैं आपके द्वारा सरकार से कहता हूं कि आप पांच लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा करें । मान्यवर, आज दिक्कत यह हो गयी है कि हम लोग विधान सभा आते हैं और जनप्रतिनिधि होने के नाते अनेक लोग हमसे मिलते हैं, हमसे अपनी दिक्कतें कहते हैं । जो अपराध बढ़ रहे हैं उसको नियमानुसार उठाते हैं । लेकिन जब इस तरह की घटनायें होंगी तो यह आवाज उठाने वाला सुरक्षित निकल पायेगा ।

(व्यवधान)

मान्यवर, आज कौन सुरक्षित रह पायेगा इसमें प्रश्न चिन्ह लग गया है । मैं चाहूंगा कि इसकी घोषणा करें कि पांच लाख रुपया उसके परिवार वालों को मुआवजे के रूप में दिया जायेगा और माननीय मुख्य मंत्री जी में यदि साहस हो तो वह विधान सभा की कार्यवाही रोककर यहां पर माफी मांगें और अपना इस्तीफा दें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत चिन्ताजनक और शर्मनाक बात है । अभी कल ही इस आदरणीय सदन में मुख्य आरक्षी दर्शन लाल यादव की निर्मम हत्या जो पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के सामने हुई उस पर सम्पूर्ण विपक्ष चिन्ता जता रहा था । उसके जवाब में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कानून और व्यवस्था के नाम पर अपनी सरकार की सफलता की फैहरिस्त पेश करते हुए यह कहा कि कानून का राज पूरे प्रदेश में कायम है । अभी सदन में चर्चा हो ही रही थी, सदन चल रहा था कि 4.20 मिनट पर अपराधियों ने इस राजधानी में, इस पवित्र भवन के सामने, जो दल सरकार के रूप में सदन में बैठा है, इस दल का जो घर है, सड़क के सामने, भारतीय जनता पार्टी के आफिस के सामने निर्भय और निडर होकर अंधाधुंध गोली चलायी और एक यतीम रिक्शे वाले की जान ले ली । राम नरेश यादव पशुपालन विभाग में कर्मचारी हैं, वह घायल हुए हैं । मान्यवर, यह सरकार लोकप्रिय और निर्वाचित होने का दावा करती है, आज उसे कोई नैतिक हक नहीं बचा है कि वह शासन में बनी रहे । कानून व्यवस्था के नाम पर यह पूरी तरह से विफल है अगर इसमें थोड़ी सी भी नैतिकता शेष है तो इन्हें त्याग-पत्र दे देना चाहिए । मान्यवर, मैं तो अदालत की भाषा तो नहीं जानता कि अपराधी किसे कहा जा सकता है लेकिन जो लोक राज में सार्वजनिक जीवन में रहने वाले जिस राजनीतिक आदमी की आम शोहरत जनता में खराब तथा अपराधी की हो वे ही अपराधी हैं, वे ही माफिया हैं । इस तरह की खराब छवि वाले लोग सरकार को बनाये रखने के लिये [× × ×] मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कि उनके संरक्षण में [× × ×] का मनोबल ऊंचा है तथा वे पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो चुका है तथा प्रदेश में माफिया राज कायम है.....

श्री अध्यक्ष–

उनके संरक्षण में पलने वाले यह आरोप हैं इतना हिस्सा कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा। इसके माने कौन लोग हैं ? आपको जानकारी है कि किसने घटना की है। या तो आप प्रमाण सहित कोई बात कहें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, इस घटना के मुतल्लिक बात नहीं कही है। आज समूचे उत्तर प्रदेश में अपराधों में वृद्धि हो रही है। अपराध करने वालों का मनोबल ऊंचा है।

मान्यवर, जिस सरकार पर जनता की बहबूदी तथा सुरक्षा की जिम्मेदारी है उसे अपनी विफलता स्वीकार करना चाहिए इन्हें अब कोई नैतिक हक नहीं है सरकार में बने रहने का, इन्हें तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए। जो रिक्शा वाला मरा है उसके परिवारजन को मुआवजा देने की घोषणा की जाय।

* श्री राजेन्द्र–

मान्यवर, कल विधान सभा की बैठक चल रही थी, विधान सभा चलने के दौरान 4.30 बजे के करीब गेट नं० 9 के सामने मुन्ना बेग नामक रिक्शा चालक की गोली मार कर हत्या कर दी गयी। राम नरेश यादव जो कर्मचारी है उसको भी गोली लगी मान्यवर, जो भयमुक्त समाज का नारा आया था उससे जनता को बड़ी उम्मीदें थीं। इस सरकार की नाक के नीचे प्रदेश में माफिया उन्मूलन और अपराध उन्मूलन की सारी मशीनरी मौजूद है गेट के सामने हजारों पुलिस अधिकारी मौजूद हैं और उनके रहते यह हत्या होती है और कोई हत्यारा पकड़ा नहीं गया तो इसमें सरकार से क्या उम्मीद करें। जब यहां यह हाल है तो जब गांव देहात में जहां पुलिस कर्मी थानों में कम हैं वहां आम जनता की जानमाल की सुरक्षा की क्या उम्मीद करें ? मैं मांग करता हूं कि मृतक के आश्रित को 5 लाख रुपये और घायल को एक लाख का मुआवजा दिया जाए। इस घटना की पुनरावृत्ति होगी तो विधान सभा में विधायक भी सोचेगा और गनर भी सहम जायेगा। मैं मांग करता हूं कि नैतिकता के आधार पर इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए।

(कई सदस्यों द्वारा बोलने की अनुज्ञा मांगने पर)

श्री अध्यक्ष–

नोटिस पर जो सूचना आयी है उसमें माननीय जगदम्बिका पाल के, माननीय बी० आर० वर्मा के, माननीय समरपाल के और माननीय डा० अशोक बाजपेयी के हस्ताक्षर हैं। अभी माननीय राम जग जी को सुन लेता हूं उसके बाद माननीय जगदम्बिका पाल को और उसके बाद माननीय बी० आर० वर्मा जी को सुन लेता हूं और उसके बाद आप लोगों को सुन लेता हूं।

*श्री राम जग–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के इतिहास में और हिन्दुस्तान के संसदीय जनवाद के इतिहास में पहले इतनी बड़ी घटना नहीं हुई जब विधान सभा के गेट के सामने हत्यारों द्वारा जिस ढंग से हत्या हुई है एक रिक्शा चालक की और एक कर्मचारी घायल हुआ है, वह इस बात का सबूत है कि हत्यारों की मंशा बहुत बड़ी थी।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(साउण्ड बाक्स के काम न करने के कारण कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दिया)

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में हत्यारों का, गुण्डों का राज है । आप पूरा अखबार पढ़िये, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है । रोज हत्यायें हो रही हैं, जिस ढंग से कल हत्या हुई है जब विधान सभा चल रही थी और हजारों की संख्या में पुलिस कर्मचारी यहां पर थे और गुण्डे हत्या करके चले गये यह एक चिन्ता का विषय है । राहुल सांकृत्यायन के गांव में 3 हत्यायें हुई इस तरह से हमारे प्रदेश में दर्जनों हत्यायें हो चुकी हैं ।

मान्यवर, बिहार में भू-स्वामियों की सेना जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी, समता पार्टी से है, एक सुनियोजित तरीके से दलितों की हत्यायें करवाई हैं । बिहार में कल्याण सिंह ने रावड़ी देवी की सरकार को गिराने का स्वागत किया है । आज कल्याण सिंह जी में कुछ नैतिकता है तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए ।

*श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, जिस घटना पर इस कार्य-स्थगन पर सभी सम्मानित माननीय सदस्यों ने कहा यह राजनीति का विषय नहीं है । विधान सभा के सामने एक लोमहर्षक निर्मम घटना हो गई और इसमें निर्दोष रिक्शा चालक की हत्या कर दी गयी और एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहा है वह बयान दे रहा है कि वह किसी से रंजिश नहीं है । मान्यवर, मेरा कहना है कि संसदीय कार्य मंत्री जी आज भय-मुक्त समाज की परिभाषा को परिभाषित कर दें । आज उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है । गेट नं० 9 के सामने कल हत्या होती है उसके एक दिन पूर्व डी० जी० पी० कार्यालय के पास दर्शन सिंह यादव की हत्या होती है । उसके कुछ दिन पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर के पुत्र की हत्या होती है उसके कुछ दिन पूर्व एक आई० ए० एस० के निजी सचिव की पत्नी की हत्या नाका हिंडोला में होती है । मान्यवर, विधायक निवास के सामने एक कम्पनी के कर्मचारी को गोली मारकर साढ़े 6 लाख रुपये लूट लिये जायं । यह सब घटनाएं होती रहें और उत्तर प्रदेश की सरकार दावा कर रही है कि भयमुक्त समाज स्थापित हो गया हैं । सड़कों पर चर्चा यह है कि अगर आज कोई घर का व्यक्ति दो जून की रोटी कमाने के लिए निकलता है तो उसकी पत्नी अपनी सुहाग की थाल को सजाये इन्तजार करती है कि उसका पति शाम को घर लौटेगा या नहीं । श्रीमन्, यदि सरकार संवेदनशील है तो श्री मुन्ना बेग जिसकी कल हत्या हुई है उसके घर वालों को रोटी कौन देगा ? इसलिए इस सरकार की क्या यह संवेदनशीलता है कि जब सम्पूर्ण विपक्ष मांग करे कि इसके परिवार वालों को 5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाय तो तब यह सरकार इसकी घोषणा करेगी । मान्यवर, विधान सभा का सत्र चल रहा हो और जहां ए० डी० एम०, डी० एम० आदि पुलिस के उच्च अधिकारियों की ड्यूटी लगी हो वहां अपराधी लोग सरेआम गोली चलाकर लोगों को मार दें और फिर किसी को सस्पेंड न करें तो यह कहां तक ठीक है । तो यह सरकार कौन से भयमुक्त समाज की स्थापना कर रही है ? मान्यवर, गोली चल रही हैं और पुलिस के कर्मचारियों की जिम्मेदारी तक निश्चित न की जाय तो यह कहां तक उचित है ? मान्यवर, आज पूरे प्रदेश की राजधानी अपराधियों के लिये शरणस्थली बन गयी है । अपराधी लाल बत्ती गाड़ी में घूमते हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें और बैठ जायं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि अपराधी लोग सरेआम विधान सभा गेट के सामने गोली चलाकर हत्या कर देते हैं लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जाता है तो इस सरकार की अपराधियों से सांठगांठ मालूम पड़ती है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अब आपका नहीं लिखा जायेगा । आप बैठ जायं ।

* डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो घटना घटी वह प्रदेश सरकार के लिये इससे अधिक और कोई शर्मनाक घटना नहीं हो सकती है । मान्यवर, बजट सत्र चल रहा है पूरे प्रदेश का पुलिस बल परिसर को घेरे है लेकिन फिर भी विधान सभा के गेट नं० 9 के पास अपराधी गोली चलाते हुए एक व्यक्ति को मार देते हैं और दूसरे को घायल करके चले जायं और उनका कोई बाल बांका न हो, मैं पूछना चाहता हूं वह अपराधी कहां चले गये मान्यवर, बजट सत्र चल रहा था, माननीय सदस्य अपने आवासों में आ जा रहे थे और यदि उस समय कोई विधायक इस चपेट में आ जाता तो पता नहीं कौन उनकी गोली का शिकार हो जाता, और फिर यहां उसके लिये शोक सभा करना पड़ता । मान्यवर, इससे चिन्ता का विषय और कोई नहीं हो सकता है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार का अपराधियों पर से अंकुश समाप्त हो गया है । इसलिए इस सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है । मान्यवर, राज भवन के सामने जेल अधीक्षक अपराधियों द्वारा मारा जाता है लेकिन उन्हें आज तक पकड़ा नहीं गया है । इसी तरह डी० जी० पी० कार्यालय के सामने पुलिस कर्मी मारा जाता है और हत्यारे लगातार गोली चलाकर हत्यायें कर रहे हैं किन्तु उन्हें पकड़ा नहीं जाता है । इसी विधान सभा में चर्चा हुई और सरकार ने कहा था कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, लेकिन मान्यवर, बरेली में एक होटल में पुलिस पर फ़ायरिंग की गयी और एक सिपाही को ढेर कर दिया गया और दूसरा सिपाही मरणासन्न अवस्था में अस्पताल में भरती है । प्रदेश में मान्यवर, कानून की कोई स्थिति नहीं रह गयी है । मैं कहना चाहता हूं कि जितने दिन सरकार रहेगी, उतने दिन यही होता रहेगा ।

मान्यवर, अभी कुछ दिन पहले श्रीप्रकाश शुक्ल की हत्या के संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी और अभी कुछ दिन पहले राजेन्द्र तिवारी पकड़ा गया, लेकिन सारी चीजों पर परदा डाल दिया गया और इस कारण आज स्थिति है कि पुलिस का मनोबल टूट गया है और वह दिन प्रतिदिन मारे जा रहे हैं और इन घटनाओं पर मुख्य मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और भारत के गृह मंत्री से कहना चाहता हूं कि कहां चला गया उनका आदर्श कि एक घटना होने के बाद एक प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया गया और तमाम घटनाओं के बावजूद भी इस प्रदेश की सरकार को बर्खास्त नहीं किया जा रहा है । माननीय कल्याण सिंह की सरकार को एक दिन भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है । इन के समय में मान्यवर, क्या हो रहा है, हो यह रहा है कि बड़े पदों को पाने के लिये पैसे का लेन देन हो रहा है और बड़े और महत्वपूर्ण पदों पर भ्रष्ट अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है और ईमानदार आदमी एक कोने में डाल दिये गये हैं । तो मान्यवर, यह कानून की स्थिति है । इसलिये यह लोक महत्व का प्रश्न है और अविलम्बनीय है, अतः इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

*श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जब यह सरकार बनी थी, तो हम लोगों को लखनऊ की गलियों में पढ़ने को मिलता था कि कानून का राज होगा भयमुक्त समाज होगा और कल्याण सिंह जी जो इस सरकार के मुखिया हैं, उन्होंने कहा था कि सरकार हनक और धमक से चलती है । मान्यवर, पता नहीं उनकी हनक और धमक कहां चली गयी । विधान सभा के सामने अपराधी इस सरकार को चुनौती देकर जा रहे हैं । हम लोग जो भी मामला इस सरकार में उठाते हैं, इस विधान सभा में उठाते हैं, चाहे वह अवयस्क बालिका के साथ बलात्कार का मामला हो, चाहे वह हत्या का मामला हो और चाहे पुलिस कर्मियों का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मामला हो, इस सरकार को हर चीज राजनैतिक नजर आती है । आज भी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि कल जो घटना हुई उसमें भी उनको राजनैतिक कारण नजर आ रहा है । पता नहीं कौन सी घटना हो जायेगी जब इनको राजनैतिक कारण समझ में नहीं आयेगा ऐसे व्यक्ति जो निरीह हों और रास्ता चल रहे हों, रिक्शा चलाने वाले की किसी राजनीतिक दल से क्या प्रतिबद्धता हो सकती है । जिसके कारण उसकी हत्या हो गयी । कल इसी विधान सभा में हम लोग कानून व्यवस्था की चर्चा कर रहे थे और सरकार के संज्ञान में लाने का काम कर रहे थे और कह रहे थे कि यह सोने का समय नहीं है । यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है जिसका उसको निर्वहन करना चाहिए । प्रदेश में भयमुक्त समाज का नारा देने वाली सरकार को कानून व्यवस्था कायम रखनी चाहिए । परन्तु कल मान्यवर, यहां पर चर्चा हो रही थी और उसके बावजूद लखनऊ की सबसे व्यस्त सड़क पर, विधान सभा के सामने, सदन के चलते जहां पर इतने पुलिस कर्मी लगे हों वहां पर ऐसी घटना हो जाय यह बहुत बड़े शर्म की बात है ।

मैं जिक्र करना चाहता हूं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्य मंत्री थे उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया था और उन्होंने नैतिक आधार पर एक समय सीमा का एलान किया था कि मैं दस्यु उन्मूलन न कर सका तो मुख्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दूंगा । उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाने का काम किया और माननीय कल्याण सिंह जी कहते हैं कि सरकार हनक, धमक से चलती है । कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसको देखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि कल्याण सिंह जी में थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो इस घटना को चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और इसको स्वीकार करके एक समय सीमा के अन्दर प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था को सुधारना चाहिए और अगर न सुधार पायें तो स्वतः नैतिक आधार पर इस्तीफा देकर वह उदाहरण प्रस्तुत करें जैसा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने विधान सभा के मुख्य मंत्री पद से इस्तीफा देकर किया था । एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि इस घटना में जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसको सरकार 5 लाख रुपया मुआवजा दे और जो घायल हैं उनके इलाज का इंतजाम करे । मान्यवर, आपसे निवेदन है कि इसको ग्राह्य करके इस पर सदन में चर्चा करायी जाय ।

* श्री समरपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जबसे यह सरकार सत्ता में आयी है सबसे पहले कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी ने पूरे प्रदेश में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर नारा दिया कि कानून व्यवस्था का राज होगा–भयमुक्त समाज होगा । लेकिन दुख की बात है कि उनकी तमाम घोषणाओं के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है । आज प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। सदन में रोज हत्याओं पर चर्चा होती है । हत्याओं की घटनायें बढ़ती जा रही हैं । अपहरण की घटनायें बढ़ती जा रही हैं । सरकार झूठे आंकड़े पेश करके अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है । आज पूरे प्रदेश में किसी की जान माल की सुरक्षा नहीं रह गयी है । इससे ज्यादा दुखद घटना और कोई नहीं हो सकती । लखनऊ के अन्दर जो मानक हैं उससे ज्यादा पुलिस व्यवस्था है । 4-5 एस० पी० हैं जबकि जिलों में केवल एक एस० पी० होता है । यहां चेतक बज्र जैसी गाड़ियां और अच्छे से अच्छे शस्त्रों से पुलिस लैस है । इस समय विधान सभा का सत्र चल रहा है । विधान सभा का सत्र चलने के कारण आस-पास के जिलों की पुलिस भी विधान सभा के चारों तरफ लगायी गयी है । कल ही अभी यहां कानून व्यवस्था पर चर्चा चल रही थी, परसों एक पुलिस वाला मारा गया था और कल विधान सभा के ठीक सामने जहां सैकड़ों पुलिस वाले मौजूद थे, उन पुलिस वालों की मौजूदगी के बीच में हत्या करने के बाद विधान सभा के अन्दर से वह फरार हो गये । माननीय अध्यक्ष जी, इससे ज्यादा दुखद घटना कोई हो नहीं सकती । यह साबित हो गया कि प्रदेश के अन्दर किसी की भी जिन्दगी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सुरक्षित नहीं है । अगर विधान सभा के सामने हत्यायें होंगी तो प्रदेश में कहीं भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके ।

यह साबित हो चुका है कि इस सरकार के चलते कानून व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं हो सकता। सरकार में अपराधियों के हौसले बुलन्द हैं । डी० जी० पी० आफिस, गवर्नर हाउस और विधान सभा के सामने प्रदेश के नागरिकों का जानमाल सुरक्षित नहीं है । इसलिये मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी के अन्दर थोड़ी बहुत शर्म, हया बाकी है तो तत्काल इस्तीफा देकर इस प्रदेश की जनता को मुक्ति देने का काम करें । दूसरे प्रदेशों में बिहार के अन्दर इसी बात को लेकर राबड़ी देवी की सरकार बर्खास्त की गयी है । अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो मैं मांग करता हूं कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाये ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी कल विधान सभा के सामने हुई कल्ल की घटना के बारे में सारे सदस्यों ने अपने विचार रखे और यह भी बताया कि भारी पुलिस बल तैनात है लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं है कि यह केवल उन लोगों के लिए है जो प्रदेश में अपनी जनतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करके अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिये आते हैं, उन लोगों के सिर और हाथ-पैर तोड़ा जाता है जो लखनऊ में अपनी मांगों को लेकर आते हैं लेकिन जो लोग व्यवस्था का मखौल उड़ा रहे हैं ऐसे किसी अपराधी को पकड़ने की सूचना सदन को इस सरकार द्वारा नहीं दी जाती । चाहे जेलर का कल्ल हो या गनर का कल्ल हो टास्क फोर्स बनाने के बाद भी मुल्जिम क्यों नहीं पकड़े गये । यह जितना टास्क फोर्स बनाने की बात करते हैं । उतने ही अपराधियों के हौसले बुलन्द हो रहे हैं और राजधानी की सड़कों पर अपराध बढ़ रहे हैं, विधान भवन का परिसर भी सुरक्षित नहीं है तो आप कैसे उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ जनता को गारन्टी दे सकते हैं ।

आपसे यह सवाल सदन के माध्यम से इस प्रदेश की 16 करोड़ जनता इनसे पूछना चाहती है । यहां के मुख्य मंत्री एक सरकार की बर्खास्तगी को न्यायसंगत इसलिए ठहराने का काम करते हैं कि वहां पर सामूहिक हत्याकाण्ड हो रहे हैं, नैतिकता का तकाजा यह है कि बजाय केन्द्र सरकार बर्खास्त करे उससे पहले स्वयं इनको इस्तीफा दे देना चाहिए और यह साबित करना चाहिए कि इस लोकतंत्र में नैतिकता के दो मापदण्ड नहीं हो सकते । वैसे मैं यह जानता हूं कि शर्म, लज्जा, हया यह खो चुके हैं । इन शब्दों का कोई मायने, इस सरकार के लिये नहीं है । नैतिकता एवं संवेदनशीलता अगर होती तो कल इस घटना की सूचना 4.30 बजे इस सदन में दे दी गयी, संसदीय कार्य मंत्री जी और सरकार के कई मंत्री मौजूद थे लेकिन सरकार ने प्रतिक्रिया व्यक्त करना जरूरी नहीं समझा, हाऊस को बताना भी जरूरी नहीं समझा । इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती । समुचित मुआवजा मिलना चाहिए, यद्यपि मुआवजा उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता । मान्यवर, यह तो इस्तीफा दें अन्यथा 16 करोड़ जनता को सरकार आश्वस्त करे कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी ।

(श्री श्रीराम पाल, श्री राम नक्षत्र एवं श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा बोलने का आग्रह करने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम नक्षत्र जी, सूचना पर आपके हस्ताक्षर नहीं हैं । वैसे इस पर 12 माननीय सदस्यों को सुना जा चुका है । श्री श्रीराम पाल जी बहुजन समाज पार्टी के दो माननीय सदस्यों को सुन लिया है अब आप बैठें ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, एक मिनट मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

आपके दल के दो माननीय सदस्यों को इस सूचना पर सुन लिया है। अब आप ऐसी स्थिति में हमें मत लाएं जिसमें हम अपनी असमर्थता प्रकट कर सकें।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अगर मेरी ओर से उस पर कोई व्यवस्था हो जाए उसके बाद आप कोई बात मत कहें। मैं अब इस सूचना पर किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री राम नक्षत्र जी को भी नहीं दे रहा हूं उनके हस्ताक्षर नहीं हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

उपाध्याय जी एक जानकारी देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अगर वह हमारे संज्ञान में कोई बतलाना चाहते हैं तो हमारे कक्ष में संज्ञान में ले आएं। इस पर संसदीय कार्य मंत्री जी का उत्तर आ जाए उसके बाद आप कह लें।

* संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

इस गम्भीर घटना के बारे में सदस्यगणों ने कार्य-स्थगन के रूप में अपने विचार रखे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

जिनके हस्ताक्षर नहीं हैं, वह इस सूचना पर एक-एक मिनट अपनी बात रख लें। उसके बाद सरकार का उत्तर आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष–

अब मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

उपाध्याय जी की सूचना इसी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष–

इस पर जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर थे उसमें भी हमने कम कर दिया। जिनके हस्ताक्षर नहीं हैं उनके बोलने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री हुकुम सिंह–

जिस घटना के बारे में यहां ध्यान आकर्षित किया गया है। यह सही है कि यह अत्यधिक दुखद घटना है। इसके बारे में यह कह देना कि यह मामूली घटना है लीपापोती कर देना होगा इसमें मेरा विश्वास नहीं है। इसके पहले कि घटना के बारे में क्या जांच चल रही है मैं दो जानकारी देना चाहूंगा। 23 तारीख में दर्शन लाल यादव की हत्या हुई सरकार ने दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की धनराशि स्वीकार की गयी । एक व्यक्ति कल जख्मी हुआ राम नरेश यादव उसके परिवार के लिये 50 हजार रुपये की व्यवस्था की गई एवं उसका इलाज फ्री कराने की व्यवस्था हुई । हमें जानकारी मिली थी कि बरेली में भी एक पुलिस कर्मी शहीद हुआ व एक जख्मी हुआ जो शहीद हुआ उसके परिवार वालों को दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि की व्यवस्था की गयी एवं जो जख्मी हुआ था उसके इलाज की फ्री व्यवस्था की गई एवं उसके परिवार को 50 हजार रुपये की धनराशि स्वीकार की गयी । जहां तक इस घटना की बात है, यह आश्चर्य की बात है कि विधान सभा का सत्र चल रहा है और उसके सामने घटना होती है, परसों सार्वजनिक स्थल पर एक वर्दी धारी स्टेनगन लिये सिपाही की हत्या होती है । मान्यवर, यह सामान्य रूप से किसी का इरादा कत्ल करने का रहा हो वह पूरी बात जांच के बाद आयेगी । साथ ही साथ यह भी देखना पड़ेगा कि कहीं यह साजिश ऐसी तो नहीं कि सवा साल के कार्यकाल में इस प्रदेश सरकार ने जो सराहनीय कार्य किया है, इसको बदनाम करने की साजिश तो नहीं है ।

(विपक्ष के सभी सदस्य एक साथ खड़े हो गये, जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठें । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने विपक्ष पर तो कोई आरोप लगाया नहीं । यदि वह अपनी बात नहीं कहेंगे तो कैसे बात होगी ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, देश में बहुत तेजी से एक राजनैतिक घटनाक्रम चल रहा है और उस घटनाक्रम में इसी देश में एक राज्य सरकार को इस कारण बर्खास्त किया गया और वहां की एसेम्बली को सस्पेंड किया गया क्योंकि वहां माफिया राज था, जंगल राज था, जब वह प्रकरण विचाराधीन है तो एक समानान्तर माहौल बनाने का तो षडयंत्र नहीं है ताकि यह कहा जा सके कि अकेले हम ही नहीं है उत्तर प्रदेश में भी ऐसी घटनायें हो रही हैं । एक जांच बिन्दु यह भी है ।

(विपक्ष के सभी सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर तथा बहुजन समाज पार्टी तथा अन्य दलों के सदस्यों के वेल में आने पर–घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो आप लोग कह रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा ।

(श्री अम्बिका चौधरी सहित समाजवादी पार्टी के सभी सदस्यों ने सदन का त्याग किया)

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य वेल में नारे लगाने लगे)

(कई सदस्य सदन के वेल में आकर नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये । यह बहुत ही निन्दनीय और अशोभनीय आचरण है । यह संसदीय लोकतंत्र के पूर्णतया प्रतिकूल बात है । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(कई सदस्यों के वेल में खड़े होकर जोर-जोर से बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करिये और शान्त रहिये । अभी किसी को बोलने की अनुमति नहीं दी है । माननीय पाल जी, मैंने अनुमति नहीं दी है आप अपनी वरिष्ठता का फायदा न उठायें । जिन माननीय सदस्यों को नहीं सुनना है माननीय मंत्री जी को वे कृपया बाहर चले जायं । एक व्यवस्था तय

हो जाती है । आम सहमति बन जाती है कि इस प्रकार से सदन की कार्यवाही चलेगी उसके बाद फिर इस तरह का आचरण होने लगता है । इससे मुझे विपक्ष की विश्वसनीयता पर शक होने लगा है । मन के अन्दर कुछ रहता है बाहर कुछ और रहता है । कृपया अपने-अपने स्थान पर चले जांय ।

(कई सदस्यों के वेल में खड़े होकर निरन्तर बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं 15 मिनट के लिये सदन को स्थगित करता हूं ।

(इस समय 01 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 01 बजकर 45 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी ।)

(01 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री प्रमोद कुमार–

इस महत्वपूर्ण विषय पर मुख्य मंत्री जी जवाब दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

चलने दीजिये बजट पर चर्चा होना शेष है ।

श्री प्रमोद कुमार–

ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर मुख्य मंत्री जी जवाब देते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

बजट पर बोलेंगे तो जवाब दे देंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मुख्य मंत्री जी से जवाब दिलवाइये ।

(संसदीय कार्य मंत्री जवाब देने हेतु खड़े थे)

श्री अध्यक्ष–

मैं बाध्य नहीं कर सकता हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था की है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, पूरे सदन की भावना है, आप मुख्य मंत्री जी से उत्तर दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं बाध्य नहीं कर सकता हूं मुख्य मंत्री जी को, बात समाप्त हो गई है अब चलने दीजिए ।

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान हो रहा था)

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मैं अनुरोध कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने अनुरोध सुन लिया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

हमें इन पर नहीं विश्वास है नेता सदन जवाब दें ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें मैं फिर दोहरा रहा हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

हमें अपनी परम्पराओं से प्रेम है.....

श्री अध्यक्ष–

चिल्लाकर मत बोलिये ।

(नेता सदन के आने पर)

श्री प्रमोद कुमार–

नेता सदन आ गये हैं । अब वह जवाब दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

नेता सदन आ गये ठीक है लेकिन आप चिल्लाकर न बोलें ।

श्री प्रमोद कुमार–

आप तेज आवाज कहकर हमारी आवाज को नहीं दबा सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सम्पूर्ण विपक्ष अपनी बात कहकर संसदीय कार्य मंत्री की बात नहीं सुनना चाहता है । वह सरकार की ओर से उत्तर दे रहे हैं उनको सुन लें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

आप बाध्य कैसे कर लेंगे, किस नियम के तहत आप बाध्य कर लेंगे ? आप बैठ जाएं कुछ लिखा नहीं जाएगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप उन्हें बोलने के लिये स्वयं निर्देश नहीं दे रहे हैं [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

आप व्यवधान कर रहे हैं आप बैठ जायें ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

श्री प्रमोद कुमार–

कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो [× × ×] को मंत्रिमण्डल से बाहर करें [× × ×] मुख्य मंत्री जी यहां बैठकर जवाब नहीं दे रहे हैं [× × ×] इसलिये मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है ।

(श्री प्रमोद कुमार ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांत रहें और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लें । आप जो कार्यवाही चल रही है उसको भी नहीं चलने देना चाहते हैं । मुझे पुनर्विचार करना होगा सदन की कार्यवाही चलाने के ऊपर । जब एक आम सहमति बन गयी है कि शांति से चलायेंगे तो उसके अनुसार कार्यवाही चलने दें ।

श्री समरपाल सिंह–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

वह अपनी मर्जी से बोलेंगे । आप उनको बाध्य नहीं कर सकते हैं । यह जो कुछ भी बोल रहे हैं यह लिखा नहीं जायेगा । श्री राम जग जी आप बैठ जायें ।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव तथा श्री कौकब हमीद अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग करके चले गये)

श्री राम जग जी आप बैठ जायें । प्रतिस्पर्धा करनी है तो किसी अच्छी चीज से करिये ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कल घटना हुई । जैसा कि मैंने पहले अनुरोध किया और माननीय सदन के संज्ञान में लाने का प्रयास किया था । इसको हम केवल एक सामान्य हत्या के रूप में नहीं मान रहे हैं । इसके पीछे राजनीतिक षडयंत्र है । क्या कहीं यह उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की साजिश तो नहीं की जा रही है । इसकी हम जांच करायेंगे और जांच कराने के लिये हमनें कल ही एक उच्च स्तरीय टीम का गठन किया है । मेरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ही सारी बात सामने आ जायेगी और जो भी बात सामने होगी, हमारा यह प्रयास होगा कि उससे हम माननीय सदन को जानकारी दें । त्याग पत्र की बात कही गयी । दो घटनाएं हुई और माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार को त्याग-पत्र देने की बात कही गयी ।

मान्यवर, 1995 का वर्ष था । एक सरकार उस समय यहां पर कार्यरत थी । सात मासूम किशोर बालकों की इसी विधान सभा के चारों तरफ लाश मिली । चाहे वह बटलर पैलेस कालोनी हो या कोई और कालोनी हो । मान्यवर, उन मासूमों के साथ दुष्कर्म होता है और फिर उसकी हत्या की जाती है । आज वह लोग जो उस समय सत्ता में बैठे थे, केवल दो घटनाओं को लेकर त्याग-पत्र की मांग करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

[× × ×]

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह सब लिखा नहीं जायेगा । आप लोग कृपा शांत रहें । थोड़ी बहुत तो नोंक झोंक अच्छी लगती है । आप पहले बात तो सुन लीजिये ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, मेरी भी प्रार्थना सुन लें । जो मौजूदा घटना है उसमें सरकार जवाब दे हम सुनने के लिये तैयार हैं । हम आपसे सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

मेजर जगत पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी पुरानी घटना को सुना रहे थे तो विपक्ष को क्या परेशानी हो रही है ? जब विपक्ष सरकार के विरोध में वक्तव्य दे रहे थे । हम धैर्यपूर्वक सुन रहे थे ।

(व्यवधान)

श्री बाबूराम यादव–

जो मौजूदा प्रश्न विचाराधीन है आप निर्देश दें कि उसी पर अपनी बात कहें । पिछली सरकारों में क्या हुआ हमने खराब काम किया इधर बैठे हैं, आपने अच्छा काम किया आप उधर बैठे हैं । मौजूदा प्रश्न पर और कानून व्यवस्था की स्थिति पर आप की क्या रीति है इस पर सरकार जवाब दे । पिछली बातों को सुनने के लिये हम तैयार नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप ठीक कह रहे हैं विपक्ष ने यह मांग की कि मुख्य मंत्री इस्तीफा दें नैतिकता के आधार पर, उसका जवाब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी दे रहे हैं कि पिछली सरकारों में भी इसी प्रकार की मिलती जुलती घटनाएं हुई तब इस्तीफा नहीं दिया गया । इसलिए उदाहरण के रूप में अपनी बात कह रहे हैं ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, जहां तक एक पक्ष यह है कि सरकार बर्खास्त हुई इसी बात के आधार पर, वह केन्द्र सरकार का विवेक है । हम लोग कह सकते हैं कि आठ हजार हत्यायें हो गई और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह विराजमान हैं और पांच हजार हत्याओं पर राबड़ी देवी बर्खास्त हुई, इतना फर्क है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप उनका उत्तर तो सुन लें ।

श्री बाबूराम यादव–

आज जो प्रश्न है उसके बारे में बताएं कि कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को कैसे रोकेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

बहुत संक्षेप में केवल एक नैतिकता की बात उठा दी, नैतिकता के बारे में दो-एक शब्द न कहा जाय तो बात अधूरी रह जायगी ।

मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि बापू के जन्मदिन 2 अक्टूबर, 94 में मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे में एक दर्जन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। सत्ता पक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाज।

(व्यवधान)

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मुजफ्फरनगर की घटना गेट नं० 9 पर नहीं हुई थी।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यही कहलवा दें कि हम बराबर नहीं हैं। मान्यवर, मुझसे कोई अनुचित बात निकल गयी है मैं उसे वापिस लेना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं। आप जरा सोच लें, जो 2 मिनट में बात समाप्त हो सकती है, उसमें 12–15 मिनट लगाने की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष ने एक आधार पर त्याग-पत्र की मांग की है। संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि त्याग-पत्र की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसा पिछली सरकार में भी हुआ है।

(व्यवधान)

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, जितना संरक्षण संसदीय कार्य मंत्री आपसे प्राप्त करते हैं उतना संरक्षण प्राप्त करने का हमको भी अधिकार है।

श्री अध्यक्ष–

उनको भी संरक्षण है आपको भी संरक्षण है। 12 सदस्य इसमें अपना विचार व्यक्त कर चुके हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, सही-सही तथ्यों की बात करके बात खत्म करें। यह मामले को घुमा रहे हैं सन् 62 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ ? यह बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बाबूराम यादव–

मेरी प्रार्थना यह है कि जो तथ्य सरकार को सदन को सामने स्पष्ट रूप से रखने चाहिए उनको छिपा रहे हैं। (व्यवधान)

मेजर जगत पाल सिंह–

मान्यवर, यह पूरी बात सुनने को तैयार नहीं हैं.।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बाबूराम जी, आप कितनी देर अपनी बात कहेंगे ? उतना समय मैं आपको दे दूंगा। लिखा जायेगा या नहीं लिखा जायेगा, यह अलग की बात है।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं बहुत लम्बा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरे पास पूरी पुस्तक भरी हुई है। पूरा इतिहास भरा पड़ा है। दो ढाई घण्टे का समय इसके लिये चाहिए। (व्यवधान)

मान्यवर, जो इनका करतब रहा है और जो कार्यवाही की है मैं उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक सम्मानित नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता ने एक पार्टी से समर्थन वापस ले लिया इतना पाप किया था महिला थीं स्टेट गेस्ट हाउस में हमला होता है, उसको मारने का सजिश होती है ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, [× × ×]

(घोर व्यवधान, समाजवादी पार्टी के कई सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर बिना अनुमति के एक साथ बोलने लगे ।)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी जो बातें कह रहे हैं वह उत्तेजना फैलाने वाली हैं । (व्यवधान) मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और सदन की कार्यवाही व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिये मैं आपकी अनुमति से अपनी बात कह रहा हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा है वह उचित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

जो तर्क प्रस्तुत किये गये थे वह इस सरकार के अन्दर कानून व्यवस्था नहीं है, इसलिये सरकार त्याग-पत्र दे तो इसके उत्तर में संसदीय कार्य मंत्री उत्तर दे रहे हैं । विपक्ष की बातें जितने शान्ति पूर्वक सत्ता पक्ष के लोगों ने सुनी उसी प्रकार सत्ता पक्ष की बातों में जो उत्तर दिया जा रहा है उसमें पूर्व दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं, यह आपत्ति जनक बात नहीं है । जब तक एक दूसरे के प्रति सहिष्णु नहीं होंगे तो कैसे काम होगा । यहां तो एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है और उन्हें सुनना चाहिए । (व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनना चाहता हूं लेकिन वह तथ्यों पर बात कहें । घटना परसों और कल की है जिस पर चर्चा हो रही है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चर्चा इस पर नहीं कि 1991, 1994 में क्या हुआ इस पर कहें । मान्यवर, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि कल की घटना पर मुख्य मंत्री जी से इस्तीफा मांगा गया है, वह दें अथवा न दें यह उनकी नैतिकता पर निर्भर करता है इसलिए जो घटना घटी है उस पर चर्चा हो रही है ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी जिन बातों से समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य दुखी हो रहे हैं उनसे हटकर अपनी बात कहें ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, (व्यवधान) मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

आप ऐसी बातें न कहें । (व्यवधान)

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आज कार्य-स्थगन पर चर्चा हो रही है । मैं यह कहता हूं, आप अपनी निष्पक्षता से दोनों लोगों को रोकें । आप की दृष्टि में अगर कोई अनुचित बात हो तो रोक दें ।

श्री अध्यक्ष–

जब मैंने कह दिया है कि जिस बात से समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य आहत हों, उसको छोड़कर अपनी बात कहें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

हम अपने को सीमित रखे हुए हैं । हम आप की आज्ञा से बैठ जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

यह सदन ऐसे नहीं चलेगा । माननीय नेता प्रतिपक्ष आप आश्वासन दें, इस तरह से सदन नहीं चलेगा । मैं सदन को स्थगित कर पत्रावली का निस्तारण करूं, आप बतायें कि संसदीय कार्य मंत्री उत्तर दें या न दें । आज जनता के बीच यह टिप्पणी का विषय बन गया है और जो धारणा जनता में बनती जा रही है वह पुष्टि होती जा रही है ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सदन व्यवस्थित ढंग से चले अगर इधर या उधर की बातें करेंगे तो निश्चित रूप से उत्तेजना फैलेगी । मेरा अनुरोध है कि जो प्रश्न इस समय उपस्थित है और जिसके सम्बन्ध में चर्चा हो रही है उसका माननीय संसदीय कार्य मंत्री उत्तर दें । मेरा बार-बार अनुरोध है कि उस पर विचार सुन लें जिससे शान्तिमय ढंग से सदन चल सके ।

श्री अध्यक्ष–

विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार के मंत्रिमण्डल में माफियाओं को संरक्षण देने वाले लोग हैं और इसलिये सरकार कानून व्यवस्था को ठीक करने में अक्षम है, इसलिये त्याग-पत्र दे । यह मांग की गयी थी लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री पहले की सरकारों का हवाला दे रहे हैं जिनके जमाने में हत्या हुई है और उन्होंने त्याग-पत्र नहीं दिया है ।

श्री धनीराम वर्मा–

आज हत्यायें हो रही हैं, उनके बारे में चर्चा करना आवश्यक है न कि पहले की घटनाओं की चर्चा करना आवश्यक है । तो मैं समझता हूं कि कभी इसकी चर्चा पूरी हो ही नहीं सकती है । जो बीता सो बीत गया है, इस समय जो चर्चा हो रही है उस पर चर्चा करिये तब तो सदन सुचारु रूप से चल सकेगा । अन्यथा त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलियुग पर बात करेंगे तो यह नहीं चल पायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

अभी उसकी आवश्यकता नहीं है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी बात कहें ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं आपके निर्देशों, माननीय नेता विरोधी दल की भावनाओं का पूर्णतया आदर करूंगा और केवल चन्द शब्दों में अपनी बात को समाप्त करूंगा । यह सरकार इस बात के लिये संवेदनशील है । मैंने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कहा था कि मैं खुद आहत हूं। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उसके लिये हमने क्या किया है, बहुत संक्षेप में जानकारी दे दी। जब प्रहार किये गये, यह कहा गया कि दो घटनायें हो गयीं, त्याग-पत्र दें और यह कहा गया कि पुलिसकर्मी, वर्दीधारी उसकी हत्या हो गयी तो कहीं न कहीं का ध्यान आता है। मैं अगर कहूं कि 4 फरवरी, 1995 को ज़ौनपुर रेलवे स्टेशन के पुलिस चेक पोस्ट पर अपने 4 साथियों के साथ हमला किया और वहां के एक आरक्षी की हत्या कर दी तो क्या यह कहने का अधिकार नहीं है।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री धनीराम वर्मा–

जब कह दिया कि केवल कल की घटना के बारे में जवाब दें तो उससे हटकर बात कहेंगे तो मुझे भी कह लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी की बात आ जाने दीजिए।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यहां पर हम सहमत हों या न हों। हमारे विरोध में भी, हमारे खिलाफ रोजाना समाचार पत्र छपते हैं, टीका-टिप्पणी होती है, यह प्रेस का अधिकार है। मान्यवर, पहले जब उनकी सरकार थी और उनके मुख्य मंत्री के बारे में टीका-टिप्पणी हुई तो कहा कि जिन लोगों ने समाचार छापे हैं, उन पर हल्ला बोल दो, समाप्त कर दो, वह त्याग-पत्र देने की बात करते हैं।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी, कृपया घटनाओं तक सीमित रखें। काफी समय लग गया है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इन्होंने मिथ्या भाषण किया है और मैं इनकी चुनौती को स्वीकार करता हूं। इस सदन में यह सिद्ध करें कि अगर तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि उनके हत्याओं की खबर छापने पर हल्ला बोल दिया जायेगा। मैं इस सदन की सदस्यता छोड़ने के लिये तैयार हूं। नैतिकता तो इनमें है नहीं कि यह नैतिकता की बात करें। अगर इनमें थोड़ी भी शर्म हो तो अपनी झूठ के लिये क्षमा याचना करें नहीं तो अपनी सदस्यता से इस्तीफा दें।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी, कृपया समाप्त करिये।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं इस सम्मानित सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो लोग या जो माफिया चाहे जेले के अन्दर बैठ करके प्लानिंग कर रहे हैं, उनके इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे।

श्री अम्बिका चौधरी–

[× × ×]

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्रि-मण्डल में कोई सदस्य ऐसा नहीं है जिसके अपराधी से सम्बन्ध हों ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यहां से अजायबघर कितनी दूर है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दो स्पष्टीकरण संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूंगा । क्या यह सरकार किसी सरकार की जो विफलताएं रही हैं उनको आदर्श मानती है । एक दृष्टिकोण मैंने भी दिया था इसी सदन में एक पूर्व मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे उन्होंने चुनौती स्वीकार की थी उसको पूरा न कर पाने के कारण इस्तीफा दे दिया था । यह किसी सरकार की विफलता का ढिंढोरा पीट रहे हैं । दूसरी बात संसदीय कार्य मंत्री जी ने कही है कि यह किसी का षडयंत्र हो सकता है मैं यह नहीं जानता कि सत्तापक्ष या विपक्ष किसका षडयंत्र हो सकता है यह जांच करायी जायेगी उसमें स्पष्ट होगा यह जांच का विषय है । लेकिन एक अपराधी अपराध करके विधान सभा परिसर से सकुशल निकल जाए यह इस सरकार की कानून व्यवस्था में खामी को उजागर करता है । इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि उस खामी के बारे में स्पष्टीकरण दे ।

श्री हुकुम सिंह–

सबसे पहले मैं दूसरे स्पष्टीकरण से अपनी बात शुरू करता हूं । खामी जो रही है वह भी जांच का बिन्दु बनाई गई है । जो कमेटी गठित की गई है वह उन खामियों की तरफ जांच कर रही है । सारी खामियों की जांच हो रही है । जहां तक पहले स्पष्टीकरण का सवाल है किसी की विफलता को इस सरकार ने आदर्श नहीं माना है । यह सरकार पिछले एक वर्ष पांच महीने में जितना प्रशंसनीय कार्य कर चुकी है उतना पूर्व में कभी नहीं किया गया । त्याग-पत्र वह दें जो विफल हो ।

(व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

कोई वारदात करके सकुशल निकल जाए तो कोई न कोई तो खामी रही होगी । लेकिन इस सरकार के मुख्य मंत्री जी ने जैसा कहा था कि सरकार हनक, धमक और इकबाल से चलती है तो क्या इनकी हनक धमक में कमी आयी है और क्या इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेने का साहस है ।

श्री अध्यक्ष–

यह बात आप पहले कह चुके हैं । इस सूचना पर जिन माननीय सदस्यों ने यह सूचना दी है, उनको सुनने के उपरान्त एवं संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

जैसा कि आम सहमति आज बनी थी कि नियम 56 में केवल यही एक सूचना ली जायेगी । इस पर अनेक माननीय सदस्यों ने काफी पर्याप्त रूप से अपनी बात रखी । शेष नियम 56 की जो सूचनाएं हैं मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह कल दे दें । चूंकि आज आय-व्ययक पर

चर्चा होनी है । इसलिए नियम 56 की अन्य सूचनाएं अब न ली जाएं । कृपया आप सभी माननीय सदस्य कार्यवाही को ठीक प्रकार से चलाने में अपना सहयोग दें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि जो रिक्शा चालक की मृत्यु हुई है उसके मृतक परिवार को पांच लाख की अनुग्रह राशि उसके भरण पोषण के लिए दी जायेगी । दूसरी चीज क्या जांच के माध्यम से ही काम चलता रहेगा या फिर हत्यारों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जायेगी । तीसरी चीज सरकार इस बात के लिये कोई ठोस उपाय कब तक सुनिश्चित कर लेगी कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाये ।

श्री अध्यक्ष–

वैसे ये बातें तो आ गयी हैं । मंत्री जी ने बताया कि स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है और मृतक के परिवार को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा भी की गयी है ।

अब मैं आगे की मद संख्या–9 ले रहा हूं । वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा । एक अनुरोध यह है कि चूंकि लगभग 2.26 बजे अपराह्न का समय हो गया है, समय बहुत कम है, इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय दलों के नेता यदि आज इसमें भाग ले रहे हैं तो वह 5 से 10 मिनट का समय लें और दूसरे माननीय सदस्य 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें तो अच्छा रहेगा ।

(श्री रामवीर उपाध्याय जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

श्री उपाध्याय जी आप कृपा करके अपने दल के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बात कर लें ।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव स० वि० स० झांसी की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, श्री चन्द्र पाल सिंह यादव जी के बारे में एक सूचना है । उनको जबरदस्ती जानबूझकर चूंकि वह कोआपरेटिव क्षेत्र में एक प्रदेश स्तरीय नेता है, साजिश के तहत मोंठ में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और नाजायज तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है । इसलिये उनको तत्काल रिहा करने हेतु आप सरकार को निर्देशित करें ताकि वह कल सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिये आ सकें ।

श्री अध्यक्ष–

सूचना मेरे पास आ गई है, मैं इसे शासन के पास भेज रहा हूं ।

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी)†

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा 1999–2000 के लिये प्रस्तुत बजट भाषण में आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैंने निरन्तर पिछले कई वर्षों के बजट भाषणों को देखा मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा और हृदय से बधाई देना चाहता

---

† आय-व्ययक पर साधारण चर्चा दिनांक 22 फरवरी, 1999 की कार्यवाही से आरम्भ ।

हूं कि पहली बार आपने इस बजट भाषण को ईमानदारी के साथ दिया है और जिसमें पहली बार विकास दर के लक्ष्य को नहीं रखा गया है । मैंने आपके भाषण को आद्योपरान्त पढ़ा परन्तु उसमें ग्रोथ रेट कहीं तय नहीं किया गया है । जिसने यह फैसला कर लिया है कि अपनी मंजिल नहीं बतायेंगे बिना मंजिल के आगे बढ़ेंगे क्योंकि यह बजट भाषण आपके प्रमुख सचिव ने लिखा और आपने पढ़ दिया अन्यथा आप यह भूल नहीं करते । जब आपकी मंजिल ही तय नहीं है कि आपका ग्रोथ रेट क्या होगा तो आप किस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे । अगर है तो आप अपने उत्तर में बता देना कि हमने ग्रोथ रेट यह निर्धारित किया है, अन्यथा आपकी यह स्वीकारोक्ति होगी कि आपके पास मंजिल नहीं है, आपके पास न दृष्टि है और न ही आपको मालूम है कि कहां जाना है । इसलिये मैं आपसे कहना चाहूंगा । यह है आपका श्वेत पत्र आपने प्रस्तुत किया था बड़े गौर से देखिये । 1989 में विकास दर 6.5% थी और आज 1999 में 1998 जो बीता है 2.8 प्रतिशत विकास दर पहुंच गई है यानि एक तिहाई रह गई है । जब स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि विकास की गति तिहाई है तो मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा बड़ी स्वीकारोक्ति और क्या होगी । आपने अपनी कमी स्वीकार कर ली है आपने मान लिया है कि आपके बस में उत्तर प्रदेश चलाना नहीं है इसके लिये मैं आपको बधाई देना चाहता हूं ।

मान्यवर, यह टोटल बजट 40,754 करोड़ रुपये का है । इसमें राजस्व व्यय है 29,761 करोड़ और राजस्व प्राप्ति है 22,821 करोड़ । घाटा है 6,930 करोड़ का । बधाई हो माननीय मुख्य मंत्री जी । 19 करोड़ प्रति दिन के हिसाब से घाटे का बजट मान लें । आपने इसमें अपनी कमजोरी स्वीकार की है उसके लिये भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं । यह तो तब है जब आपने कहा है अगर इसके एक-एक शब्द को मैं मान लूं लेकिन अनुमान पिछले वर्षों में भी जो अनुमानित रहा है उससे वृद्धि अधिक हुई है इस साल भी होगी इससे आप इन्कार नहीं कर सकते हैं । पिछली बार 34 हजार करोड़ का अनुमानित था और वह 41 हजार करोड़ पहुंच गया था ।

मान्यवर, इस बार आपने इसीलिये बढ़ाकर 40 हजार करोड़ ले गये हैं अगर यह उसी अनुपात में बढ़ा तो 50 हजार करोड़ तो जायेगा ही तो फिर जनता के सामने स्थिति स्पष्ट कर दीजिये । यह आप कैसे कह रहे हैं कि 700 करोड़ का घाटा होगा । यह 1500 से 2000 के बीच में होगा । इतना आप कहीं से लेकर तो आयेंगे नहीं प्रदेश चलाना होगा तो जनता पर कर्जे का बोझ लादना पड़ेगा । कर का बोझ लादेंगे सीधे या परोक्ष रूप से अन्यथा यह घाटा पूरा होने वाला नहीं है । इस तरह से उत्तर प्रदेश की गरीब जनता पर और ज्यादा भार डालने का काम किया है, इसकी जितनी निन्दा की जाय कम है । पूंजीगत व्यय देखा 2719 करोड़ रुपये ।

मान्यवर, 1999–2000 के बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी आपने पढ़ा या नहीं, अगर आपने पढ़ा होता तो प्रस्तुत नहीं करते । मैं सम्मानित सदन की जानकारी में ला रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने 1997-98 में कुल राजस्व प्राप्ति और व्यय के बाद जो विकास के लिये धन रखा था वह 8.2 प्रतिशत था । इस बार आपने कितना रखा है 6 प्रतिशत । 94 प्रतिशत तो इधर उधर जायेगा 6 प्रतिशत विकास के लिये रखा है । गत वर्ष 8 प्रतिशत रखा था इस वर्ष 6 प्रतिशत रखा है तो विकास की गति धीमी तो होनी ही है । यह इस बजट से स्वयं परिलक्षित हो रहा है और आपने स्वयं कहा है कि कुल धन का 6 प्रतिशत रखा है तो इससे विकास की गति तेज तो होगी नहीं धीमी ही होनी है यहां पर एक बात कहूं तो आपको अप्रिय लगेगा । यह आपका व्हाइट पेपर है आपने अपने व्हाइट पेपर में लिखा है 87-88 में जब कांग्रेस की सरकार थी राजस्व 82.7 प्रतिशत और पूंजी 17.3 प्रतिशत रखा था । जब हमने 18 प्रतिशत प्रदेश के विकास के लिये रखा था । आप अब रख रहे हैं 6 प्रतिशत यानी कांग्रेस शासन की तुलना में विकास के लिए जो धन रखा है वह एक तिहाई है, यह मैं नहीं कह रहा हूं आपका व्हाइट पेपर कह रहा है । आपके आंकड़े कह रहे हैं अभी हमारे इधर के मित्रों की बड़ी आलोचना कर रहे थे इनके समय 8.2 प्रतिशत था, 9.1 प्रतिशत था अब 6 प्रतिशत पर आप ले आये हैं

तो ईमानदारी के साथ नैतिकता अगर बची है तो कहना छोड़ दीजिए विकास करेंगे, विकास बजट में 6 प्रतिशत रखा है तो जादू के जोर से कुछ अब नहीं हो जाएगा। विकास करने के लिए पिछले वर्ष के मुकाबले कम धन रखा गया है।

मान्यवर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन जैसे महापुरुष बता गये हैं जिनको नोबल पुरस्कार दिया गया था इन्होंने कहा है कि प्रदेश के लिये कल्याणकारी बजट का मतलब होता है उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे बिन्दु हैं जिसमें प्रमुख रूप से ध्यान देना चाहिए यह उनकी बात क्या मानेंगे इन्होंने कह दिया वह ईसाई हैं दूसरे देश से मिले हैं। अब ज्यादा अप्रिय बात कहना ठीक नहीं है इनकी बात को मानिए या न मानिए इनकी अर्थ-नीति को तो मान लीजिए केरल के मुकाबले शिक्षा का प्रतिशत 3.7 है केरल का 6.3 प्रतिशत तमिलनाडु का 4.4 प्रतिशत है कुल 20 प्रतिशत है। अगर आप अपनी बुद्धि की जगह अमर्त्य सेन की बुद्धि उधार ले लेते तो आज शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं तो किसी और क्षेत्र में ही सही आपने जो आर्थिक चक्र अपना बनाया था और उसमें बड़े विस्तार से समझाया था आपकी घोषणा थी हम रोजगार के अवसर बढ़ायेंगे लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे इससे आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी तो वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो पूंजी निवेश बढ़ेगा, लेकिन मान्यवर, आमदनी बढ़ी नहीं, क्रय शक्ति घट गई महंगाई के मारे। क्रय शक्ति घट गई तो वस्तुओं की मांग घट गई वस्तुओं की मांग घट गयी, तो उत्पादन घट गया, उत्पादन घट गया तो रोजगार भी घट गया, अगर ऐसा नहीं होता, तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं, जब जवाब देने के लिये खड़े हों, तो थोड़ा बता दें वैसे तो पीछे से स्लिप भी आ जायेगी।

मान्यवर, इनके शासन के स्वर्णिम काल में एक साल दो महीने हो गये हैं यह बता देंगे कि मेरे कार्यकाल में इतना पूंजी निवेश बढ़ा है वरना जो इनकी एकोनोमी साइकिल थी वह मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह हो गई। मैं आंकड़ों के साथ कह रहा हूं जो आपने बजट में प्रस्तुत किया है। व्हाइट पेपर में जो दिया गया था। मान्यवर; इस प्रदेश की शताब्दी की सबसे बड़ी बाढ़ आयी मैं सोच रहा था, इसमें कुछ इनके लिये होगा, बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिये कोई कार्ययोजना बनायी होगी, लेकिन उनको पुनर्स्थापित करने के लिये एक पैसे की कार्य योजना नहीं है। एक पैसे का जिक्र किया। मैं नहीं जानता कि कहां से करेंगे। मैं यह मानकर चलूं कि अगले वर्ष उनको पुनर्स्थापित करने की कोई महत्वाकांक्षी योजना इस बजट में नहीं है। यह उत्तर प्रदेश की देन नहीं है, यह बांध जो टूटे हैं, यह आपके कार्यकाल में, आपकी कमी से टूटे हैं। उनके पुनरीक्षण के लिये पैसा नहीं दिया गया। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नैपाल से बात करनी चाहिए। जब तक आप नैपाल सरकार से बात नहीं करेंगे तब तक आप बाढ़ को रोक नहीं सकते हैं। मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी जब 17.3 प्रतिशत से घटकर विकास के लिये 6 प्रतिशत का लक्ष्य रख रहे हैं तो कौन सी जादू की छड़ी है जिससे विकास हो जायेगा। जब विकास दर 6 प्रतिशत से घटकर 2 प्रतिशत में आ जाय तो कौन सी आप जादू की छड़ी चलायेंगे वह आप हमको बता दें। केवल अपनी राजनीति के कारण आप जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा करने जा रहे हैं।

मान्यवर, जो हम अनुमान करते हैं उससे ज्यादा करते हैं। यह पहली बार है कि हमने नौ हजार 369 करोड़ का अनुमान लगाया और पुनरीक्षण बजट घटकर आठ हजार नब्बे हो गया। तो यह स्थिति है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपने 500 करोड़ वह भी शामिल कर लिये होंगे जो नये प्रस्ताव प्रदेश प्रवेश कर लगाकर शामिल करेंगे। एक सरकार आयी उसने चुंगी को समाप्त किया लेकिन आप सरकार में आते ही चुंगी का भार फिर से लादे जा रहे हैं। मान्यवर, मुझे समय का ध्यान है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि इससे घटिया, इससे लचर, इससे लक्ष्यहीन, दिशाहीन कोई बजट नहीं हो सकता है जो आपने प्रस्तुत किया है। एक बात और कहना चाहूंगा कि जो बजट आपने

रखा है इसकी भाषा को देखने से यह नहीं लगता है कि यह आपकी भाषा है । आपकी भाषा तो समता, ममता, गगरी अगरी वाली है, इसमें तो अंग्रेजी के शब्द हैं और अंग्रेजी से आपका वास्ता नहीं है । मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आपने स्वदेशी का मंत्र दिया था उससे आप अलग हो रहे हैं । दो चार महीने और राज कर लीजिये । जब तक आपकी किस्मत है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी ने अपना दूसरा बजट रखा है । मैं उम्मीद करता था कि माननीय कल्याण सिंह वित्त मंत्री की हैसियत से इस प्रदेश के साथ न्याय करेंगे । लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि माननीय कल्याण सिंह जी ने जो कहा है वह किया नहीं और जो नहीं कहा उसे करा है । इस बजट में बजाय इस प्रदेश को आगे ले जाने के पीछे और पिछड़ेपन को ले जाने का काम इन्होंने किया है । यह मैं नहीं कह रहा हूं यह सरकार के आंकड़े कह रहे हैं । आपने भी देखा होगा और आप भी इससे सहमत होंगे । जो प्रदेश ऋण के भंवरजाल में फंसा हुआ है उससे निकलता यह इस साल उम्मीद थी लेकिन उसमें और फंसा चला जा रहा है । इस प्रदेश को आगे ले चलने के लिये सबसे पहले विकास की गति तेज होनी चाहिए । भारत सरकार ने पुनरीक्षण कर 6 प्रतिशत विकास की दर रखी है और उत्तर प्रदेश ने कितनी रखी 2.9 प्रतिशत । और आप कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं । यह तो सम्यक् है । हमारे पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड में 1.6 प्रतिशत है । मैं कल्याण सिंह जी से उम्मीद करता था कि उत्तर प्रदेश की विकास दर बढ़ाये जाने के लिये इस बजट में ठोस सुझाव आयेंगे, प्रस्ताव आयेंगे । लेकिन लगता है कि जिस तरह की लचर कमजोर सरकार है अपनी सरकार को बचाने में लगे हैं । इस प्रदेश का भला वे सोच नहीं पाये । कड़े कदम उठाये होते तो भी हम लोग आपका स्वागत करते । हम मानते कि आपने प्रदेश को आगे ले जाने के लिये यह किया है । आप की कतई हिम्मत नहीं हो पाई, आप कड़े कदम उठाकर प्रदेश को उबार सके । जो सरकारी आंकड़े इसमें प्रस्तुत किये गये हैं 1998-99 में सामान्य सेवाओं के जरिये 527.77 करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य था और प्राप्त किया 167.89 करोड़ रुपये । आर्थिक सेवाओं की प्राप्तियों का लक्ष्य एक हजार करोड़ रुपये के लगभग था प्राप्त किया 400 करोड़ रु० । यह राजस्व प्राप्तियों के जरिए 34 प्रतिशत अधिक आमदनी का लक्ष्य रखा था लेकिन प्राप्त मात्र 11 प्रतिशत किया । मान्यवर, राजस्व वसूली में लक्ष्य 70 फीसदी का था वृद्धि का अनुमान था इसमें कमी आई है 36 फीसदी की इसी तरह माल व यात्री कर में प्राप्तियां केवल 50 फीसदी की हुई है । व्यापार कर में साढ़े 13 प्रतिशत की कमी आई है स्टाम्प और पंजीयन में 22 प्रतिशत की कमी है ।

मान्यवर, जो हमारी नजूल की भूमि सैकड़ों वर्ष से प्रदेश के पास थी वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिये बेचने का काम किया है । औने-पौने दाम पर वह बेची जा रही है । जो फ्री-होल्ड करने में आय का लक्ष्य 300 करोड़ रुपये था उसमें मात्र 60 करोड़ प्राप्त हुए हैं । खनिज रियायत शुल्क में 300 करोड़ रुपये का लक्ष्य था प्राप्त हुए 180 करोड़ रुपये । लकड़ी व वन उत्पाद की बिक्री में 85 करोड़ की वृद्धि का अनुमान था लेकिन वसूली हुई 51 करोड़ । नलकूपों से पानी बेचकर 47 करोड़ के लगभग लक्ष्य था, प्राप्त हुआ 21.55 करोड़ रु० । सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर बेचकर 200 करोड़ रुपये का लक्ष्य था । इसमें एक भी पैसा आपने प्राप्त नहीं किया क्योंकि शेयर आपने बेचा नहीं । या कोई खरीदने के लिये तैयार नहीं हुआ । 97-98 में सरकारी बकाये की धनराशि 15 हजार 454 करोड़ रुपये थी जिसमें 98-99 में 16 हजार 416 करोड़ रुपये है । मान्यवर, 1997-98 में ऋण लगभग 2,489 करोड़ रुपये था जो 98-99 में 3646 करोड़ होने का अनुमान है । ऋण में लगातार वृद्धि हो रही है तो प्रदेश आगे कैसे बढ़ेगा । पर वास्तविकता इतनी ही नहीं है यह तो इनका अनुमान है यह 10,842 करोड़ रु० पर आने वाला है । यह स्थिति रही तो प्रदेश हमेशा के लिये पिछड़ा ही रहेगा और गर्त में गिर जायेगा ।

(इस समय 02 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता डा० अशोक बाजपेयी पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, सरकार के अनुमान से 3 गुना अधिक ऋण लेने की सरकार की बाध्यता होगी । अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह कदम सरकार की राजस्व प्राप्तियों में पूरी तरह से पिछड़ने के कारण हुआ है । जो मैंने आंकड़े दिये हैं उससे परिलक्षित होता है कि जो इनको प्राप्त होना था उसके आधार पर प्राप्त करने में असफल रहे हैं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में हम उम्मीद करते थे कि सरकार अपने बजट में अनुत्पादक खर्चों में कमी करेगी लेकिन 97-98 में मंत्रियों पर 14 करोड़ 81 लाख 77 हजार का खर्च था अब वह खर्च आने वाले 99–2000 में बढ़कर 21 करोड़ 27 लाख 47 हजार हो जायेगा इसका मतलब यह हुआ कि 43 प्रतिशत मंत्रियों के ऊपर ज्यादा खर्च यह सरकार करेगी जिससे यह सरकार और ज्यादा घाटा बढ़ाने का काम करेगी बजाय कम करने के ।

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी को यह चाहिए था कि संसाधन बढ़ाने के लिये कोई नया कर न लगायें । माननीय मुलायम सिंह जी जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने चुंगी को खत्म किया था । किसी भी प्रगतिशील देश के लिये चुंगी अनुत्पादक कर में मानी जाती है, फिर चुंगी लगाकर इन्होंने यात्री कर लगा दिया वह कैसे वसूला जायगा उसका क्या प्रारूप होगा उसका कोई अता पता नहीं है । मैं आग्रह करूंगा कि इस तरह का काम न करें मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जनसंख्या को कम करने के लिये जन आन्दोलन चलायेंगे मान्यवर, हमारा उत्तर प्रदेश भारत में ऐसा है जहां जन्मदर पांच प्रतिशत है जबकि भारत की जन्मदर 2.1 प्रतिशत है । तो इसे कैसे कम कर पाओगे ।

मान्यवर, स्वास्थ्य के लिये आपने 70 करोड़ रुपया रखा है शिक्षा के लिये आपके पास धन है ही नहीं शिक्षा के लिये तो अनुदान देने के लिये भी तैयार नहीं हैं न स्वास्थ्य में पैसा है न शिक्षा में न टिहरी परियोजना में । जो शाम को 6 बजे से 10 बजे तक बैठक होती है आपको पता नहीं है कि उसका दूसरा चरण कब शुरू होगा । 2002 में दूसरा चरण शुरू होगा उसको 100 करोड़ देना था और 40 करोड़ दे रहे हैं तो मैं यह मांग करूंगा कि इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिये कुछ ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे वह ठोस निर्णय बजट में तुकबन्दी करके इसको हासिल नहीं कर सकते हो । अगर इस प्रदेश को आगे ले जाने की मंशा है तो मैं आग्रह करूंगा कि अर्थशास्त्रियों को बुलाकर बात कर लें । मैं जानता हूं कि आपके वित्त सचिव बहुत काबिल आदमी हैं लेकिन उनकी बात सुनने का आपके पास समय कहां है आप इतने व्यस्त हैं, आपके पास समय नहीं है कि वित्त विभाग को देख सकें । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस प्रदेश में गति देने के लिये ठोस प्रस्ताव लाने की कृपा करें ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि माननीय कल्याण सिंह जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपने विचार रखने का आपने अवसर दिया । मान्यवर, बजट में कही गयी बातों को दोहरा कर मैं सदन का समय अकारण नहीं लेना चाहता हूं । मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट से जो मूल भावना प्रतिबिंबित होती है उस पर सम्मानित सदन के समस्त सदस्य गौर करेंगे तो एक नयी दिशा इस बजट में दिखाई देगी । यह 2000 वर्ष पूरा होने जा रहा है । दूसरी सदी आने वाली है और यह इस सरकार का इस सदी का अन्तिम बजट है । (शोर)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, कभी-कभी सही बात जबान से निकल जाती है ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

दूसरी सदी का बजट भी हमारी सरकार लायेगी तिवारी जी । मैं आलोचना के लिये नहीं बल्कि उद्धरण देना चाहूंगा कि इस देश को स्वाधीन हुए 50 वर्ष का कालखंड हो गया है । 50वां वर्ष बीत जाने के बाद जो सुधार देश और प्रदेश में होना चाहिए और जो विकास का रूप और प्रारूप सामने आना चाहिए वह नहीं आ सका है । इसका प्रमाण है कि आज भी करोड़ों लोग टुकटुकी लगाकर प्रतीक्षा कर

रहे हैं कि आजादी का लाभ उनको भी मिल सके, लेकिन वह नहीं हुआ। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि इस देश के प्रथम प्रधान मंत्री स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू के नीयत की कोई आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन मैं उनकी नीति की आलोचना करना चाहता हूं उन्होंने स्वाधीन भारत में इस देश के लिये योजनायें बनवायीं तो विदेशों से प्रेरित होकर और वहां की चकाचौंध से प्रभावित होकर बनवायीं। जबकि उनको गांव से आरम्भ करके विकास की योजनायें बनानी चाहिए थीं।

एक कहावत है नकल करने के लिये अकल चाहिए वरना शक्ल बिगड़ जाती है। आज वही कहावत चरितार्थ हो रही है। इस देश की 75 से 80 प्रतिशत जनता आज भी गांव में निवास करती है और उन पर केवल 20–25 प्रतिशत धन विकास के लिये खर्च किया जाता था जबकि शहरों पर 80 प्रतिशत खर्च किया जाता था। इसी के फलस्वरूप गांवों का विकास नहीं हुआ है। 80 प्रतिशत जनता के लिये सड़क, बिजली की व्यवस्था नहीं की गयी और सारा धन शहरों पर खर्च होता रहा। यह तो ऐसे ही हुआ कि एक हाल में 80 आदमी हों और दूसरे में 20 आदमी हों। 20 आदमियों वाले हाल में 80 आदमियों का खाना चला जाय तो वह खाते-खाते बीमार हो जायेंगे और 80 आदमियों वाले हाल में यदि 20 आदमियों का खाना चला जाय तो वह भुखमरी के कगार पर पहुंच जायेंगे। यही स्थिति गांवों और नगरों के संदर्भ में है। गांव में ग्राम पंचायत को आधार मानकर विकास की योजनायें बनानी चाहिए थीं लेकिन विकास की गति उल्टी रही, वह ऊपर से नीचे की ओर चली जबकि विकास की गति नीचे से ऊपर को होनी चाहिए थी। जैसा कि अभी मैंने कहा यह 1999–2000 का अन्तिम बजट है। अभी हमारा बजट फिर आयेगा और बार-बार आयेगा।

श्री अधिष्ठाता–

मन से कह रहे हैं।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मन से कह रहा हूं और विश्वास से कह रहा हूं। श्रीमन्, गांवों से नगरों में पलायन हो रहा है। गांव से बाल श्रमिक शहरों को आ रहे हैं, शिक्षा के लिये पलायन हो रहा है और सुरक्षा के लिये गांवों से पलायन हो रहा है। अगर गांवों में बिजली सड़क आदि प्राथमिक सुविधायें उपलब्ध करा दी जायं तो गांवों से पलायन रुक जायगा। यह आदेश तो नहीं दिया जा सकता कि गांव से कोई परिंदा शहर को न आये लेकिन यदि सरकार गांवों में बुनियादी सुविधायें मुहैय्या करा दे तो गांव से शहरों का पलायन रुकेगा। मान्यवर, इसी तरह से कहना चाहता हूं कि भू-माफियाओं की बात मुख्य मंत्री जी ने कही है कि 872 हेक्टेयर भूमि माफियाओं से मुक्त कराकर आर्थिक उपलब्धि की गयी है। मैं श्रीमन्, एक निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कही थी जिस पर काम हुआ है। मैं प्रदेश को कर्ज मुक्त करने के संबंध में सुझाव दे रहा हूं कि अकेले कानपुर विकास प्राधिकरण की 15 हजार हेक्टेयर भूमि भू-माफियाओं ने बेच लिया है। इसी तरह से प्रदेश में 24 ऐसे प्राधिकरण हैं जिनकी हजारों हेक्टेयर भूमि इन माफियाओं द्वारा बेची जा चुकी है। यदि एक टास्कफोर्स बनाकर यह जमीनें वापस ली जायं तो 58 हजार करोड़ का जो कर्ज प्रदेश पर है वह इस जमीन को बेचकर अदा हो जायेगा और प्रदेश कर्ज मुक्त हो जायगा। श्रीमन्, मैं इसी के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सन् 1999–2000 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है यह निश्चय ही लक्ष्यविहीन, दिशाविहीन और विकास विरोधी बजट है। मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूं कि अभी इस चुनी हुई सरकार द्वारा प्रस्तुत यह सालाना बजट बहुत

बड़े घाटे का बजट है। बजट से ही किसी सरकार की नीति और नीयत झलकती है। किसी सरकार का बजट विकासोन्मुखी बजट तब कहलाता है जब उसमें विकास कार्यों पर अधिक खर्च हो अर्थात पूंजीगत व्यय ज्यादा हो तथा राजस्व व्यय कम हो। सरकार इस बजट को विकासोन्मुखी बजट कह रही है लेकिन मुख्य मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने अपने वर्ष 1999–2000 के वित्तीय वर्ष के बजट में 14 अरब रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने की बात कही है। मैं कहना चाहता हूं उनका यह वादा अच्छा है। लेकिन मुख्य मंत्री जी को यह बताना चाहिए था कि 14 अरब रुपये के अतिरिक्त संसाधन कहां से जुटायेंगे, आयेंगे ? इस बात का मुख्य मंत्री जी ने बजट में कोई जिक्र नहीं किया है। मान्यवर, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के बजट का आकार 1100 करोड़ रुपये अधिक है। मुख्य मंत्री जी को एक सम्भावित रकम इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली है और वह रकम प्रवेश कर से 500 करोड़ रुपये की संभावित है उसी आय को जोड़कर पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के बजट के आकार को बढ़ाया गया है। केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकार को अभी तक प्रवेश कर लगाने की अनुमति नहीं दिया है। लेकिन मा० मुख्य मंत्री जी पता नहीं किस उम्मीद पर 500 करोड़ रुपये से बजट सम्भावित आय को सम्मिलित कर लिये हैं।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्व व्यय इस बजट में 29,761.88 करोड़ रुपये है, वहीं पूंजीगत व्यय 10,922.16 करोड़ रुपये है। इस वित्तीय वर्ष का बजट जो पेश किया गया है इसमें प्रदेश की जनता यदि सोचती हो कि विकास होगा, तो वह सम्भव नहीं है। इसमें पूंजीगत व्यय से राजस्व व्यय बहुत अधिक है।

मान्यवर, अभी मा० प्रमोद कुमार ने ठीक कहा था कि इस बार मुख्य मंत्री जी ने विकास का जो ढिंढोरा पीटा है उसे प्राप्त करने के लिये जितने संसाधन होने चाहिए उसका इस बजट में प्राविधान नहीं किया गया है। पूंजीगत व्यय कम हो तो प्रदेश की तरक्की इससे नहीं होने वाली है। मुख्य मंत्री जी जब इस सदन के नेता प्रतिपक्ष थे, उस समय जो उन्होंने तत्कालीन सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर कहा था उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं, उन्होंने तत्कालीन बजट की आलोचना प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से करते हुए कहा था– जो सरकारें अपने बजट के घाटे को लोक लेखा से समायोजित करें तो वह बजट विकासोन्मुखी बजट नहीं कहा जा सकता है।

मान्यवर, मैं नेता सदन को स्मरण कराना चाहता हूं जो विपक्ष के नेता के नाते उन्होंने कहा था। जो 1999–2000 का बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें उन्होंने अपनी बचनबद्धता का अमली जामा नहीं दिया है और समेकित निधि से घाटे को कम करने के लिये उन्होंने लोक लेखा से समायोजित किया है। मान्यवर, 3,080.28 करोड़ रुपये लोक लेखा से समायोजित किया गया है। इसकी मैं आलोचना करता हूं कि इस प्रवृत्ति से प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती है। कुछ महत्वपूर्ण बातें रह गयी हैं, उनको कह लेने दें।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया अब समाप्त करें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मैं केवल एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। माननीय नेता सदन को जानकारी है कि पूरे प्रदेश की 16 करोड़ की आबादी है और इसका 43 प्रतिशत इन्सान पूर्वान्चल में रहता है, मैं कहना चाहता हूं कि पिछली बार पूर्वान्चल विकास निधि में 120 करोड़ रुपया मिला था और इसको इस बार बढ़ाकर 150 करोड़ रुपया किया गया है और मान्यवर, इसके विपरीत उत्तरांचल में 7-8 जिले हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 59 लाख की है, को पिछली बार 860 करोड़ का बजट दिया गया था और इस बार 1140 करोड़ दिया गया है, तो इतना अधिक प्राविधान किया गया है और वहीं पूर्वी उत्तर

प्रदेश में बहुत कम किया गया है । यह बजट प्रदेश में व्याप्त सभी असन्तुलन को और बढ़ायेगा । बजट में पूर्वान्चल की घोर उपेक्षा की गयी ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, एक मिनट में समाप्त कर दूंगा । अगर सरकार रिजनल इम्बैलेंसेज को समाप्त करना चाहती है तो इसे परिव्यय का 43 प्रतिशत धन पूर्वान्चल के विकास पर लगाना चाहिए ।

मान्यवर, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ आयी थी उसके बारे में एक बात कह देना चाहता हूं। मान्यवर, इस बार जो बाढ़ आयी थी वह शताब्दी की सबसे बड़ी बाढ़ थी । इसी सदन में मेरे द्वारा प्रस्तुत एक संकल्प पर मा० मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि बाढ़ के स्थाई समाधान के लिये प्रभावी कदम उठाये जायेंगे, माननीय नेता सदन बैठे हैं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के स्थाई समाधान हेतु बजट में धन नहीं दिया गया है । मान्यवर, यह सदन लोक तंत्र में सर्वोच्च है; जब समस्याओं का समाधान यहीं से हो सकता है । इस सम्मानित सदन के अतिरिक्त धरती पर और कोई संस्था नहीं है जो बाढ़ जैसी समस्या का समाधान ढूंढ सके । माननीय नेता सदन बैठे हैं, उन्होंने कहा था, बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिये पहल की जायेगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार कोई ठोस काम नहीं कर पायी है और न ही इस हेतु अपेक्षित धन इस बजट में उपलब्ध करा पायी है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सुबाष जी, अभी कई माननीय नेताओं को बोलना है और उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी को उत्तर देना है, लिहाजा आप समाप्त करें, आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने कहा है कि बैंकों में जमा धन का 60 प्रतिशत अंश जिलों की तरक्की पर खर्च किया जाये । माननीय नेता सदन ने कहा था कि अगर यह बैंक अपने क्रेडिट डिपाजिट रेशियो को बढ़ाते नहीं हैं तो स्टेट गवर्नमेंट अपना बैंक चलायेगी । लेकिन यह अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है । मान्यवर, पूर्वांचल बैंकों के ऋण जमा अनुपात मात्र 15 प्रतिशत है, इससे हमारे प्रदेश की स्थिति ठीक होने वाली नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि यह बजट पूर्वांचल विरोधी है, लक्ष्य विरोधी है और किसान विरोधी है ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम जग जी आप 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर लें ।

श्री राम जग–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अपना बजट भाषण प्रस्तुत किया है, हमने आपके पूरे भाषण को पढ़ा । आपका भाषण पढ़ने के बाद यह स्पष्ट है कि आपका बजट किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है । आपने जो 1999–2000 के लिये बजट पेश किया है यह

दिशाहीन है, इसका कोई लक्ष्य नहीं है । आपने समय कम दिया है, मैं आंकाड़ों में नहीं जाता । जैसा कि हमारे दूसरे साथियों ने बता दिया है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता । किसी भी प्रदेश के विकास के लिये खेती और उद्योग दोनों का विकास होना अनिवार्य है । खेती और उद्योग के विकास के लिये बिजली के उत्पादन का होना अनिवार्य है लेकिन यह खेद का विषय है कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसान विरोधी है, किसानों के हक में इनके पास कोई योजना नहीं है और इस प्रदेश में जब से माननीय कल्याण सिंह मुख्य मंत्री हुए है, एक भी कारखाना नहीं खुला है ।

विद्युत उत्पादन के साथ-साथ पूंजी निवेश के लिए जरूरी है कि कानून-व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो । बाहर का व्यापारी तभी आपके यहां आयेगा । आपकी कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती गयी है, पूंजीनिवेश हुआ ही नहीं । बिजली विभाग को आप पूंजीपति वर्ग के हाथ में बेंच रहे हैं, उसको प्राइवेट सेक्टर में आप ले जा रहे हैं । बिजली परियोजनाओं पर जनता की गाढ़ी कमाई लगा है तब वह बनी है, विद्युत विभाग को आप पूंजीपतियों के हाथ में बेंच रहे हैं वह पैसा कहां जा रहा है, पूंजीपति वर्ग के हाथ में जा रहा है । बिजली विभाग को आप बेंच रहे हैं यह किसान के हक में नहीं है। इस मुल्क को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिये दरवाजा खोलने की एक सुनियोजित योजना आपकी है । आपके राज में कारखाना खोलना तो दूर, इस पुस्तिका को मैं पढ़ रहा था, आपके उत्तर प्रदेश में सीमेंट निगम का कारखाना, अपट्रान, सूती मिल के कारखाने बन्द हो रहे हैं, पब्लिक सेक्टर के कारखाने बन्द हो रहे हैं । बेरोजगारों को नौकरी देना तो दूर की बात है, बेकारी भत्ता देना तो दूर की बात है, जो पब्लिक सेक्टर के कारखाने चल रहे थे उन कारखानों को आपने बन्द करने का काम किया है । और इनको पूंजीपतियों के हाथ में बेचने की एक सुनियोजित योजना है ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा लालबत्ती जलाने पर)

माननीय अधिष्ठाता जी, अध्यक्ष जी ने कहा था कि विधान मण्डल दल के नेताओं को 10 मिनट का समय दिया जायेगा । खेती का विकास कैसे होगा, बिजली तो आप देंगे नहीं, गांवों में एक-एक सप्ताह तक बिजली गायब रहती है । यह भू-स्वामी परस्त एवं पूंजी परस्त सरकार है । भूमिहीनों के हाथ में जमीन देने का आपने काम नहीं किया है । मान्यवर, जहां तक शिक्षा की बात है, नोबुल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने दुनिया को सलाह दी कि किसी प्रदेश के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए । शिक्षा के विकास के लिये, स्वास्थ्य के लिये कोई पैसा नहीं दिया । नये-नये इण्टरमीडिएट, हाईस्कूल खोलने के लिये, डिग्री कालेज खोलने के लिये पैसा नहीं है । आप वित्त विहीन मान्यता दे रहे हैं । वित्त विहीन मान्यता देकर आप शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं । जिससे गांव के गरीब, किसान के बच्चे स्कूल में न पढ़ें । उनको वित्त विहीन मान्यता देंगे तो कौन पढ़ने जायेगा । आपके पास शिक्षा के विकास के लिये कोई योजना नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री रामजग–

आज रोडवेज को निजी क्षेत्र के पूंजीपतियों के हाथ में आप बेच रहे हैं । बसों की संख्या आपने कम कर दी जिससे जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है । यह सरकार बिजली के क्षेत्र को निजी क्षेत्र में सौंपने की बात करती है । इससे किसानों, गरीबों का भला कैसे होगा । यह सरकार का किसान विरोधी और दिशाहीन बजट है । मैं इसका विरोध करता हूं ।

उत्तरांचल विकास राज्य मंत्री (श्री मातवर सिंह कण्डारी)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसा ऐतिहासिक बजट आज तक इस विधान सभा में किसी भी मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री ने नहीं रखा है । यह बजट बिल्कुल संतुलित है ।

विकासोन्मुखी है । सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय वाला बजट है । समाज के सभी वर्ग के लोग श्रमिक, कृषक इस बजट की प्रशंसा कर रहे हैं । यह बजट श्रमिकों के हित में है, कृषकों के हित में है, सभी वर्गों के हित में है । इस बजट की पहली विशेषता आप देखेंगे कि समय पर यह बजट पहली बार प्रस्तुत किया गया है । मैं इस बात के लिये मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । इससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी । इस बजट में नई दिशा, नया चिन्तन, नया नियोजन का श्रीगणेश मुख्य मंत्री जी ने किया है । यह बजट प्रदेश को विकास के धरातल पर ले जायेगा । इससे मुख्य मंत्री जी के सहयोग से प्रदेश को चारों तरफ गति मिलेगी । इस बजट में घाटे को कम कर दिया गया है । अनुपयोगी मदों को हटा दिया गया है और प्रवेश शुल्क लगाकर घाटा को कम करने का प्रयास किया गया है ।

हमारी सरकार की विशेषता जनता की सरकार जनता के द्वार है । कल्याण सिंह जी की पहली सरकार है जिसने जनता की चिन्ता की है । जनता किसान सेवा केन्द्र, तहसील दिवस, थाना दिवस, नगरीय सेवा केन्द्र में जाते हैं । वहां जनता अपनी फरियाद अधिकारियों से कहती है और जनता की समस्याओं का निराकरण होता है । पहली सरकार है जिसने गरीबों की चिन्ता की है, शोषण को कम किया है । हमारी सरकार ने समूह ''ग'' की भर्ती के लिये परीक्षा कराकर जनता का दिल जीत लिया है। जनता ने प्रशंसा की है । भ्रष्टाचार को समाप्त किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

पहली बार इस सरकार ने महिलाओं को सम्पत्ति में अधिकार दिलाया है । यह प्रशंसनीय कदम है । स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा की महिलाओं के लिये व्यवस्था की है 20 प्रतिशत सरकारी नौकरियों में उनको आरक्षण दिया गया है । हमारी सरकार ने भयमुक्त समाज का नारा दिया है और उसे पूरा किया है । कुछ घटनाएं जो हो रही हैं यह कुछ शरारती तत्व षड्यंत्र करके हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं । सारे प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त किया गया है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री शिवपाल सिंह यादव–

मान्यवर, आपने मुझे प्रस्तुत बजट की आलोचना तथा सुझाव देने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हमारी सरकार पारदर्शी है परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार के रहते हुए भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर गई है । चाहे आई० ए० एस० का स्थानान्तरण हो, आई० पी० एस० का हो, चाहे पी० डब्लू० डी० में हो, सिंचाई विभाग में हो और चाहे जो भी विभाग हो, स्थानान्तरण को एक उद्योग का धन्धा बना दिया गया है । भ्रष्टाचार की सीमा तो यहां तक पार कर गई है कि इस सरकार के मुखिया माननीय मुख्य मंत्री जी के परिवार ने असंवैधानिक तरीके से अलीगढ़ में रिश्वत का अड्डा बना रखा है । आप चाहे जो भी विभाग ले लीजिये, चाहे जिस भी मंत्री को ले लीजिये, मंत्रियों से लेकर मुख्य मंत्री ने इस प्रदेश के सभी विभागों को लूट लिया है और इस सरकार के रहते हुए यह प्रदेश बीसियों वर्ष पीछे चला गया है ।

मुख्य मंत्री जी यहां तक कहते हैं कि टेल तक पानी पहुंचा दिया है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक नहरों की सफाई नहीं हो पायी है । फसलें लास्ट पानी के लिये खड़ी हैं, क्या निचली गंगा में पानी आ रहा है ? अभी तक एक बूंद पानी नहीं आ रहा है और किसान की लगी हुई फसल नष्ट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हो रही है । कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में नहरों की सफाई नहीं हुई है । पूरा का पूरा फर्जी पेमेन्ट कर लिया गया है । जब कभी हम लोग शिकायत करते हैं, पी० डब्लू डी० के कई अधिकारियों की शिकायत हमने की, भूमि संरक्षण के अधिकारियों की शिकायत की, जो जांच करने को अधिकारी गया उन्होंने करोड़ों रुपये लेकर उन शिकायतों को वहीं दबा दिया । इससे घटिया और भ्रष्ट सरकार दुनिया में कोई हो नहीं सकती । आज पूरा प्रदेश बरबाद कर दिया है । मान्यवर, जहां तक कानून व्यवस्था की बात है पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है । पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है । हत्याओं का सिलसिला जारी है । कहीं विधान सभा के सामने , कहीं महामहिम राज्यपाल के सामने, कहीं डी० जी० पी० कार्यालय के सामने और इटावा में मल्लाह जाति के राय केसरी नामक व्यक्ति की हत्या हुई लेकिन मान्यवर, आज तक कहीं कोई अपराधी कोई मुल्जिम पकड़ा नहीं गया है इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि इस सरकार में जब माफिया मंत्री हैं और जब श्री प्रकाश शुक्ला जैसे अपराधी के साथ यहां के मंत्री लोग रह चुके हैं उनके नाम आज तक इस सरकार ने घोषित नहीं किये हैं ।

मान्यवर, इस सरकार के रहते और जब तक इस सरकार के मुख्य मंत्री के रहते इस प्रदेश में सूखा पड़ा, बाढ़ आयी और भूस्खलन हुआ है । यह सब तब ही होता है जब इस प्रदेश का मुख्य मंत्री पापी हो । जब इस प्रदेश का मुख्य मंत्री पापी हो तो उसे स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए । मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस बजट के विरोध में जो भाषण दिया गया है, का समर्थन करता हूं । यह बजट किसान विरोधी है, मैं इसकी आलोचना करता हूं । इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

(श्री बी० आर० वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

(नेता सदन के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता सदन कुछ कहना चाहते हैं तो कह लें ।

* मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

श्री बी० आर० वर्मा खड़े हो गये हैं । आपने उनको अनुमति दे दी है उसके बाद मुझे उत्तर देने के लिये अवसर दे दें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आपकी कुर्सी की जो मुश्किल है वह मेरी समझ में आ रही है इसलिये मैं इस बजट पर लम्बी चौड़ी बात नहीं कहूंगा केवल कुछ बातें कहना चाहता हूं और चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब अपना उत्तर भाषण दें तो उन चीजों को स्पष्ट करने का कष्ट करें ताकि जनता की समझ में आ जाय । इधर जब से माननीय मुख्य मंत्री जी ने गद्दी सम्भाली है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में वित्तीय स्थिति कहां आ गई है, प्रदेश किस तरफ जा रहा है यह स्पष्ट हो जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि पिछले बजट भाषण में इस बात का जिक्र किया था कि यह प्रदेश को ऋणों के मकड़जाल में जो यह फंसा है, से निकालने का प्रयास करेंगे । पिछले साल तक सन् 47 के बाद से 98 तक यह प्रदेश 50 हजार करोड़ रुपये का ऋणी था । इस वित्तीय वर्ष में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें 10 हजार करोड़ रुपये का जिक्र किया था परन्तु अपने राजस्व व्यय को चुकता करने के लिये, कर्मचारियों की तनख्वाह और वेतन देने के लिये इनको मजबूर होकर 6 हजार करोड़ रुपये और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कर्ज लेना पड़ा । जहां 50 हजार करोड़ रुपये 50 साल में हुआ वहीं एक साल में 16 हजार करोड़ रुपये इनको लेना पड़ा है ।

इस वर्ष मैंने इनका बजट देखने की कोशिश की है । 10 हजार करोड़ रुपये और 4 हजार करोड़ रुपये अग्रिम अदायगी के लिये 14 हजार करोड़ रुपये ऋण लेने की प्रतिबद्धता की गई है । यह आगे कितना बढ़ेगा ? जिस तरह से इस साल के बजट में ब्याज की अदायगी के ऊपर ऋण अभी तक है जिससे ऋण का मकड़जाल बढ़ रहा है । 16.03 प्रतिशत ब्याज की अदायगी पर और 16.93 प्रतिशत करीब-करीब 33-34 प्रतिशत वे ऋणों की अदायगी और ब्याज देने पर इस प्रदेश का खर्चा हो रहा है । मैं यह जानना जरूर चाहूंगा कि औद्योगिक विकास के बिना बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती है औद्योगिक विकास के लिये इस बजट में कुछ नहीं किया गया है । माननीय मुख्य मंत्री जी यह पहला बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें औद्योगिक विकास और अवस्थापना मद और कानून व्यवस्था नहीं है, पूंजी निवेश नहीं है । आपका पूंजी निवेश बढ़ा है या घटा है, यह बताने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, एक बात और जानना चाहता हूं उद्योग दो प्रकार के हैं एग्रो बेस और मुलैसिस बेस । यह बन्द हो गये हैं इनकी क्या स्थिति है । दूसरा यह कि वित्तीय संसाधन बढ़ाने के आपने क्या प्रयास किये हैं बताने की कृपा करेंगे तो मार्ग दर्शन होगा । इस वर्ष जो वित्तीय वर्ष चल रहा है राजस्व बकाए की वसूली घटी है या बढ़ी है । राजस्व प्राप्ति क्यों नहीं हो पायी है वित्तीय अनुशासन और वित्तीय प्राविधान कहां तक गया है इसको बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

प्रति व्यक्ति आय कितनी थी ? अब प्रति व्यक्ति आय कितनी है । पहले कितने अस्पताल थे....

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

(श्री समरपाल सिंह का नाम पुकारा गया)

श्री बी० आर० वर्मा–

पूंजीगत परिव्यय उस समय कितना था अब क्या है ?

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जाएं समरपाल जी को बुला लिया है, समरपाल जी दो मिनट में अपनी बात कहें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

आपने मुझे पूछने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं इससे प्रदेश की जनता को जानकारी बढ़ेगी ।

श्री समरपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे 1999–2000 के बजट पर बोलने की अनुमति दी मैं इसके लिये आपका आभारी हूं । नेता विरोधी दल ने इस बजट के संबंध में जो बातें रखी हैं उन पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, जो बजट इस सदन में रखा गया है वह सदन और जनता दोनों को गुमराह करने वाला है इससे प्रदेश का विकास सम्भव नहीं है । इस बजट से इस प्रदेश का विकास

इसलिये सम्भव नहीं है क्योंकि इसमें अनुत्पादन खर्चों की बढ़ोत्तरी की गयी है और उत्पादक खर्चों में कटौती की गई है । पूंजीगत व्यय में कमी की जायेगी तो प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है । प्रदेश का विकास इसलिये नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश है यहां की 74 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है । आज किसानों की हमारे प्रदेश के अन्दर सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी फसल का सही दाम नहीं मिलता है और इसके लिये बजट में भी कोई प्राविधान नहीं किया है किसानों को उनकी फसल का दाम नहीं मिल रहा है आलू किसान लुट रहा है आलू डेढ़ सौ रुपया कुन्तल है । गन्ना किसानों का 6 प्रतिशत बढ़ाया गया है जबकि गन्ने से सम्बन्धित बनी चीजों के 30 प्रतिशत तक दाम बढ़ाये गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वह अपने उत्तर में इस बात का उल्लेख करेंगे । मान्यवर, क्षेत्रीय संतुलन के लिये धन नहीं रखा गया है जहां एक तरफ पूर्वांचल के लिये 150 करोड़ रुपये की पूर्वांचल विकास निधि की घोषणा की गई है, उत्तरांचल के विकास के लिये 1140 करोड़ रुपया उत्तरांचल विकास निधि की घोषणा की गई है, बुन्देलखण्ड के विकास 50 करोड़ रुपये की घोषणा की गयी है.....

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री समरपाल सिंह–

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये किसी विकास निधि की घोषणा नहीं की गई है इससे क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ेगा । पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय होगा । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है इस बजट के लागू होने के बाद 1 लाख 33 हेक्टेयर भूमि की अतिरिक्त सिंचन क्षमता बढ़ेगी लेकिन इस बजट के बाद 15 लाख हेक्टेयर भूमि असिंचित रह जाएगी । 29 हजार नलकूपों को यह ग्राम प्रधानों को सौंप देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री समरपाल सिंह–

इन्होंने 29 हजार नलकूपों को ग्राम प्रधानों को सौंपने की बात तो कह दी लेकिन ग्राम प्रधानों के लिये इन्होंने कोई बजट नहीं रखा है वह इन नलकूपों की देखरेख कैसे करेंगे, इन नलकूपों की सुरक्षा के लिये बजट में कुछ नहीं है । मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का विरोध करता हूं । यह बजट किसान विरोधी है जन विरोधी है इससे प्रदेश का विकास सम्भव नहीं है ।

श्री बाबू राम यादव–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे 1999–2000 के वित्तीय आय-व्ययक के सम्बन्ध में, जो यह 772.63 करोड़ रुपये घाटे का बजट प्रस्तुत किया है और जिसमें विकास का कहीं कोई बिन्दु नहीं है, पर बोलने का अवसर दिया इसका मैं विरोध करता हूं । मान्यवर, वैसे तो कई साथियों ने आंकड़े रखे हैं बजट के सम्बन्ध में, 772.63 करोड़ घाटे को पूरा करने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । मान्यवर, जहां तक विकास की बात है, तिवारी जी और वर्मा जी बता चुके हैं कि इसमें विकास के लिये धन का

प्राविधान नहीं है । यह घाटा तो है ही इसके अतिरिक्त 58 करोड़ रुपये का ऋण प्रदेश पर है जो इस साल बढ़कर 67 हजार करोड़ हो जायेगा । (इस समय 3 बजकर 41 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) 10 हजार करोड़ बढ़ेगा उसकी अदायगी और ब्याज की व्यवस्था नहीं की गयी है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि न तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट को पढ़ा है, न समझा है और न ही इस पर विचार किया है । अगर विचार किये होते या पढ़े होते तो निश्चित रूप से इसमें कुछ प्राविधान होता। यह वित्त मंत्री ने अधिकारियों ने बना दिया है और इन्होंने यहां पर आकर पढ़ दिया ।

मान्यवर, जहां तक विकास की बात है, औद्योगिक विकास की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है । औद्योगिक विकास तभी होता है जब प्रदेश में शान्ति व्यवस्था कायम हो । आज शांति व्यवस्था नहीं है तो औद्योगिक विकास कैसे हो सकता है । मान्यवर, माननीय कल्याण सिंह जी के चरण जब से इस प्रदेश में पड़े हैं तब से एक भी नया उद्योग नहीं लगा है । कई बड़े-बड़े उद्योग गाजियाबाद से शिफ्ट हो रहे हैं और दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं । यहां पर कोई पूंजी निवेश नहीं करना चाहता है । नोयडा और ग्रेटर नोयडा में कारखाने लगे हैं वह दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं क्योंकि कानून व्यवस्था खराब है । हमारे साथी यहां पर बैठे हैं वह यह कहते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक हो गया है । तो मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि आप गृह विभाग के आंकड़े उठाकर देख लें । प्रत्येक प्रकार के अपराध बढ़े हैं, चाहे वह डकैती हो, लूट हो या हत्या हो । आठ हजार हत्याएं हुई हैं जो कि एक रिकार्ड है । अगर इसी तरह से कानून व्यवस्था रही तो उद्योग कैसे लग पायेंगे । दूसरा विकास का रास्ता है खेती ।

कृषि के लिये कहीं कोई प्रबन्ध नहीं है । ट्यूबवेल बन्द हो रहे हैं, बिजली नहीं मिल पा रही है तो कैसे किसानों को पानी उपलब्ध हो पायेगा । आज किसानों को खाद नहीं मिल रही है । बिना डी० ए० पी० खाद के किसानों ने गेहूं और आलू बोया है । जब तक इस दिशा में कदम नहीं उठेगा तब तक न तो कृषि का उन्नयन हो सकता है और न प्रदेश का । जो हम औद्योगिक शून्य होते जा रहे हैं, पूंजी निवेश नहीं होगा, उद्योग नहीं होंगे तो प्रदेश का विकास कैसे हो सकता है । मान्यवर, पिछले वर्ष जो राजस्व आय में वृद्धि हमारी सरकार ने की थी, 12.6 प्रतिशत वृद्धि करके दी थी लेकिन जब से यह आये इन्होंने उसको तो खत्म किया है और 8.43 प्रतिशत और कम कर लिया है । मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब नकारा आदमी अपने परिवार को चला नहीं पाता है तो घर की महिलाओं के जेवर बेच देता है वही काम यह सरकार कर रही है । चुंगी हमारी सरकार ने समाप्त की थी लेकिन इनकी सरकार ने आते ही फिर से उसको लागू कर दिया है । जो काश्तकार खेत से गल्ला लेकर चला था चुंगी वाले उसे अपमानित करते थे और सब्जी वाले जब मण्डी के लिये जाता था तो चुंगी वाले उसकी सब्जी निकाल लेते थे आप प्रवेश कर लगा रहे हैं जो महिलाओं के जेवर बेचने से तुल्य है । माननीय मुख्य मंत्री जी, किसान के बेटे हैं उन्हें किसानों का दर्द होना चाहिए । शिक्षा पर शुल्क लगाने जा रहे हैं जिसको हमारी सरकार ने माफ किया था । मान्यवर, जब तक एक लम्बी योजना नहीं बनेगी प्रदेश को किसी भी बड़े संकट से उबारा नहीं जा सकता । आप समरसता, समानता की अच्छी बात करते हैं लेकिन आपकी कार्य पद्धति में नहीं है । हमारा सांसद 323 धारा में ही गिरफ्तार हो जाता है आपका सांसद हत्या करता है वह पकड़ा नहीं जाता है । तो जब तक मान्यवर, पक्ष और विपक्ष मिलकर एक राय नहीं बनेगी कोई लम्बी योजना नहीं बनेंगी तब तक विकास सम्भव नहीं है । मैं बजट का विरोध करते हुए कहना चाहता हूं कि कर्जे से मुक्ति हो, विकास की ओर हम चलें उस बारे में प्रयास हो और जो भ्रामक तथ्य इसमें दिये गये हैं उसको वापस लेकर बजट को सही दिशा दें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, कल से विभागीय अनुदानों की मांगों पर चर्चा होनी है लेकिन अभी तक साहित्य नहीं मिल रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कृपया इसे देख लें ।

* श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, पिछली बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब बजट प्रस्तुत किया था उस समय बड़े जोर-शोर से यह प्रचार किया गया था कि यह प्रदेश जो पूरी तरीके से ऋण के मकड़ जाल में जकड़ गया है उसको दूर करने का हम उपाय करेंगे । लेकिन इस एक वर्ष में पिछली बार घोषणा किया था कि 8 हजार करोड़ रुपये ऋणों से प्राप्तियां हुई थीं जो अबका पुनरीक्षित अनुमान है वह 16 हजार करोड़ रुपये ऋणों से प्राप्तियों का होगा । राजस्व प्राप्तियां 37 हजार करोड़ रुपये दिखाई गई हैं जिसमें लगभग 14 हजार करोड़ रुपये ऋणों से प्राप्तियां हैं । लोक-लेखा की प्राप्तियां लिखाकर घाटे को कम करके दिखाया गया है वास्तविक घाटा 17 हजार करोड़ के लगभग है । मान्यवर, इससे हम प्रदेश को कोई अच्छी दिशा में नहीं ले जा रहे हैं । यह जो घाटा हो रहा है यह प्रदेश की स्थिति क्यों है क्योंकि वित्तीय अनुशासन में कमी और भ्रष्टाचार चरम पर है ।

माननीय मुख्य मंत्री जी, से कहूंगा कि अपने विधायकों की अलग से बैठक कर लें कि क्या उनके जिलों में भ्रष्टाचार कम हुआ है कमीशन खोरी कम हुई है । जब तक इसे दूर नहीं करेंगे आप प्रदेश को अच्छी दिशा में नहीं ले जा सकते । वित्तीय अनुशासन के बारे में कहा गया है कि समय से स्वीकृतियां जारी की गयीं मान्यवर, पिछले वर्ष का पूर्वांचल विकास निधि की स्वीकृतियां अभी तक पूरी जारी नहीं हो पायी हैं । अन्य भी पूरी जारी नहीं हो पायी हैं । मान्यवर, विधायक निधि की घोषणा हुई है लेकिन 50 लाख रुपये देना घोषणा का घोषणा रह गया कहा गया कि 25 लाख रुपये भेजे गये हैं । मान्यवर, इस तरह से घोषणाओं का यह बजट है जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिये घोषणा की गयी है । इनकी कथनी और करनी में अन्तर है । भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में हमेशा अन्तर रहा है इसलिए यह बजट न किसानों के हित में है, न अनुसूचित जातियों के हित में है, न पिछड़ों के हित में है, पिछड़ों की उपेक्षा का काम इस प्रदेश में किया गया है । ऋणों के मकड़जाल में जकड़ने वाला यह बजट है इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(कुछ सदस्यों द्वारा बोलने की अनुज्ञा मांगने पर)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी को जाना है, विवशता है, नहीं तो बाद में हेलीकाप्टर उड़ नहीं पायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

जिस व्यवस्था का उल्लेख माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने किया है उसको ध्यान में रखते हुए, वैसे यह आमतौर पर नहीं हुआ है, माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण के बाद आप लोग चाहे तो बोल सकते हैं ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, 2 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी को चार बजे जाना था ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण के पश्चात् भी चर्चा जारी रखेंगे ।

(माननीय मुख्य मंत्री जी को बोलने की अनुज्ञा दिये जाने पर)

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, मुझे आप दो मिनट नहीं सुन सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्य जी, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी आपने सूचित कर दिया है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैंने सूचित कर दिया है ।

श्री कल्याण सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि बजट पर हुई चर्चा का उत्तर देने का अवसर आपने प्रदान किया । मैं सभी दलों के माननीय नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और सत्तापक्ष एवं विपक्ष दोनों ही ओर से जिन माननीय सदस्यों ने इस डिबेट में भाग लिया है, मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और यह मानकर चलता हूं कि बहुत सारी बातें चर्चा में बड़ी सारवान निकलकर आयी हैं, निश्चित तौर पर इस प्रदेश के विकास को आगे ले जाने के लिये यह आपके सार्वभौम सुझाव हमारे काम आयेंगे ।

श्रीमन्, मैं 1967 से इस सदन में हूं सत्ता पक्ष में भी रहा हूं विपक्ष में भी रहा हूं ।

(श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा टोका-टाकी करने पर और संविधान की किताब दिखाते हुए कुछ कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, कोई [× × ×] तो मैं उत्तर दूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात कहें ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, मैं आज सबके भाषण को सुन रहा था और मुझे लगा कि कुछ शब्द रस्म अदायगी के शब्द बन चुके हैं । विपक्ष में जो कोई भी बैठता है उन शब्दों को अवश्य बोलता है हमने भी बोला आपने कोई नया शब्द नहीं बोला आप जिन शब्दों को बोलना चाहते हैं । वह शब्द हमने बोले हैं कोई विपक्ष में बैठे, यह शब्द बोलेगा–बजट किसान विरोधी है, बजट जन विरोधी है, बजट गरीब विरोधी है, बजट मजदूर विरोधी है, बजट गांव विरोधी है, बजट दिशाविहीन है, विकास विरोधी है । इसलिये कोई नया बात आपने नहीं कहा है । विपक्ष में जो भी बैठे, हमेशा इन शब्दों को बोला जाता रहा है । ऐसा लगता है कि विपक्ष महत्व खोता जा रहा है । मेरे पूरे भाषण को यदि ध्यान से पढ़ा होता और जो बजट साहित्य दिया गया है उसको पढ़ा होता तो मेरा विश्वास है कि नब्बे प्रतिशत बातों का उत्तर मिल गया होता । लगता है कि कदाचित जितनी गहराई और ध्यान से बजट साहित्य का अध्ययन आवश्यक है उसमें कहीं न कहीं कोई चूक रह गयी है । श्रीमन्, मैं जो मुख्य बातों की ओर आपका ध्यान

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि एक तो बजट की दिशा क्या है और दूसरे वित्तीय प्रबन्धन कैसा कर रहे हैं। मान्यवर, विकास की धुरी और विकास प्रक्रिया हमारी क्या है। विकेन्द्रीकरण के पीछे हमारा तात्पर्य क्या है ? और जनसहभागिता लोकतंत्र में क्या होती है इसमें मैं अपनी बात कहूंगा।

श्रीमन्, सत्तापक्ष की बात आ गयी, विरोध पक्ष की बात आ गयी स्वाभाविक है सत्तापक्ष में कोई क्यों न बैठे वह बजट की प्रशंसा करेंगे, विपक्ष में जो बैठा होगा वह बजट की आलोचना करेंगे और उसे निकम्मा कहेंगे, यह कोई नई बात नहीं है। इसलिये मैं न सत्तापक्ष की बात रख रहा हूं और न विपक्ष की बात रख रहा हूं बल्कि मैं उन विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों का उद्धरण देना चाहता हूं जिन्होंने इस बजट के बारे में अपनी टिप्पणियां की हैं। वह किसी दल के नहीं हैं। वे अर्थशास्त्री और स्वतंत्र विचारक हैं, वित्तीय क्षेत्र में उनकी सोच है। श्रीमन्, डा० ए० के० सेन गुप्ता जो लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष हैं, विकास अध्ययन शोध संस्थान के निदेशक हैं और उन्हीं के साथ श्री ए० पी० तिवारी जो विकास अध्ययन शोध संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हैं, इन दोनों की संयुक्त टिप्पणी है। तो श्रीमन्, उत्तर प्रदेश भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का हृदय स्थल है। इस विशाल प्रदेश की विपुल विकास समस्यायें हैं। विकास सूचकांक के आधार पर भारत के सबसे पिछड़े राज्य के इस सदी के अन्तिम बजट में राजकोषीय सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक प्रयास किये जा रहे हैं। वस्तुतः राजकोषीय सुधार की जो प्रक्रिया बीते वर्ष के बजट में सरकार द्वारा अनेकानेक आर्थिक एवं आर्थिकेत्तर बन्दिशों के अधीन आरम्भ की गयी थी, उसे इस वर्ष के बजट में सुस्पष्ट तौर पर सुदृढ़ करते हुए वित्तीय अनुशासन के साथ विकेन्द्रित विकास के प्रति बचनबद्धता को अधिक तीखे तौर पर रूप रेखित किया गया है। राजकोषीय सुधारों की दिशा में सरकार द्वारा इस बजट में जो प्रयास किये गये हैं वे भारतीय संघ के अन्य ऐसे राज्यों के लिये माडल के रूप में स्वीकार किये जाने चाहिए जो राजकोषीय अनुशासनहीनता के शिकार हैं।

दूसरी टिप्पणी में उन्होंने कहा है कि प्रदेश के गम्भीर जनांकिकीय परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने बजट में जनसंख्या नियंत्रण की निरापद आवश्यकता के प्रति अपनी बचनबद्धता को स्पष्ट किया है। परिवार कल्याण कार्यक्रम में जन भागीदारी पर बल देते हुए इसे जन आन्दोलन का रूप देने के संकल्प से स्पष्ट होता है कि सरकार सामाजिक विकास को जनसंख्या नियंत्रण हेतु एक प्रभावोत्पादक उपाय के रूप में लागू करने के प्रति दृढ़ संकल्पित है। बजट में अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों को लामबन्द करते हुए सामाजिक क्षेत्र एवं मानव विकास की मदों पर व्यय का फोकस स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है। आधारिक संरचना की खामियों को भी दूर करने की दिशा में नीतिगत प्रयासों से इस बात का बोध होता है कि सरकार पूंजी के कुशलतम उपयोग की आवश्यकता को कार्य रूप देते हुए विकास की गति को त्वरण प्रदान करना चाहती है। बजट अभिलेखों के अध्ययन से पता चलता है कि यह बजट सम्यक् वित्तीय समीक्षा के ढांचे में बनाया गया है।

श्रीमन्, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री अरविन्द मोहन जो सी० आई० आई० के आर्थिक सलाहकार भी हैं, उन्होंने कहा है कि सन् 1999-2000 का बजट विधान सभा में प्रस्तुत कर दिया गया है। मुख्य मंत्री कल्याण सिंह तीन महत्वपूर्ण विषयों के बधाई के पात्र हैं :—

1—कई वर्षों के बाद प्रदेश का बजट माह फरवरी में प्रस्तुत किया गया है। कुछ वर्षों से प्रदेश में "बजट हालीडे" की परम्परा भी बन गयी है। आमतौर पर बजट कई माह देर से प्रस्तुत होता आया है और सरकार का कार्य "वोट आन एकाउन्ट" के माध्यम से चलाया जाता रहा है। कल्याण सिंह जी ने इस परम्परा को तोड़कर प्रदेश के विकास की दिशा में एक सकारात्मक भूमिका निभायी है।

2—बहुत वर्षों बाद बजट संसाधनों का आवंटन सभी विभागों को 10 सितम्बर, 1998 तक कर दिया गया है। यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। पिछले वर्षों में ऐसा होता रहा है कि आवंटन का

एक बड़ा हिस्सा मार्च माह (वर्षान्त) में ही विभागों को उपलब्ध हो पाता था, स्वाभाविक तौर पर इससे विकास बाधित होता था ।

3—इस बजट में राजकोषीय घाटे को कम करने का तथा विकास व जन कल्याण कार्यक्रमों पर आवंटन को बढ़ाने का प्रयास किया गया है । इस बजट में कुल व्यय लगभग 40 हजार 754 करोड़ रुपये अनुमानित है । इसमें से लगभग 11 हजार करोड़ रुपये (लगभग 27 प्रतिशत) पूंजीगत अथवा विकास सम्बन्धी व्यय के रूप में आवंटित किया गया है । यह ध्यान देने योग्य विषय है कि 1980-81 में कुल व्यय का 40 प्रतिशत पूंजीगत व्यय होता था । उसके बाद से यह लगातार घटते-घटते, 1997 तक पहुंचते- पहुंचते लगभग 8 प्रतिशत रह गया । पूंजीगत व्यय ही विकास सम्बन्धी व्यय होता है । यह हर्ष का विषय है कि पूंजीगत या विकास सम्बन्धी व्यय को बढ़ाकर 27 प्रतिशत तक ले जाने का प्राविधान है।

श्री अरविन्द मोहन की दूसरी टिप्पणी है कि इस बजट में सत्ता व विकास के विकेन्द्रीकरण का भी प्रस्ताव किया गया है । यह सुनिश्चित किया गया है कि अब पंचायत विकास की मुख्य इकाई होगी । इस बजट के माध्यम से प्रथम चरण में शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य एवं कृषि से संबन्धित बहुत से कार्य व अधिकार पंचायतों को हस्तान्तरित किये जा रहे हैं । यह आर्थिक व सामाजिक जनतंत्र की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है । बजट में पहली बार किसी भी मुख्य मंत्री ने जन संख्या को प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण समस्या व समाधान के रूप में इंगित करने का प्रयास किया है । पहली बार इस बजट के माध्यम से सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिये 20 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान किया गया है तथा स्नातक स्तर तक महिलाओं की शिक्षा निशुल्क कर दी गयी है । यह सभी जनकल्याणकारी कदम हैं । श्रीमन्, यह उन लोगों की टिप्पणी ही पढ़कर मैंने सुनाया है जो न तो इस पक्ष के हैं और न उस पक्ष के हैं । श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल और कुछ अन्य नेताओं ने कुछ सवाल उठाये हैं मुख्य रूप से उनका कहना है कि वित्तीय घाटा बढ़ा है । उनकी जिज्ञासा यह भी है कि इस घाटे को पूरा कैसे किया जायगा । दूसरी बात कही है कि राजस्व व्यय में वृद्धि हुई है और चौथी बात यह कही है कि पूंजीगत व्यय घटा है यह नहीं के बराबर रह गया है । श्रीमन्, मैं एक बात आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि सरकार एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया का नाम है । किसी भी सरकार को आइसोलेशन में रखकर नहीं सोचा जा सकता है । जैसे एक रिले रेस होती है जिसमें कई धावक होते हैं । एक धावक पहले झंडा लेकर दौड़ता है और दूसरे धावक को झंडा थमा देता है । दूसरा धावक तीसरे को झंडा थमा देता है और तीसरा धावक चौथे धावक को झंडा थमाता है और चौथा धावक अन्तिम धावक को झंडा थमाता है । श्रीमन्, अन्तिम धावक दौड़ने में यदि थोड़ी सी देर के लिये पीछे रह जाय तो पीछे रहने की जिम्मेदारी केवल अन्तिम धावक की नहीं बनती है बल्कि बीच में जितने धावक हैं यह देखना होगा कि उनकी गति क्या रही है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या आप अन्तिम धावक हैं ।

श्री कल्याण सिंह–

चिंता न करें । यह सरकार कार्यकाल पूरा करेगी, कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर चुनाव होंगे तो एक बार इससे ज्यादा बहुमत के साथ जनता की सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा । आप इसके लिये बेचैन न होइये । श्रीमन्, मेरा कहना था कि आज हमारा आंकलन आखिरी धावक जो मिनट, दो मिनट गति से पीछे रह गया या गति में ठहराव आ गया, से न किया जाय । आज हमें अपनी रफ्तार बढ़ाकर जो पिछले धावक रिले रेस वाले हैं उनकी कमियों को पूरा करना है । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष या विपक्ष के माननीय सदस्यों, नेताओं के सहयोग से हम विकास के मार्ग पर आगे अवश्य बढ़ेंगे विकास राजनीति का मुद्दा नहीं होगा और विकास को राजनीति का मुद्दा बनाया नहीं

जाना चाहिए । जहां तक पक्ष और विपक्ष की बात है, यह सम्पूर्ण सदन उत्तर प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करता है और सम्पूर्ण प्रदेश की जनता हमारी और आपकी ओर देख रही है कि इस प्रदेश के विकास के लिये हम क्या कर रहे हैं । मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब भी कभी और आज भी जनहित के सकारात्मक सुझाव जो चाहे किसी भी ओर से क्यों न आये हम सर झुकाकर स्वीकार करेंगे और उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के विकास की गति का पहिया तेज गति से बढ़ाने का प्रयास करेंगे । यह जो रिले रेस 10 वर्ष की है.....

कुंवर रेवती रमण सिंह–

इसमें डेढ़ साल आप भी दौड़े हैं ।

श्री कल्याण सिंह–

सही बात कही है, ब्रेक हमारा ही था ।

श्री अम्बिका चौधरी–

रेस में आप ब्रेक लगाने में बहुत माहिर हैं ।

श्री कल्याण सिंह–

दिक्कत है कि आपके बोलने पर ब्रेक नहीं लगा पाता हूं । सच कहता हूं कि आप जैसा आदमी ढूंढे से मिलेंगे ।

श्रीमन्, 10 वर्षों का ब्यौरा संक्षेप में रखना चाहता हूं । घनघोर वित्तीय अनुशासनहीनता बरती गयी, घनघोर वित्तीय कुप्रबन्धन का शिकार यह प्रदेश रहा है । श्रीमन्, राजस्व व्यय में अनाप-शनाप वृद्धि की जाती रही है । राजस्व प्राप्तियों में अपेक्षा के अनुकूल बहुत कम वृद्धि हुई है । परिणाम हुआ राजस्व घाटा बढ़ता चला गया । परिणाम हुआ कि 6 करोड़ रुपये से ज्यादा प्रतिवर्ष सालाना सूद देने के लिये मजबूर हुए । पूंजीगत व्यय 10 वर्ष में लगातार घटता गया और इस सबका परिणाम हुआ कि उत्तर प्रदेश का विकास बाधित होता चला गया । इस स्थिति से उबरने के लिये हम क्या कर रहे हैं । वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने ठोस शुरुआत की है । वर्ष 1998-99 से हमने वित्तीय अनुशासन कड़ाई के साथ लागू करना प्रारम्भ कर दिया है । राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय में हम संतुलन बैठाते चले जा रहे हैं । पूंजीगत व्यय में वृद्धि की गयी है । आगे चल करके बताऊंगा । यह सारे कुप्रबन्धन को दूर करने के प्रयास हो रहे हैं ।

वित्तीय अनुशासनहीनता से प्रदेश को निकाल करके अनुशासन कायम की जा रही है और कठोरता के साथ की जा रही है । पिछली बार जुलाई में बजट पास हुआ था और हमने 10 सितम्बर को स्वीकृतियां जारी कर दी थीं और आज भी हमने बजट भाषण में कहा है । श्रीमन्, आप सबके सहयोग से यह 24-25 मार्च तक बजट पास हो जायेगा । मैं विश्वास दिलाकर कहना चाहता हूं कि 30 अप्रैल, 1999 तक वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी जायेंगी । मार्च वाली लूट इस सरकार के होते हुए नहीं हो सकती । वित्तीय स्वीकृतियां ही नहीं, जिस विभाग ने जितना पैसा, जितने समय में जिस कार्यदायी स्थल पर पहुंचना है उसे सुनिश्चित करते हुए वित्तीय स्वीकृति के साथ-साथ एक समय सारिणी नत्थी करके भेजी जायेगी, उस पैसे का सदुपयोग निर्माण कार्य या रचनात्मक कार्य में हो ही जाना चाहिए, इसमें छूट नहीं दी जायेगी ।

श्रीमन्, राजस्व व्यय को घटाने की कोशिश में हैं । 1998-99 के मूल बजट में जो राजस्व व्यय था वह सत्ताइस हजार पांच सौ तिहत्तर करोड़ रुपये था, 1998-99 के पुनरीक्षित अनुमान में यह सत्ताइस हजार चार सौ पैंसठ करोड़ रहा । अर्थात् राजस्व व्यय में कमी आयी । यह कमी लाये हम अनुत्पादक व्ययों में कमी करके और अनावश्यक व्ययों में कमी करके । श्रीमन्, 1998-99 का पुनरीक्षित राजस्व व्यय मैंने आपको पढ़ करके सुनाया है । श्रीमन्, इसी समय अचानक समस्या सामने आ गयी ।

केन्द्र सरकार ने पांचवें वेतन आयोग की घोषणा कर दी । हम पहले राज्य थे पूरे हिन्दुस्तान में जिसने पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया । एकमुश्त लगभग 3500 करोड़ रुपये से ज्यादा का भार हम पर पड़ा । यह अचानक आ गया । अगर हम राजस्व व्यय में से अचानक आए हुए इस व्यय भार को घटा दें तो राजस्व व्यय 22,195 करोड़ रह जाता है । वर्ष 1999–2000 में 1998 की तुलना में राजस्व व्यय में 8 प्रतिशत वृद्धि प्रस्तावित है । तुलना करके देखें राजस्व व्यय में हमने कितना कंट्रोल किया है । राजस्व व्यय जब बढ़ता है तो विकास का काम रुकता है हमने उसे नियंत्रित किया है।

वर्ष 1995-96 में राजस्व व्यय में वृद्धि हुई थी 14 प्रतिशत, 1996-97 में राजस्व व्यय में वृद्धि हुई थी 10 प्रतिशत, 1997-98 में राजस्व व्यय में वृद्धि हुई थी 16 प्रतिशत और 1998-99 में राजस्व व्यय में वृद्धि केवल 8 प्रतिशत रह गई । उस एरियर को घटा कर । वर्ष 1999–2000 में भी यह हम 8 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ने देंगे । यह पांच साल के आंकड़े बताते हैं कि राजस्व व्यय में कमी किसने की है । यह इसी सरकार ने की है । राजस्व प्राप्तियों की तुलना करेंगे 1995-96 में कर राजस्व में केवल 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई । वर्ष 1996-97 में कर राजस्व में वृद्धि 15 प्रतिशत हुई । वर्ष 1997-98 में कर राजस्व में वृद्धि 11 प्रतिशत हो गई । वर्ष 1998-99 में हमारे समय में कर राजस्व में वृद्धि 15 प्रतिशत हो गई । वर्ष 1999-2000 में हमने कर राजस्व में 26 प्रतिशत वृद्धि का संकल्प लिया है । निष्कर्ष यह निकलता है कि जो पिछले 10 वर्षों में राजस्व प्राप्तियों की गति बहुत धीमी थी ।

राजस्व व्यय में निरन्तर वृद्धि होती गई । यह तेज रफ्तार से बढ़ती गई । हमने यह तय किया है कि 10 साल से चले आये इस ट्रेंड को परिवर्तित करेंगे और राजस्व व्यय घटे राजस्व प्राप्तियां बढ़े इस दिशा में हमने बजट प्रस्तुत किया है । जहां तक पूंजीगत परिव्यय की बात है इसमें हम कितने कामयाब हुए हैं यह आंकड़े देखें । पांच वर्षों के पूंजीगत परिव्यय आपके सामने रखना चाहता हूं । पूंजीगत लेखे में पूंजीगत परिव्यय है । पूंजी लेखे और पूंजीगत परिव्यय यह विकास का पैमाना होता है । पूंजीगत परिव्यय बढ़ेगा विकास बढ़ेगा, पूंजीगत परिव्यय घटेगा विकास घटेगा, विकास घटेगा राजस्व व्यय बढ़ेगा राजस्व व्यय घटेगा विकास बढ़ेगा । हमारे नेता विरोधी दल इसके बारे में विज्ञ हैं । विशेषज्ञ हैं । हम और नेता विरोधी दल एक ही बात कहते हैं ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

अध्यक्ष जी, विकास दर की बढ़ोत्तरी के बारे में जो प्रयास किये गये हैं इसकी बड़ी दुहाई दी गई है । इसी पर तमाम चर्चा अभी तक हुई है । मुख्य मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । आपने इस बजट भाषण में प्रदेश की विकास दर वर्ष 1999–2000 में क्या रहेगी इसका कोई संकेत नहीं दिया है और अगर नहीं किया है तो क्या यह स्पष्ट नहीं है कि पिछले वर्ष में विकास दर जो घोषित की गई थी उसकी एक तिहाई से ज्यादा विकास दर नीचे चली गई । क्या यह सही नहीं है ?

श्री कल्याण सिंह–

नेता प्रतिपक्ष ने बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु उठाया है । मैंने पहले ही कहा था कि कुछ लोगों को आपके दल में शक होने लगा है कि मुख्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष मिले हुए हैं । इसलिये कुछ तीखी आलोचना करते रहियेगा नहीं तो आपके दल में कुछ पचड़ा पड़ जायेगा । विकास के मामले में नेता प्रतिपक्ष और हम सब मिले हुए हैं । विकास कोई राजनैतिक मुद्दा नहीं है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

एक नाग नाथ है और दूसरा सांप नाथ ।

श्री कल्याण सिंह–

आपने कहा कि एक नाग नाथ है तो दूसरा सांप नाथ है लेकिन तीसरा वाला तो अनाथ है। मान्यवर, 1994-95 में पूंजीगत परिव्यय 1120 करोड़ रुपये था, 1995-96 में यह 1129 करोड़ रुपए हुआ, केवल 9 करोड़ बढ़ा, 1996-97 में यह 1435 करोड़ रुपए हो गया, 1997-98 में यह 1668 करोड़ रुपए हो गया, अब हमारी सरकार में यह बढ़कर 2410 करोड़ रुपए हुआ है। अब हम जो अनुमानित करके चल रहे हैं वह 2720 करोड़ रुपए का पूंजीगत परिव्यय है। इसमें एन्टी टैक्स की बात है, वह 500 करोड़ रुपए अनुमानित है, केन्द्र सरकार से हमारी बात चल रही है, वहां से हमें जल्दी ही इसका अनुमोदन मिल जायेगा तो यह सब मिलाकर परिव्यय 3200 करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगा। उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना ऊंचा पहली बार पहुंचेगा।

मान्यवर, प्रवेश-कर के बारे में यहां पर कहा गया। मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रवेश कर, चुंगी कर नहीं है। प्रवेश कर और चुंगी कर में फर्क को समझिये। इसमें कोई बैरियर लगाया जाने वाला नहीं है। यह केवल व्यापार कर की भांति डीलर्स से वसूला जायेगा। इस नाते इसको लगाया गया है। कर्नाटक में लगा हुआ है, वहां पर किसकी सरकार है, मध्य प्रदेश में एन्टी टैक्स लगा हुआ है, वहां पर किस पार्टी की सरकार है। यह तो व्यापार कर की भांति डीलर से लिया जाने वाला टैक्स है, इसके कारण से किसानों पर और जनता के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब मान्यवर, जो टोटल प्लान एक्सपेन्डीचर है, 1998-99 में जब हमने पहली बार बजट पेश किया था, इसमें लगातार वृद्धि 1998-99 से प्रारम्भ हो गई है। 1994-95 में जो योजना परिव्यय था वह 5514 करोड़ रुपए था, 1995-96 में यह घट गया और 4261 करोड़ रुपए हो गया और 1996-97 में यह 6 हजार 35 करोड़ रुपये हो गया। 1997 में घट गया। 1997-98 वाला साल देख लें कि कौन थे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आप साझीदार थे।

श्री कल्याण सिंह–

हमारी चलती ही कितनी थी। साझीदार थे तब ही तो कम प्रहार कर रहे हैं नहीं तो ज्यादा प्रहार करते।

मान्यवर, 97-98 में यह घट गया रह गया 5,774 करोड़ रुपये। 98-99 में हमारे समय में परिव्यय 7,868 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। अब जो 1999–2000 के बजट में अनुमानित है 8448 करोड़ रुपये होगा। 98-99 में जो 97-98 की तुलना की जाय 98-99 में 2 हजार करोड़ से ज्यादा की वृद्धि हमने ही की है। यह वृद्धि 36 प्रतिशत है। यह कोई मामूली वृद्धि नहीं है। मान्यवर, इसी के आधार पर तो प्रदेश का विकास होगा। राजकोषीय घाटे की चर्चा हुई है। यह श्रीमन्, 98-99 के मूल बजट में 340 का घाटा अनुमानित था। हम स्वीकार करते हैं कि जब पुनरीक्षित घाटा सामने आया तो कुछ बढ़ गया। 394 करोड़ माने कि 54 करोड़ बढ़ गया और 99 के बजट में आपके सामने आंकड़े हैं। 773 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। श्रीमन्, इसमें से 500 करोड़ रुपये का एन० टी० टैक्स हमको मिलेगा और वास्तव में फिर यह घाटा घटकर राजकोषीय घाटा 273 करोड़ रुपये रह जायेगा। इसे भी पूरा करने के लिये हम उपाय करेंगे। वसूली में कड़ाई करेंगे, अनुत्पादक व्यय में कटौती की जायेगी और आज उत्तर प्रदेश की जो वेज एण्ड मीन्स की आर्थोपाई है उसको समायोजित करेंगे इसमें दिक्कत नहीं होगी।

आज उत्तर प्रदेश की वेज एण्ड मीन्स की स्थिति 304 करोड़ से बढ़कर 530 करोड़ रुपये हो गई है अर्थात् इतना एडवान्स लेने की सुविधा हमको रहेगी। इन सारे उपायों से श्रीमन्, हम राजकोषीय घाटे को पूरा करेंगे। श्रीमन्, बात आई थी कई माननीय सदस्यों ने और माननीय नेता विरोधी दल ने

भी इस बजट के लिये कहा कि इसमें किसानों और गांवों की उपेक्षा की गई है । मैं फिर कहूंगा कि अगर इसको पढ़ लेते तो जो उन्होंने कहा है भ्रमवश कहा है । पढ़ लेते तो आप जैसा विद्वान व्यक्ति जानबूझकर तो कह ही नहीं सकता भ्रमवश जो कहा है वह भी कहने की स्थिति न आती । अब श्रीमन्, 1999–2000 की वार्षिक योजना 11,400 करोड़ रु० की है । इसमें से ग्रामीण विकास और खेती के विकास के लिये योजना की 70 प्रतिशत धनराशि जायेगी अर्थात् 11,400 करोड़ रुपये में से ग्रामीण विकास और खेती के विकास के लिये 8000 करोड़ रुपये व्यय किया जायेगा । मुझे यह कोई बताये कि यह कहां से ग्राम विरोधी और किसान विरोधी है । । फिर 1996-97 तक ग्रामीण निकायों के लिए 20 करोड़ रुपया जाता था 1997-98 में हमारी सरकार के आने के बाद और जो कांस्टीट्यूशन में संशोधन हुआ उसको स्वीकार करने के बाद डिवोलूशन सिस्टम के चालू करने के बाद वित्तीय अन्तःरण की सुविधा देने के बाद जिन गांव को 1996-97 में 20 करोड़ रुपया मिलता था उनको 1997-98 में 255 करोड़ रुपया दिया गया । 1998-99 में 300 करोड़ और अब 1999-2000 में 328 करोड़ रुपया गांव के, खेती के विकास की तरफ जाएगा । ग्रामीण की विभिन्न योजनाओं के लिये 583 करोड़ की स्वीकृति होगी । टेण्ट फाइनेन्स कमीशन है उसकी संस्तुति के हिसाब से 183 करोड़ रुपया मिलेगा । ग्रामीण विकास खेती के विकास के लिये 1100 करोड़ रुपये का इंतजाम पहली बार हो रहा है । जो विकास की इकाई है वह गांव को मानकर चलेंगे । श्रीमन्, दो-तीन बातों के बाद अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। मान्यवर, प्रवेश कर के बारे में स्थिति स्पष्ट कर दूं । निधियों की बात चली फिर माननीय सुभाष जी ने यह प्रश्न उठाया कि उत्तरांचल की तुलना में आपने कम दिया है मैं उसे साफ कर देना चाहता हूं उत्तरांचल का जो बताया वह तो उत्तरांचल का टोटल बजट है जो आंकड़े आप बताते हैं । बुन्देलखंड और पूर्वांचल के लिये जो बजट मिलता है वह तो मिलना ही है इसके अतिरिक्त पूर्वांचल की निधि डेढ़ सौ करोड़ की गई है । इसी तरह बुन्देलखंड की निधि में इजाफा किया गया है ।

श्री कौकब हमीद–

पश्चिमांचल के लिये भी देते तो अच्छा रहता ।

श्री कल्याण सिंह–

आप बजट का अध्ययन कर लें याद दिलाया गया था कि जब मैं वहां था विपक्ष की तरफ, तो विपक्ष की कुर्सी से यह कहा गया कि लोक लेखा से ज्यादा पैसा लेना, यह अच्छे बजट का सूचक नहीं है, बी० आर० वर्मा जी ने इसका संकेत दिया है इसको स्वीकार करता हूं.....

श्री राम औतार शाक्य–

संसदीय कार्य मंत्री को बता दें ।

श्री कल्याण सिंह–

ट्रेनिंग की तो आपको जरूरत पड़ेगी । आपके सिद्धान्त से सहमत हूं लेकिन पंचम वेतन आयोग का इतना व्यय भार बढ़ा, शिक्षकों के वेतनमान के पुनरीक्षण के बाद व्यय भार आया इसके बावजूद लोक लेखा में से पैसा लेने का काम हमने कम किया । आगे प्रयास होगा लोक लेखा में से पैसा न लिया जाए यह अमानत है कर्मचारियों की, इनको ब्याज सहित देना पड़ेगा, इसीलिए लोक लेखा से कम लेना प्रारम्भ किया गया है लगातार इसको घटायेंगे.....

श्री बी० आर० वर्मा–

लोक लेखा से कम निकाला है यह कहा आवश्यकता पड़ गई पता है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों का 100 प्रतिशत बोनस, नगदीकरण सब जी० पी० एफ० में डाल दिया ।

श्री कल्याण सिंह–

जो कुछ भी निकाला गया है वह जी० पी० एफ० में डाला जायेगा । मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि जी० पी० एफ० में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा है । इसमें वर्मा जी को कसूरवार ठहराऊं तो उचित नहीं होगा, माननीय नेता विरोधी दल को क़सूरवार ठहराऊं तो ठीक नहीं होगा । यह जो पिछले 10–12 साल से अव्यवस्था चल रही थी उसके रहते हुए हुआ है ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, यह उसमें अपने पिछले डेढ़ साल का कार्यकाल भी जोड़ लें ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, उसके हिसाब से चले होते तो, मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि 91-92 में जब योजना आयोग से प्रदेश की वार्षिक योजना लाने के लिए गए तो छः सौ करोड़ रुपये अतिरिक्त वित्तीय संशोधन जुटाने की बात कही गयी । तो उस समय छः सौ करोड़ रुपये के विरूद्ध हमने नौ सौ करोड़ के अतिरिक्त वित्तीय संशाधन दिखा दिये थे । उसके बाद और न उसके पहले किसी भी सरकार ने अतिरिक्त वित्तीय संशाधन नहीं जुटाये हैं । मान्यवर, पहले भी पूंजीगत परिव्यय बढ़ता गया, प्राप्तियां घटती चली गयीं, राजस्व व्यय बढ़ता चला गया लेकिन जो हमने किया है वह हनसे पहले और बाद में किसी भी सरकार ने नहीं किया है कि इस प्रदेश के विकास के लिए अतिरिक्त संशाधन जुटाये जायें । अब की बार दस हजार छः सो बासठ करोड़ की वार्षिक योजना लेकर आये हैं और हम उत्तर प्रदेश में 1350 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संशाधन जुटायेंगे । माननीय प्रमोद तिवारी जी चले गये हैं उन्होने विकास दर की बात कही थी । जो विकास की दर है वह पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है वह पहले से निर्धारित होता है और पंचवर्षीय योजना में विकास का दर 7 प्रतिशत का है । मान्यवर, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि जनसंख्या उत्तर प्रदेश की विस्फोटक बिन्दु पर पहुंच गयी है । मैं सभी से कर बद्ध प्रार्थना करता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण.....

डा० अशोक बाजपेयी–

जो विकास की दर 7 प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है क्या उसको छूने का प्रयास करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

यदि आप सबका सहयोग रहेगा तो जरूर पा जायेंगे ।

श्री बाबू राम यादव–

जो योजना की बात कर रहे हैं उससे विकास दर नहीं बनती है । विकास की दर बजट प्रस्तुतीकरण से परिलक्षित होती है ।

श्री कल्याण सिंह–

हमने इस दिशा में चिन्तन किया है और बजट को वहीं दिशा दी गयी है । मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हम सहयोग लेकर ही जनता की सेवा कर सकते हैं । यह राजनीति का विषय नहीं हो सकता है । जनसंख्या के बारे में कहना चाहता हूं । कि चार-पांच साल पहले उत्तर प्रदेश दुनिया के देशों में छठा सबसे बड़ा प्रदेश था । आज वह दुनिया के देशों में चौथा सबसे बड़ा प्रदेश बन गया है । विकास की दर बढ़ती गयी और जन्म दर भी बढ़ती गयी तो अगली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़कर हम नहीं जायेंगे !

मान्यवर, यह केवल एक दल का सवाल नहीं है केवल प्रदेश का सवाल नहीं है, यह वृहद राष्ट्रीय समस्या बन गई है । दलगत मतभेदों की दिवार को ढहाना होगा और जनसंख्या नियन्त्रण करना होगा । अन्यथा आने वाली पीढ़ियां न हमको माफ करेगीं न आपको माफ करेगीं । जो अब तक प्रक्रिया चलती थी टुकड़ों में साधा जाना था, अब व्यापक नीति बनाई गई है । अभी कहा गया कि मृत्यु दर नहीं

घटेगी तो जन्मदर कैसे घटेगी, जब माता पिता को ऐसा विश्वास न हो कि उसकी दो संतानें हैं वह लम्बी आयु को प्राप्त करेंगी जब मृत्यु दर घटेगी तो जन्मदर भी घटेगी और इन दोनों के लिये साक्षरता दर बढ़ानी होगी और तीनों को मिलाकर हमारी विकास दर भी बढ़ेगी और इन चारों को मिलाकर उत्तर प्रदेश में रोजगार दर बढ़ेगी । इसी लिए मृत्यु दर जन्म दर, साक्षरता दर, विकास दर और रोजगार दर यह अलग-अलग खेमों की चीजें नहीं हैं यह एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं । इस पर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं । शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिये इसमें प्राविधान किया गया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आपकी चिन्ता स्वाभाविक है, लेकिन इसको आप प्राप्त कैसे करेंगे बजट का प्राविधान देखें शिक्षा में 3 प्रतिशत, चिकित्सा में केवल 70 करोड़ रुपये का बजट दिया है ।

श्री कल्याण सिंह–

अगर आपने इसे पूरा पढ़ा होता तो यह प्रश्न पैदा नहीं होता । सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य यह योजना चल रही है । पैसा है । पैसा मुहैय्या कराया गया है । हम चरणबद्ध तरीके से ले रहे हैं । साक्षरता दर के संबंध में स्कीम विश्व बैंक से स्वीकृत कराई गई है वह लागू होगी । तो इससे मृत्यु दर घटेगी और जन्म दर घटेगा और फिर इससे बढ़गी साक्षरता दर, फिर बढ़ेगी विकास दर और इनको मिलाकर बढ़ेगी प्रदेश की रोजगार दर । यह कोई सवाल नारे का नहीं है, निष्ठा का है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

जो बजट है उसमें शिक्षा के ऊपर कितना प्रतिशत बढ़ाया है । कितना प्रतिशत चिकित्सा पर बढ़ाया है ।

श्री कल्याण सिंह–

मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि एक बार हमारे सम्पूर्ण बजट के साहित्य को पढ़ लें उसके बाद भी कुछ रह जाए तो पूछ लीजियेगा । मान्यवर,मैं एक बार पुनः माननीय नेता प्रतिपक्ष के प्रति, सभी माननीय नेताओं के प्रति, जिन्होंने इस बजट के ऊपर उत्तम-उत्तम सुझाव दिये हैं, आभार व्यक्त करता हूं। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के प्रति बड़े सम्मान के साथ आभार व्यक्त करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, यह परम्परा रही है कि पिछले वर्षों में जब भी बजट पर सामान्य चर्चा होती है तो उसमें प्रतिपक्ष की ओर से, खासतौर से नेता विपक्ष की ओर से किसी बात पर आरोप लगाकर जांच कराने की मांग की जाती है तो जांच होती रहती है और उसका जवाब वित्त मंत्री जरूर देते रहे हैं । पिछले वर्ष भी ऐसा हुआ, इसके पहले भी जब सुश्री मायावती जी वित्त मंत्री/मुख्य मंत्री थी हमने जो आरोप लगाया था, उसका कैसा भी उत्तर दिया, उत्तर दिया था । श्रीमन्, हमने यह आरोप लगाया था कि विकास का पैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेता, अधिकारी मिलकर 60-70 फीसदी हड़प रहे हैं और विकास नाम की चीज न के बराबर हो गई है उदाहरण स्वरूप मैंने लिखकर भी दिया है पीठ को जांच के लिये ।

मान्यवर, माननीय नेता सदन जा रहे हैं, आप उनको रोकिये यह कोई तरीका नहीं है । इसका जवाब कौन देगा ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, कुछ स्पष्ट बात बताएं तो मैं उत्तर दे दूंगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

इस तरह से भागने से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा था कि सरकार के ही 3 लोग इसकी जांच कर लें अगर मेरी बात झूठ निकले, इस सरकार के तीन लोग जिनके नाम मैंने बता दिये थे वह जो दण्ड बतायेंगे सदस्यता समाप्त करने का भी तो मैं तैयार हूं। आप जांच करा लीजिए, किसी सोर्स से जांच करा लीजिए, जनपद औरैया के अहिरवा ब्लाक के फजलपुर गांव में जहां 95 प्रतिशत आबादी ठाकुरों की है, उसमें भी 95 प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। एक सड़क निर्माण हुआ उसमें मजदूरों का वेतन नहीं और वेतन इसलिए नाहीं कि 70 हजार का चेक बना बी० डी० ओ० ने बनाई, बी० डी० ओ० ने बताया कि 28 प्रतिशत मुझे चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता उसे छीनकर चले गये कि 20 हजार हमें चाहिए तो इस तरह से लूट होगी, इसमें क्या तथ्य हैं क्या कार्रवाई होगी इसे बता दें।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, माननीय नेता विपक्ष ने क्या कहा है उसे बता दें।

श्री धनीराम वर्मा–

आपकी समझदारी इतनी कमजोर है तो मैं क्या करूं मान्यवर, यह टालना चाहते हैं तो मैं क्या करूं।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैंने आपकी समझदारी को चुनौती नहीं दी है। मैंने कहा है कि आपसे बेहतर तरीके से उसे माननीय अध्यक्ष जी मुझे समझा सकते हैं, वह बता दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विपक्ष का यह कहना है कि यह परम्परा रही है कि यदि बजट भाषण के दौरान कोई आरोप लगाया जाता है अथवा किसी चीज की जांच की मांग की जाती है तो उसकी जांच के बारे में माननीय मुख्य मंत्री कुछ कहते हैं। आपका कहना है कि हमने अपने बजट भाषण में एक घटना का उल्लेख करते हुए उस सड़क के बारे में जो आरोप लगाये हैं उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी बता दें।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, आरोप लगाया, कोई निर्माण है, उसमें घोटाला है, उसकी निश्चित तौर पर जांच की जायेगी और जो भी दोषी होगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि ऋणों का मकड़जाल बढ़ा है या घटा है, उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय नेता सदन ने कहा कि अगर कोई जिम्मेदार सदस्य ने कुछ कहा होता तो निश्चित तौर पर मैं उसका जवाब देता। मान्यवर, इस सदन में सभी माननीय सदस्य चुनकर आते हैं और संविधान में सभी को समान अधिकार मिला हुआ है। इसलिए इस तरह का आरोप लगा देना कि गैर जिम्मेदार हैं, यह मानहानि का प्रश्न बनता है। यह कार्यवाही से निकाल दें नहीं तो मैं विशेषाधिकार की नोटिस देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैं उसको देख लूंगा।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, या तो इसको कार्यवाही से निकाला जाय या हमारी विशेषाधिकार की नोटिस स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष–

आक्षेपात्मक अंश को निकाल दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय सदस्यों की बातों और पीठ के निर्देशों को वह नहीं मानते हैं।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, अभी नेता सदन ने आपके समक्ष श्री उपाध्याय जी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे हैं। (व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, सदन के सामने जो अवमानना होती है तो उसमें नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं भाषण के उस अंश को देख लूंगा और जहां-जहां आक्षेप होगा तो उसको निकलवा दिया जायेंगा। अब आप लोग बैठ जाएं।

अभी बजट पर मुख्य मंत्री जी बोल चुके हैं, इसलिए आप लोग बैठ जाएं।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 25 फरवरी, 1999 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 32 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें श्री अजय कुमार पोइया की सूचना–कृषि उत्पादन मण्डी समिति, मथुरा में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में है। इसे वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया है।

दूसरी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की–वाराणसी में गंगा जल का रंग काला एवं बदबूदार होने से नागरिकों में व्याप्त असंतोष के संबंध में है। इस सूचना को वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया है।

तीसरी सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की–प्रदेश के नगरीय क्षेत्र के विधायकों को ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों की भांति पांच गांव विद्युतीकरण योजना के अनुसार शहर के वार्डों और मोहल्लों में विद्युतीकरण की अनुशंसा के अधिकार के संबंध में है। इसे मैंने केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया है।

चौथी सूचना श्री राम औतार शाक्य की–प्रदेश में ग्रामीण अंचल में पानी की निकासी की सुव्यवस्थित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस सूचना को मैंने केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया है।

पांचवीं सूचना डा० राम बाबू हरित की–प्रदेश में शिक्षा विभाग के शासनादेश सं० 2762/15-31–91-4/46/91 शिक्षा अनुभाग–3, दिनांक 30 नवम्बर, 1991 का अनुपालन अंग्रेजी स्कूलों द्वारा सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में है। इसे मैंने केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया है।

छठी सूचना श्री अजय भट्ट की–जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत क्षेत्रान्तर्गत जाल्ली में विकास खण्ड की घोषणा अनुसार अधिसूचना जारी किये जाने के संबंध में है। इसे मैंने केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया है।

सातवीं सूचना श्री जय प्रकाश निषाद की–प्रदेश में विशेषकर देवरिया व गोरखपुर जनपदों में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कराये जाने के संबंध में है । इस सूचना को शासन को ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया है ।

आठवीं सूचना श्री होराम सिंह की–जनपद बुलन्दशहर में सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाली करवल नदी के प्रदूषित जल से नागरिकों व पशुओं को हो रही गम्भीर बीमारियों के संबंध में है । इस सूचना को शासन ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया है ।

नौवीं सूचना श्री आचार्य रामदेव वैश्य की–लोक सेवा आयोग इलाहाबाद का कैम्प कार्यालय (परीक्षा भवन) राजधानी लखनऊ में होने के बावजूद वैयक्तिक सहायक परीक्षा का केन्द्र लखनऊ न बनाये जाने से बेरोजगारों के सामने उत्पन्न गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में है । इस सूचना को शासन के ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया है ।

दसवीं सूचना श्री पूर्णमासी पंकज की–जनपद संत रविदासनगर भदोही में रजवाहा नहर में अधिग्रहीत कृषकों की भूमि का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस सूचना को शासन के ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया है ।

ग्यारहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया की–जनपद एटा के कासगंज शहर में दिनांक 17-2-99 को हुई हत्या तथा पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस सूचना को शासन के ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है ।

बारहवीं सूचना श्री भोला शंकर मौर्य की–प्रदेश में जिला पंचायतों को स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी न किये जाने के सम्बन्ध में है । इस सूचना को शासन के ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया है ।

तेरहवीं सूचना श्री मानिक चन्द्र यादव की–जनपद मैनपुरी के थाना करहल अन्तर्गत फरार शातिर अपराधियों को न पकड़े जाने तथा माननीय सदस्य को धमकी दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस सूचना को शासन के ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत करता हूं ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं की गयी हैं, अतः अस्वीकार हुईं– डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री सीताराम निषाद, श्री राम चन्द्र यादव, श्री छोटे लाल गंगवार, श्री हरदेव सिह, श्री श्रीराम यादव, श्री अयोध्या प्रसाद पाल, श्री श्रीराम पाल, श्री राम अचल राजभर, श्री राजाराम पाल, श्री भगवती प्रसाद सागर, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री आर० के० सिंह पटेल, श्री दद्दू प्रसाद और श्री अयोध्या प्रसाद पाल ।

मथुरा नगर के कतिपय क्षेत्रों में पुलिस संरक्षण प्राप्त कर अनुसूचित जाति तथा जनजाति के नागरिकों का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 में दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[अवगत कराना है कि वर्तमान में जनपद मथुरा क्षेत्र में मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में हिन्दू एवं मुसलमान आपस में प्रेम से रह रहे हैं । यह कहना कि मुसलमानों के आतंक के कारण हिन्दू पलायन कर रहा है, सत्य नहीं है । मथुरा पुलिस अपराधियों के विरुद्ध सख्ती से निपट रही है । जो मुस्लिम अपराध में लिप्त पाये जाते हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाती है । श्री अगनलाल पुत्र

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री सामन्त राम कोरी अनुसूचित जाति से सम्बन्धित घटना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 1-2-99 को श्री अगन लाल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि मठियामेट कोरी बस्ती के लगभग 6 अभियुक्तों ने उसके घर में घुसकर मार-पीट की। उक्त प्रार्थना-पत्र की थानाध्यक्ष, गोविन्दनगर से जांच करायी गयी। जांच से शिकायती पत्र में लगाये आरोप झूठे पाये गये तथा घटना का होना नहीं पाया गया बल्कि जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादी तथा अब्दुल वहीद के बीच रास्ते का विवाद है जिसके संबंध में दीवानी न्यायालय में वाद विचाराधीन है। रास्ता विपक्षी वहीद के घर से होकर जा रहा है जिसे वादी बनाये रखना चाहता है जबकि वहीद उस रास्ते को घर में होने के कारण बन्द कराना चाहता है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा द्वारा थानाध्यक्ष, गोविन्दनगर को यह आदेशित किया जा चुका है कि किसी भी हालत में शान्ति-व्यवस्था प्रभावित न होने पाये तथा अल्पसंख्यक पूर्णरूप से सुरक्षित रहें।

2—इसी प्रकार थाना–गोविन्दनगर पर पंजीकृत अपराध सं० 195/98 धारा 363/366/120 बी० भादवि के बारे में अवगत कराना है कि दिनांक 22-12-98 को वादी केशव देव पुत्र श्री बाबू लाल द्वारा थाना कोतवाली पर दी गयी सूचना के आधार पर पंजीकृत किया गया है। अपहृता कु० शशी की बरामदगी हेतु प्रयास जारी हैं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी है तथा संभावित स्थानों पर दबिशें दी जा रही हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा द्वारा क्षेत्राधिकारी, गोविन्दनगर को अपहर्ता की बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कड़े निर्देश दिये गये हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82 द० प्र० सं० की कार्यवाही की जा रही है तथा विलम्ब से अपराध पंजीकृत कराये जाने के संबंध में जांच कराई जा रही है। जांच से प्राप्त तथ्यों के आधार पर शीघ्र समुचित कार्यवाही की जायेगी।]

प्रदेश में पेन उद्योग (बाल पेन एवं फाउन्टेन पेन) पर व्यापार कर समाप्त करने तथा इस उद्योग को लगाने हेतु उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दिये जाने के सम्बन्ध में डा० राम बाबू हरित द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० सदस्य द्वारा बालपेन तथा फाउन्टेन पेन की बिक्री पर कर मुक्ति दिये जाने की मांग करते हुए यह कहा गया है कि उ० प्र० में मात्र दो कम्पनियां सर्वश्री सागर पेन और सर्वश्री रोटोमैक लि० औद्योगिक रूप से पेनों का उत्पादन कर रही हैं। जनहित में सरकार को इस उद्योग को प्रदेश में कुटीर उद्योग के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता है। हमारे प्रदेश में इन पेनों पर 10% की दर से व्यापार कर देय है जबकि कई प्रदेशों में विभिन्न दिनांकों से इन उद्योगों पर कर मुक्ति दी गयी है और मध्य प्रदेश में कर की दर 3% है। इसमें यह भी उल्लेख है कि कानपुर में स्थित सर्वश्री रोटोमैक कम्पनी किसी दूसरे प्रदेश को स्थानान्तरित की जा रही है।

2—उ० प्र० में लेखन सामग्री से वर्ष 1996-97 में 291.38 लाख रुपये तथा 1997-98 में 394.40 लाख रुपये राजस्व प्राप्त हुआ है। इसी मद में बालपेन तथा फाउन्टेन पेन इत्यादि के मद में प्राप्त राजस्व भी शामिल है। जहां तक कुटीर उद्योग के रूप में पेन उद्योग को छूट दिये जाने का प्रश्न है दिनांक 1-4-92 से ऐसी लघु या कुटीर उद्योग द्वारा फाउन्टेन पेन, बालपेन और रिफिल इत्यादि का निर्माण व बिक्री करने वाली इकाइयों को छूट दी गयी है जिनका पूंजी विनिधान 2 लाख रुपये से अधिक न हो और वार्षिक विक्रय धन 5 लाख रुपये से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विकास हेतु नयी औद्योगिक इकाइयों तथा विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण, विविधीकरण अथवा बैकवर्ड इनट्रीग्रेशन

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

करने वाली इकाइयों को व्यापार कर से छूट एवं कर की दर में कमी की सुविधा उपलब्ध है। यह छूट/कर की दर में कमी की सुविधा विभिन्न जिलों में उनकी स्थिति को देखते हुए 8 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिये उपलब्ध कराई गई है और यह इस छूट की अधिकतम सीमा स्थिर पूंजी विनिधान क्रमशः 150% लघु औद्योगिक इकाइयों के मामले में 175%, 200% एवं 250% है। जिन इकाइयों को यह छूट अनुमन्य है उन्हें व्यापार कर छूट के स्थान पर व्यापार-कर आस्थगन की सुविधा लेने का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार व्यापार-कर आस्थगन प्राप्त करने वाली इकाइयां छूट की अवधि में ग्राहकों से व्यापार-कर वसूल करके अपनी पूंजी के रूप में प्रयोग करती हैं और आस्थगन की अवधि समाप्त होने पर ऐसी वसूल की गयी धनराशि एकमुश्त जमा करती हैं। इस प्रकार औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने हेतु प्रदेश में जो व्यापार-कर से छूट/कर की दर में कमी की योजना लागू है वह सम्भवतः देश के अन्य राज्यों में लागू ऐसी योजनाओं से ज्यादा उदार है।

3—जहां तक सर्वश्री रोटोमैक लि० कानपुर का प्रश्न है इस इकाई द्वारा भी प्रारम्भ से ही उत्पादन प्रारम्भ करने की दिनांक से व्यापार-कर से छूट की सुविधा का उपभोग किया जा रहा है। उन्हें दिनांक 3-5-93 से धारा 4–क के अन्तर्गत 8 वर्षों के लिये व्यापार-कर से छूट व कर की दर में कमी की सुविधा अनुमन्य कराई गई थी। इसके पश्चात् अक्टूबर, 94 में उनके द्वारा विस्तारीकरण करके छूट प्राप्त की गई है। उनके द्वारा उस समय तक लगभग 151 लाख रुपये का पूंजी विनियोजन किया गया था। उनके द्वारा वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में कोई कर जमा न करके पूरी कर मुक्ति ली गयी है। वर्ष 1995-96 में लगभग 73 लाख रुपये जमा किया गया है जबकि दिनांक 1-4-90 के बाद कानपुर नगर में स्थापित होने वाली इकाई को पूंजी विनिधान का 100% छूट उपलब्ध थी और तीसरे वर्ष का कर का केवल 10% धनराशि जमा करनी थी। इस इकाई को वर्ष 1993-94 में 924.43 लाख रुपये, 1994-95 में 2015.97 लाख रुपये और वर्ष 1995-96 में 3767.97 लाख रुपये की बिक्री थी। पेन और बाल पेनों पर प्रान्तीय कर की दर 10% है। इस प्रकार बहुत अल्प अवधि में उनके द्वारा जितना स्थायी पूंजी विनियोजन किया गया था उतना व्यापार कर से लाभ प्राप्त कर लिया गया है।

4—जहां तक इस तर्क का प्रश्न है कि इन बालपेन और पेन का प्रयोग लेखन कार्य एवं विद्या कार्य में किये जाने के कारण उस पर कर मुक्ति दी जाय, इस सम्बन्ध में विचारणीय है कि कुटीर उद्योग के रूप में जो छोटी इकाइयों द्वारा निर्माण किया जाता है और जिनका पूंजी विनियोजन 2 लाख रुपये और वार्षिक बिक्री 5 लाख रुपये तक है उनकी बिक्री पर पहले से ही कर मुक्ति दी गई है। सर्वश्री रोटोमैक कं० के बालपेन सस्ती दर पर नहीं बिकते हैं। सम्भवतः इनके बालपेन की कीमत कम से कम 10 रुपये है। उत्तर प्रदेश में गरीब घरों के विद्यार्थियों द्वारा कम कीमत अर्थात् रु० 5/-से कम कीमत वाले बालपेन व स्याही वाले पेन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार कम आय वर्ग के लोगों द्वारा भी सस्ते पेन का इस्तेमाल किया जाता है। सर्वश्री रोटोमैक कम्पनी द्वारा निर्मित पेन या बालपेन का प्रयोग उच्च आय वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता है। इस पेन का शिक्षा से सीधा सम्बन्ध नहीं है।

5—जहां तक अन्य राज्यों में फाउन्टेन पेन या बाल पेन के कर मुक्त होने या कर की दर कम होने के आधार पर उत्तर प्रदेश में कर मुक्ति दिये जाने का प्रश्न है, यह सुझाव न तो उचित है और न व्यवहारिक है। यदि अन्य प्रदेशों में कर मुक्ति मिली हुई है अथवा कर की दर कम है तब उत्तर प्रदेश का आम उपभोक्ता उस प्रदेश में जाकर फाउन्टेन पेन अथवा बालपेन की खरीद नहीं करेगा, क्योंकि इससे खर्च अधिक आयेगा। ऐसी हालत में उसके द्वारा उत्तर प्रदेश से ही खरीद की जायेगी। इस कारण अन्य राज्यों में कर मुक्त होने अथवा कर की दर कम होने से उत्तर प्रदेश में करमुक्ति दिये जाने का औचित्य नहीं होता है। राज्य सरकार को अपनी वित्तीय संसाधन जुटाने के लिये कर लगाने की कार्यवाही करनी पड़ती है और कर की दर निर्धारित करने में इस तथ्य को ध्यान में रखना पड़ता है।

यह सर्वविदित तथ्य है कि आज शिक्षा काफी महंगी हो गई है और बालपेन अथवा पेन पर कर मुक्ति दिये जाने से केवल बड़ी इकाइयों को ही लाभ होगा जबकि राज्य सरकार के राजस्व मेंकाफी कमी आयेगी । इस राजस्व से राज्य सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने में सहायता मिलती है । जैसे कि प्राइमरी स्कूलों के भवन का निर्माण, अध्यापकों को वेतन दिया जाना, छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों की फीस माफ करना । इस प्रकार इस मद से प्राप्त राजस्व से राज्य सरकार द्वारा समाज की भलाई के लिये अनेक कार्य किये जा सकते हैं, जबकि करमुक्ति दिये जाने से मुख्य रूप से औद्योगिक इकाइयों को ही लाभ मिलेगा ।

6— जहां तक अन्य प्रदेशों में लागू कर की दर का प्रश्न है उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार बिहार में कर की दर 8%, मध्य प्रदेश में 8%, दिल्ली में 8%, राजस्थान में 12%, हरियाणा में 10%, महाराष्ट्र में 4%, गुजरात में करमुक्त एवं 12%, कर्नाटक में 2%, केरल में 4%, पश्चिम बंगाल में 20% और आन्ध्र प्रदेश में 10% है ।

7—जहां तक इस तथ्य का प्रश्न है सर्वश्री रोटोमैक कम्पनी उत्तर प्रदेश से किसी दूसरे प्रदेश को स्थानान्तरित हो रही है इससे उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि यदि उनके द्वारा उत्तर प्रदेश में अपने निर्मित पेन अथवा बालपेन की बिक्री की जायेगी तो उत्तर प्रदेश में बिक्री करने पर 10% की दर से ही कर देना होगा । इस प्रकार इस इकाई के उत्तर प्रदेश से स्थानान्तरित हो जाने पर कर की प्राप्ति में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा । ऐसी दशा में पेन तथा बालपेन पर करमुक्ति दिये जाने का कोई औचित्य नहीं बनता हैं ।]

सम्पूर्ण प्रदेश में ईट भट्ठों पर कम्पाउण्ड स्कीम के अन्तर्गत सम्भावित कर वृद्धि की योजना की घोषणा पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 7-घ के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि राज्य सरकार किसी वस्तु की खरीद/बिक्री पर व्यापार कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि लिये जाने हेतु समाधान योजना लागू कर सकती है । समाधान योजना अनिवार्य नहीं है, बल्कि ऐच्छिक है । जिस व्यापारी को इस योजना से लाभ होता है, वह इसे अपनाता है और जिसे लाभ नहीं होता है, वह इसे नहीं अपनाता है । अर्थात् जिस व्यापारी द्वारा नियमानुसार देय कर निर्धारित समाधान धनराशि से कम होता है, वह इसे नहीं अपनाता है ।

2—ईंट निर्माताओं पर प्रथम बार वर्ष 1988-89 (सीजन वर्ष अक्टूबर से सितम्बर) में समाधान योजना लागू की गयी है, तब से लगातार समाधान योजना लागू है । प्रत्येक वर्ष में यह विवाद उठता था कि समाधान धनराशि कितनी बढ़ा कर निर्धारित की जाए । इस सम्बन्ध में वर्ष 1993 में ईंट निर्माता समिति के पदाधिकारियों से विचार-विमर्श करके शासनादेश संख्या–816, दिनांक 21-5-93 द्वारा समाधान धनराशि निर्धारित करने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है । इसके अनुसार ईंटों के औसत बिक्री दर में 5 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी होने पर गत वर्ष की समाधान धनराशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

करके समाधान धनराशि निर्धारित की जानी है और बिक्री दर में अगर 5 प्रतिशत से अधिक बढ़ोत्तरी हो तो 5 प्रतिशत से जितने प्रतिशत अधिक होगी, उतने ही प्रतिशत 10 प्रतिशत में और बढ़ोत्तरी करके समाधान धनराशि निर्धारित की जानी चाहिए । समाधान धनराशि ईट भट्ठों के पायों के आधार पर निर्धारित की जाती है ।

3—गत सीजन वर्ष 97-98 में सीजन वर्ष 96-97 के लिए निर्धारित समाधान धनराशि में निम्न प्रकार बढ़ोत्तरी करके निर्धारित की गयी थी :—

(1) 20 पाये से 25 पाये तक के भट्ठों के लिए	गत वर्ष की समाधान धनराशि में 10 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करके ।
(2) 21 पाये से 25 पाये तक के भट्ठों के लिए	गत वर्ष की समाधान धनराशि में 15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करके ।
(3) 26 पाये से 30 पाये तक के भट्ठों के लिए	गत वर्ष की समाधान धनराशि में 20 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करके ।
(4) 30 से अधिक पाये के भट्ठों के लिए	उपरोक्तानुसार 30 पाये के लिये निर्धारित धनराशि में 20 हजार प्रति पाये की दर से जोड़ते हुए ।

4—उपरोक्तानुसार सीजन वर्ष 97-98 के लिए निम्नवत् समाधान धनराशि निर्धारित की गयी

भट्ठों की श्रेणी	समाधान धनराशि प्रति भट्ठा
15 पाये तक	33,000
16 पाये तक	39,600
17 पाये तक	46,200
18 पाये तक	52,800
19 पाये तक	61,600
20 पाये तक	72,600
21 पाये तक	87,400
22 पाये तक	1,01,200
23 पाये तक	1,16,150
24 पाये तक	1,33,400
25 पाये तक	1,50,650
26 पाये तक	1,75,200
27 पाये तक	1,96,800
28 पाये तक	2,16,000
29 पाये तक	2,36,400
30 पाये तक	2,61,600

30 पाये से अधिक भट्ठों के लिये 30 पाये के लिये निर्धारित समाधान धनराशि रुपया 2,61,600/- और रुपया 20,000/- प्रति पाये की दर से देय धनराशि जोड़कर होगी । उदाहरणार्थ—31 पाये के भट्ठों के लिये रुपया 2,81,600/-, 32 पाये के भट्ठों के लिये रुपया 3,01,600/- होगी ।

5—सीजन वर्ष 1998-99 में ईंटों की औसत बिक्री दर रुपया 1414.00 प्रति हजार है, जो गत वर्ष की औसत बिक्री पर 1245.00 प्रति हजार से 13.5 प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार शासनादेश के अनुसार इस वर्ष के लिये समाधान धनराशि गत वर्ष के लिये निर्धारित समाधान धनराशि में 18.05 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करके निर्धारित की जा सकती है। तद्नुसार इस वर्ष के लिये समाधान योजना लागू कर दी गयी है।]

जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्रान्तर्गत दैनिक जागरण के पत्रकार की हत्या किये जाने तथा पुलिस जांच को सी० बी० सी० आई० डी० को स्थानान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा नियम—51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

[अवगत कराना है कि उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 19-10-98 को श्रीमती रेखा त्यागी पत्नी श्री राजेश त्यागी निवासी बी—5/4 महेश मार्ग, थाना मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद द्वारा थाना मोदीनगर पर सूचना अंकित करायी गयी कि दिनांक 10-10-98 की रात करीब 10.30 बजे वह अपने मकान के अन्दर अपने बेटे को दूध पिला रही थी; मकान के दरवाजे अन्दर से बन्द कर लिये गये थे। श्री राजेश त्यागी बेडरूम के बाहर बरामदे में सो रहे थे अचानक किसी ने बेडरूम का दरवाजा बाहर से बन्द कर दिया और तुरन्त ही गोली चलने की दो आवाजें आयीं। गोली की आवाज सुनकर बेडरूम की खिड़की से जब उसने शोर मचाया तो किसी ने दरवाजा खोला बाहर निकलने के बाद उसने देखा कि उसके पति बरामदे में दीवान पर मृत पड़े थे। किसी ने उनकी गोली मार कर हत्या कर दी।

उक्त सूचना पर थाना मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद में मुकदमा अपराध संख्या—409/98 धारा 302 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया। विवेचना में मृतक के घर से हत्या में प्रयुक्त दो तमंचे प्राप्त हुए थे जो हत्या के पश्चात् घर में ही एक कन्डी में रखे हुए थे। पूरे घटनाक्रम से ऐसा प्रतीत होता था कि अभियुक्तगण घर के अन्दर बहुत इतमिनान के साथ आये थे और घटना के पश्चात् उसी इतमिनान के साथ वापस चले गये थे। मृतक श्री राजेश त्यागी की चरित्रहीनता की बहुत अधिक शिकायतें थीं। वे शराब के बहुत अधिक शौकीन थे और शराब पीकर प्रायः अपनी पत्नी के साथ खुले आम मारपीट करते थे। घटनास्थल के निरीक्षण से प्रतीत हुआ था कि मृतक की पत्नी अभियुक्तों के सम्बन्ध में अच्छी जानकारी रखती है परन्तु मृतक की पत्नी ने किसी भी अभियुक्त के विषय में बताने से इन्कार कर दिया। कई बार उनसे पूछताछ के प्रयास किये गये परन्तु उनके द्वारा कोई भी सहयोग नहीं किया गया। साथ ही कई पत्रकार बन्दुओं ने श्रीमती त्यागी से पूछताछ करने पर आपत्ति व्यक्ति की जिससे घटना का अनावरण न होने के कारण तथा योगेश शर्मा पत्रकार द्वारा इस प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराने के अनुरोध पर दिनांक 10-2-99 को इस प्रकरण की जांच सी० बी० सी० आई० डी० को सौंपी गयी है।

मा० सदस्य द्वारा प्रकरण में सी० बी० आई० जांच अथवा राजपत्रित अधिकार के निर्देशन में विशेष पुलिस टीम बनाकर जांच की मांग की गयी है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण की विवेचना चूंकि सी० बी० सी० आई० डी० को सौंपी जा चुकी है अतएव सी० बी० आई० अथवा राजपत्रित अधिकारी के निर्देशन में विशेष पुलिस टीम बनाकर जांच कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।]

नोट :— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मेरठ की तहसील सरधना में मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में श्री समरपाल सिंह द्वारा नियम–51 में दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद मेरठ की तहसील सरधना में मुन्सिफ (सिविल जज, जूनियर डिवीजन) के न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है । उच्च न्यायालय ने सरधना में मानक के अनुसार भूमि/भवन की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाने पर न्यायालय की स्थापना किये जाने पर सहमति दी है । भवन की उपलब्धता के विषय में जिलाधिकारी का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था कि उक्त न्यायालय पर्यटक आवास गृह में स्थापित कर दिया जाय । पूर्व में जिला पंचायत की भूमि न्याय विभाग को बिक्री किये जाने के संबंध में जिला पंचायत द्वारा प्रस्ताव किया गया था । जिला मजिस्ट्रेट का यह प्रस्ताव कि जिला पंचायत की उक्त भूमि को पर्यटन विभाग को दे दिया जाय जिस पर वह अपना पर्यटक आवास गृह का निर्माण करा लें और वर्तमान समय में निर्मित पर्यटक आवास गृह को न्याय विभाग को स्थानान्तरित कर दिया जाय । इस हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिला पंचायत की भूमि की कीमत रुपये 12,44,250/- तथा पर्यटक आवास गृह के निर्माण पर व्यय की गयी धनराशि कुल 19,71,000 सम्पूर्ण योग रुपये 32,15,250/- की धनराशि पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराने का सुझाव दिया था । माननीय उच्च न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट के इस प्रस्ताव पर भी अपनी सहमति दे दी है । उक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने भूमि के मूल्य के बराबर धनराशि दिये जाने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है किन्तु निर्माण के विषय में यह सुझाव दिया है कि शासन के दो विभागों के बीच शासन के धन से निर्मित परिसम्पत्ति के स्थानान्तरण का मामला है । अतः इसे निःशुल्क स्थानान्तरित किया जाना चाहिए । यह सुझाव भी दिया गया है कि पर्यटन विभाग से इसकी सहमति प्राप्त कर ली जाय । पर्यटन विभाग से सहमति प्राप्त करने हेतु पत्रावली पर्यटन विभाग को भेजी जा चुकी है । वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा भूमि के मूल्य के आधार पर भी ज्ञात किया जा रहा है तद्नुसार जिलाधिकारी को पत्र प्रेषित किया जा चुका है । उक्त कार्यवाहियां पूर्ण होते ही धन की व्यवस्था हो जाने पर एवं भवन स्थानान्तरित होने की कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर ही न्यायालय की स्थापना सम्भव हो सकेगी ।]

जनपद मुरादाबाद में कुन्दरकी क्षेत्र के अन्तर्गत जटपुरा ग्राम में दलित महिला के साथ कथित दुराचार करने वाले दुराचारियों को थाना मैनाठेर की पुलिस द्वारा संरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में श्री अकबर हुसैन द्वारा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[दिनांक 30-1-99 की रात्रि 9-30 बजे कान्सटेबिल चालक जगवीर सिंह आदि द्वारा थाना मैनाठेर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जटपुरा में श्री सूरजपाल जाटव के घर में घुसकर उसकी पत्नी श्रीमती उषा देवी के साथ शराब के नशे में छेड़खानी करने आदि विषय के घटना के सम्बन्ध में वादिनी श्रीमती उषा देवी पत्नी सूरजपाल निवासी ग्राम जटपुरा की तहरीर के आधार पर दिनांक 30-1-99 को थाना मैनाठेर पर मु०अ०सं० 17/99 धारा 452/354/504 भा०द०वि० बनाम कान्सटेबिल चालक जगवीर सिंह थाना मैनाठेर, मलखान सिंह जाटव पुत्र छुट्टन, हरस्वरूप जाटव पुत्र लाखन व दलपत पुत्र सुक्खू गड़रिया

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

निवासीगण तारावली जिलक थाना मैनाठेर के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया है । कान्सटेबिल चालक जगवीर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जा चुका है, जो फरार है । अभियुक्त मलखान सिंह को दिनांक 12-2-99 को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है । इस अभियोग की विवेचना उपनिरीक्षक, श्री चन्द्रपाल सिंह, थाना मैनाठेर द्वारा सम्पादित की जा रही है । इस प्रकरण की जांच अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण द्वारा भी की जा रही है । नामजद शेष तीनों अभियुक्त फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के संभव प्रयास किये जा रहे हैं ।।

प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोक-थाम हेतु सरकार द्वारा कार्य योजना बनाये जाने के विषय में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

डा० लक्ष्मी कांत बाजपेयी–

मान्यवर, प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोक-थाम हेतु सरकार द्वारा कार्य योजना बनाये जाने के विषय में दिनांक 17 फरवरी, 1999 को मैंने तारांकित प्रश्न संख्या–1 पूंछा था और उस पर नियम–49 के अन्तर्गत आपने आधे घंटे की चर्चा स्वीकार की थी, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

श्री बी० आर० शर्मा–

(सदन में व्यवधान होने पर) मान्यवर, यह तो यह लोग सुने, अन्यथा इसको आप स्थगित कर दें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, 5 बजे बैठक बुलायी है । इसको स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

दोपहर 2 बजे नियम सं० 17 की चर्चा स्थगित की जाती है ।

प्रदेश में ऋण जमा अनुराशि का अनुपात रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के निदेशानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने एवं राज्य सरकार द्वारा बैंकों पर प्रदेश क्रेडिट कन्ट्रोल हेतु कानून बनाये जाने विषयक डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी आदि द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

[illegible] चर्चा स्थगित की जाती है ।

[illegible] नियम 94 [illegible] 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं०–4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 9 पर)

मत्स्य पालक विकास अभिकरण, बहराइच द्वारा सन् 1993 से अब तक निर्माण कराये गये तालाबों की सूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	चंदनपुर बढ़ई तारा	20	बेकैया
2	शाहपुर कठौतिया	21	जूड़ा
3	गुजरवारा	22	पटलौली
4	केशवापुर पजावा	23	पुरखीपुर डिहवा
5	तुलसीपुर	24	कोटमुबारकपुर
6	औरैया टिकई	25	जिंगनिया छत्रपाल सिंह
7	कसयापुर	26	मदखनवां
8	ककन्धू	27	कलवारी
9	परसण्डी	28	शीतलगांव
10	अलैयापुर	29	चंदा
11	सराय कनहर	30	निधिनगरपोखरा
12	कोकल	31	कटराबहादुरगंज
13	आमकौनगर	32	इटौंजा
14	खुसहा मुहम्मदपुर	33	अशवहमुहम्मदपुर
15	भिरवा	34	भौखारा
16	पूरनपुर ककमड़ा	35	सिलेटनगंज
17	कपूरपुर	36	कटहा
18	बहेलिया	37	धनावा
19	पूरे प्रसाद सिंह		

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं०–5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 10 पर)

संलग्नक–1

भूमि संरक्षण इकाई कृषि बहराइच के द्वारा नानपारा तहसील के वर्ष 1997-98 से सम्बन्धित ग्राम रामपुर धोबियाहार एवं अरनवां तथा वर्ष 1998-99 में ग्राम अरनवा में सम्पादित कराये कार्यों से सम्बन्धित मस्टर रोल एवं भौतिक कार्यों के सत्यापन का तिथिवार कर्मचारी/अधिकारीवार विवरण

क्र०सं०	वर्ष	गांव	कर्मचारी/अधिकारी जिनके द्वारा सत्यापन किया गया है :—						
			भूमि संरक्षण निरीक्षक		अवर अभियन्ता		प्राविधिक सहायक	भूमि संरक्षण अधिकारी	प्राविधिक अधिकारी/उ० कृ० नि० (भू० सं०)
			कार्य	मस्टर रोल	कार्य	मस्टररोल	कार्य	कार्य	कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1997-98	रामपुरधोबियाहार		08-11-97	22-11-97	14-11-97	26-11-97	29-11-97	29-11-97
				09-11-97	20-12-97	19-11-97	20-12-97	19-03-98	
				15-11-97	08-01-98	25-11-97	08-01-98		
				16-11-97	07-03-98	06-12-97	07-03-98		
				22-11-97	19-03-98	12-12-97	19-3-98		
				23-11-97		11-02-98			
				01-12-97		20-02-98			

अविशेषांक विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				02-12-97					
				08-12-97					
				09-12-97					
				08-02-98					
				09-02-98					
				15-02-98					
				16-02-98					
				22-02-98					
				23-02-98					
	1997-98	अरनवां		12-11-97	10-12-97	14-11-97	17-12-97	28-12-97	
				19-11-97	17-12-97	17-11-97	25-12-97	19-03-98	
				24-11-97	23-12-97	09-12-97	01-02-98		
				01-12-97	01-02-98	20-12-97	19-03-98		
				10-12-97	19-03-98	10-01-98	25-03-98		
				17-12-97	25-03-98	16-01-98			
				12-01-98		28-01-98			
				18-01-98		16-03-98			
				25-01-98					
				25-02-98					
				03-03-98					
				09-03-98					
				18-03-98					
3	1998-99	अरनवां		03-10-98	12-11-98	05-10-98	12-11-98	9-1-99	
				06-10-98	24-12-98	12-10-98	24-12-98		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				09-10-98		15-10-98			
				12-10-98		05-11-98			
				16-10-98		10-11-98			
				18-10-98					
				02-11-98					
				05-11-98					
				09-11-98					
				15-11-98					

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 144 विधान सभा (315)–2000–815 (डी० टी०पी०) ।